राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौथा दिवस   [संख्या : 4

शुक्रवार,

30 मार्च, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट लीक हुआ है...(व्यवधान) यह पूरी राजस्थान की जनता के साथ...

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : बजट लीक नहीं हुआ।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : नहीं हुआ है, बिलकुल नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बजट पर इनका यही कहना है कि बजट लीक हुआ है, यह सरासर गलत है। गलतबयानी कर रहे हैं। यह जो कह रहे हैं गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : यह भी देख लो, यह भी देख लो...(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : कहीं लीक नहीं हुआ है, रद्दी कागज था।

डा. चन्द्रभान : पैट्रोल में 22 की जगह 23...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरा बजट ओके है। यह आरोप सरासर गलत है, सदन को आपने गुमराह किया है। बजट लीक नहीं हुआ है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अगर मुख्य मंत्री चाहे तो बजट कैसे लीक हुआ, किसके थ्रू हुआ, मैं बताने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक रद्दी का कागज उठाकर लाए और उसको बजट...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : + + +
(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई बजट लीक नहीं हुआ है, सारा फैब्रिकेटेड है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : कोई बजट लीक नहीं हुआ है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप क्रम संख्या-11 को देखिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + अध्यक्ष महोदय, + + + बहुमत के मद में (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी टेबल पर उन्होंने रखा। बजट भाषण में जिस समय कर-प्रावधान पढ़े जा रहे थे, हमने भी उन कर-प्रावधानों को जब मिलाया तो अध्यक्ष महोदय, वही कर-प्रावधान थे जो 11 बजे माननीय सदस्य ने सदन प्रारम्भ होने के पहले और बजट पढ़ने के पहले इस सदन में लाकर रखा। इससे बड़ा और इससे ज्यादा और क्या सबूत आपको चाहिए ? अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि आप इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने अपनी आंखों से, आपने स्वयं अपनी आंखों से इसका मिलान किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल होने दीजिए। श्री भगवान सहाय सैनी। (व्यवधान) प्रश्नकाल होने दीजिए।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. चन्द्रभान : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

एक माननीय सदस्य : + + + आपके। फर्जी है, कोई बजट लीक नहीं हुआ है। सब फर्जी है, कोई बजट लीक नहीं हुआ है।

डा. चन्द्रभान : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। (व्यवधान) आर्डर। सदन की बैठक एक बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.13 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(पुनः समवेत होने पर)

(13.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को जो बजट पेश हुआ और जो बजट लीक हुआ उसमें करोड़ों का घपला है। मेरी मांग है आप से...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : दिल्ली में घपला नहीं है क्या ? दिल्ली में क्या हो रहा है, उसकी बात करो आप। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरी मांग है कि + + + (व्यवधान) प्रमाणित करता हूं, नाम बता सकता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह + + + बोल रहे है। यह असत्य बोल रहे हैं। मैं इसका खण्डन करता हूं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : बजट कोई लीक नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट लीक नहीं हुआ। यह आरोप झूठा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसका खण्डन करता हूं। यह असत्य है, यह मिथ्या है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)... कांग्रेस के सीनियर लीडर जिसमें दो पूर्व मुख्य मंत्री (व्यवधान)...

डा. के. सी. चौधरी : यह कागज गलत है। बजट लीक नहीं हुआ है। (व्यवधान)...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : न तो सदन के सामने कोई बिजनेस है इस ढंग का...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं नाम बताऊं क्या, कितने पैसे दिये हैं और किसने दिये हैं, और कहां दिये हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इस प्रकार के बिना नोटिस के जो आरोप लगाये गये हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज विराजें, हो गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गम्भीर मामला है। आपके सारे कांग्रेस के सदस्य यह कह रहे हैं...(व्यवधान)... नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने यह मिथ्या आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी : बजट कहीं लीक हुआ ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कृपया यह अंकित नहीं होने दें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो आरोप लगाये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कृपया इनको एक्सपंज कराए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं इसको प्रमाणित करूंगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई एक्सपंज नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बजट जब लीक होता है तो उससे जो नुकसान होते हैं, और राज्य की जनता को जो नुकसान हुआ है, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपको कोई बात उठानी है तो आप नियमों के तहत आइये न। (व्यवधान) आपके पास किताबें हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेखानुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 43 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं—

1. अधिसूचना संख्या पं. 2(26)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 6.11.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 2(26)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 8.12.1999 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या प. 4(63)वित्त/कर/अनु/94-407 दिनांक 15.11.2000 जिसके द्वारा गीली लाल मिर्चों के विक्रय या क्रय को 31.3.2000 तक कर से मुक्त किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प. 4(40)वित्त/कर/अनु/98/408 दिनांक 15.11.2000 जिसके द्वारा सिल्क फ्रेब्रिक्स के 30.3.2000 से 17.9.2000 तक के विक्रय या क्रय को कर से छूट प्रदान की गयी है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

4. अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/कर/अनु/2000 दिनांक 27.11.2000 जिसके द्वारा भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आवंटित भू-खण्ड के लीज डीड दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या प. 4(40)वित्त/कर/अनु/2000-409 दिनांक 30.11.2000 जिसके द्वारा राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय राजघाट, नई दिल्ली को 7.65 लाख रुपये मूल्य के तीन मार्बल ब्लाकों के विक्रय के अन्तरराज्यीय व्यापार को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट प्रदान की गयी है।

6. अधिसूचना संख्या एफ 4(46)वित्त/कर/अनु/98-410 एवं 411 दिनांक 4.12.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 4(1)एफ.डी./टैक्स/डिव/2000-298 दिनांक 30.3.2000 एवं अधिसूचना संख्या एफ 4(1) एफ.डी./टैक्स-डिव/ 2000-299 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प. 20(1)वित्त/कर/अनु/90 दिनांक 4.12.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ-4(1) एफ.डी./टैक्स-डिव/2000-310 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या प. 8(20)वित्त/कर/अनु/2000 दिनांक 4.12.2000 जिसके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जयपुर के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन कर 13 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प. 4(30)वित्त/कर/अनु/97-412 दिनांक 5.12.2000 जिसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम को राजस्थान राज्य में राजस्थान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2976 के अधीन प्राधिकृत थोक विक्रेता को बेचे गये गेहूं और चावल के पण्यावर्त पर उद्धरण पण्यावर्त कर की छूट प्रदान की गयी है।

10. अधिसूचना संख्या प. 4(11) वित्त/कर/अनु/2000-413 दिनांक 31.12.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 4(11) एफ.डी./टैक्स-डिव/2000-406 दिनांक 31.10.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या प. 4(42)वित्त/कर/अनु/98-1 दिनांक 3.1.2001 जिसके द्वारा गुटकों व चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दा मिक्स पान मसालों पर विलासिता कर आठ प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प. 4(42)वित्त/कर/अनु/98-2 दिनांक 3.1.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 4(4)वित्त/कर/अनु/99-246 दिनांक 15.10.1999 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या प. 4(42)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 3.1.2001 जिसके द्वारा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

गुटकों को सम्मिलित करते हुए ऐसे पान मसाले जिसमें तम्बाकू का अंश नहीं हो, को अधिभार से छूट प्रदान की गयी है।

14. अधिसूचना संख्या प. 4(42)वित्त/कर/अनुः 98-4 दिनांक 3.1.2001 जिसके द्वारा गुटके को सम्मिलित करते हुए ऐसा पान मसाला जिसमें तम्बाकू का अंश नहीं है, पर बिक्री कर 20 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या प. 8(7)वित्त/कर/अनु/99 दिनांक 5.1.2001 जिसके द्वारा केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था मरु परिवार, बीकानेर पर भूमि एवं भवन कर 1982-1983 से 1999-2000 तक 2.5 लाख रुपये तथा 2001-2002 के लिए 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या प. 2(26)वित्त/कर/अनु/98 पार्ट दिनांक 9.1.2001 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. द्वारा आवंटित/बिक्रित स्थावर सम्पत्ति पर बाजार मूल्य के बजाय ब्याज, शास्ति 2 वर्ष के औसत किराये के 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या प. 4(26)वित्त/कर/अनु/94-5 दिनांक 12.1.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4(26)वित्त/कर/अनु/94-250 दिनांक 18.11.1999 को अतिष्ठित किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या प. 4(26)वित्त/कर/अनु/94-6 दिनांक 12.1.2001 जिसके द्वारा सोना-चांदी व्यवहारियों के लिए प्रशमन उद्धरण प्रसारित की गयी है।

19. अधिसूचना प. 10(5)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 12.1.2001 जिसके द्वारा हिन्दी फीचर फिल्म "निदान" के प्रदर्शन को 27.4.2001 तक मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गयी है।

20. अधिसूचना संख्या प. 2(3)वित्त/कर/ अनु/91 पार्ट दिनांक 18.1.2001 जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा एवं गंगनहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि के विक्रय के ऐसे दस्तावेजों को लोकनीति के विरुद्ध घोषित किया गया है जिसके साथ क्रेता द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होने का मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या प. 10(1)वित्त/कर/अनु/99 दिनांक 20.1.2001 जिसके द्वारा मनोरंजन के लिए जारी प्रशमन योजना के खण्ड 4 में प्रयुक्त विद्यमान अभिव्यक्ति वर्ष 1997-1998 के स्थान पर अभिव्यक्ति वर्ष 1998-1999 या पूर्ववर्ती वर्ष प्रतिस्थापित की गयी है।

22. अधिसूचना संख्या प. 2(26)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 22.1.2001 जिसके द्वारा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अधिसूचना संख्या एफ. 2(26)वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 8.12.1999 को अतिष्ठित किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या प. 8(23)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 22.1.2001 जिसके द्वारा दिनांक 31.3.2000 तक कर निर्धारित द्वारा भूमि एवं भवन कर दायित्व जमा करने पर शास्ति और ब्याज पर छूट प्रदान की गयी है।

24. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/अनु/98 2001-7 दिनांक 25.1.2001 जिसके द्वारा डोडा पोस्त जो 10 प्रतिशत की दर से छूट फीस जमा कराता है, को भूतलक्षी प्रभाव से 31.3.2001 तक छूट प्रदान की गयी है।

25. अधिसूचना संख्या प. 4(18)वित्त/कर/अनु/2000-8 दिनांक 25.1.2001 जिसके द्वारा भांग, डोडा पोस्त और देशी मदिरा पाउच के निर्माण में प्रयुक्त एल. डी. फिल्म जो आबकारी विभाग और गंगानगर शुगर मिल्स से संबंधित उनके पण्यावर्त को पण्यावर्त कर से छूट प्रदान की गयी है।

26. अधिसूचना संख्या प. 8(9)वित्त/कर/अनु/95 दिनांक 25.1.2001 जिसके द्वारा राजकीय विमान पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा, जयपुर (ट्रांसमिशन स्टेशन सहित) पर भूमि एवं भवन कर 20 लाख रुपये वर्ष 2000-2001 के लिये निर्धारित किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या प. 8(9)वित्त/कर/अनु/95 दिनांक 25.1.2001 जिसके द्वारा राजकीय विमान पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा, कोटा पर भूमि एवं भवन के लिए कर पांच लाख रुपये वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित किया गया है।

28. अधिसूचना संख्या प. 8(9)वित्त/कर/अनु/95 दिनांक 25.1.2001 जिसके द्वारा राजकीय विमान पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा, जोधपुर की भूमि एवं भवन के लिए कर 6 लाख रुपये वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या प. 8(21)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 27.1.2001 जिसके द्वारा क्रिकेट खेल को प्रोत्साहन कर रही 8 प्लाटों पर भूमि एवं भवन कर 31 मार्च, 2001 तक के लिए 65 हजार रुपये निर्धारित किया किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या प. 4(30)वित्त/कर/अनु/97-9 दिनांक 27.1.2001 जिसके द्वारा एक लाख मीट्रिक टन गेहूं को केन्द्र सरकार द्वारा काम के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत एफ.सी.आई. को बेचने पर कर से मुक्त किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या प. 8(14)वित्त/कर/अनु/91 दिनांक 30.1.2001 जिसके द्वारा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भूमि एवं भवन कर नियम, 1965 में संशोधन किये गये हैं।

32. अधिसूचना संख्या प. 10(3)वित्त/कर/अनु/95 पार्ट दिनांक 2.2.2001 जिसके द्वारा अखिल भारत वर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी द्वारा राजमन्दिर सिनेमा में दिनांक 4.2.2001 को प्रदर्शित किये जाने वाले एक फिल्म शो को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या प. 2(19)वित्त/कर/अनु/2000 दिनांक 24.2.2001 जिसके द्वारा जिलाधीश द्वारा अधिरोपित शास्ति दिनांक 31.3.2001 तक संदत्त करने पर स्टाम्प शुल्क से माफ किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या प. 2(5)वित्त/कर/अनु/99 दिनांक 24.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या प. 10(1)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 28.2.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(1) वित्त/कर/अनु/2000-309 दिनांक 30.3.2000 समय-समय पर यथासंशोधित में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/कर/अनु/97 दिनांक 2.3.2001 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित 51.94 करोड़ रुपये के बंधक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 0.80 प्रतिशत किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/कर/अनु/97 दिनांक 28.2.2001 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित 51.94 करोड़ रुपये के बंधक विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन फीस एक प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत की गयी है।

38. अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/कर/अनु/97 दिनांक 2.3.2001 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित 51.95 करोड़ रुपये के बंधक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 0.80 प्रतिशत किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/कर/अनु/97 दिनांक 2.3.2001 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित 51.95 करोड़ रुपये के बंधक विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन फीस एक प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत की गयी है।

40. अधिसूचना संख्या प. 8(6)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 5.3.2001 जिसके द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा निगम की 31 जायदादों पर भूमि एवं भवन कर 25 लाख रुपये

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

31.3.2001 तक के लिए निर्धारित की गयी है।

41. अधिसूचना संख्या प. 2(17)वित्त/कर/अनु/2000 दिनांक 8.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के दो कार्यालयों को पब्लिक आफिस के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या प. 8(3)वित्त/कर/अनु/2001 दिनांक 8.3.2001 जिसके द्वारा प्रसार भारती, जयपुर की दो जायदादों पर 1998-1999 से 10 लाख रुपये भूमि एवं भवन कर के लिए निर्धारित किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या प. 8(23)वित्त/कर/अनु/98 दिनांक 17.3.2001 जिसके द्वारा 31.3.2001 तक भूमि एवं भवन कर जमा करने पर शास्ति व ब्याज के छूट प्रदान की गयी है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : बजट लीक हुआ है, यह सदन के बाहर तो आपके लीडर भी मानते हैं।

एक माननीय सदस्य : अन्दर भी मानते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अन्दर भी मानते हैं तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं देते?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : फिर जांच किस बात की कर रहे हो? यदि लीक नहीं है तो फिर जांच किस बात की हो रही है?

श्री जगत सिंह दायमा : फिर जांच किस बात की हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

ऊर्जा विभाग

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना एफ. 15(2)ऊर्जा/94-पार्ट दिनांक 31.05.2000 जिसके द्वारा राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स एक्ट, 1999 लागू किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 34 दिनांक 19.7.2000 जिसके द्वारा राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अंतरण स्कीम, 2000 लागू की गयी है।

3. अधिसूचना संख्या एफ. 15(1)ऊर्जा/2000 दिनांक 25.8.2000 जिसके द्वारा राजस्थान पावर सैक्टर सुधार स्थानान्तरण स्कीम, 2000 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है, एवं;

4. अधिसूचना संख्या एफ. 15(1)ऊर्जा/2000 दिनांक 2.9.2000 जिसके द्वारा

(डा. चन्द्रभान)

कम्पनियों में कार्मिकों के अंतरण हेतु तिथि नियत की गयी है। (व्यवधान) आप कौनसे नियमों के अन्तर्गत आरोप लगा रहे हैं?

श्री जगत सिंह दायमा : आप बारबार तहलका डाट की बात कर रहे हैं (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप कौन से नियमों के अन्तर्गत आरोप लगा रहे हैं? आप जो चाहे सो आरोप लगाते जा रहे हैं। आप इस तरह से आरोप कैसे लगा सकते हैं? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + +

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' का 10वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरणजी माथुर, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 2000-2001 समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 2000-2001 ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख" 2000-2001 समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

प्राक्कलन समिति "ख" का सातवां प्रतिवेदन

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख" 2000-2001 समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धि प्राक्कलन समिति "ख" 2000-2001 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + बताइये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी पर सीधा आरोप लगाया है। (व्यवधान) सदन की गरिमा समाप्त हुई है। बजट लीक हुआ है। (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1999-2000,

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) एवं

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सांवर लाल : फिर हम यहां पर आते किसलिये हैं। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर ये राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं ? (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : + + + आप दीजिये इसका जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूरामजी अहारी। (व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार केन्द्रीय बजट का अंश लीक हो गया जिसमें कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बजट लीक होने पर वहां के तत्कालीन वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कल बजट पेश किया गया और प्रातःकाल जिस तरह से बजट पेश होने के पहले...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की जनता को कोई विश्वास नहीं रहा इस सरकार पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव (वर्ष 2001-2002)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, लेखानुदान।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 2001-2002 के विवरण में मांग संख्या-1

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 64 31, 97, 77, 000/- (छह हजार चार सौ इक्तीस करोड़ सतानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आसन इस बात से संतुष्ट है कि कल बजट पेश होने के पहले बजट के अन्दर जो कर प्रावधान थे उन कर प्रावधानों का लीकेज हुआ या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2001-2002 के विवरण में मांग संख्या-1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 6431,97,77,000/- (छह हजार चार सौ इक्तीस करोड़ सतानवे लाख सतहत्तर हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य :

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : बजट का लीक हो जाना इस सरकार की पारदर्शिताहीनता का प्रतीक है।

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2000-2001

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी। प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

(माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

+ + + अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (लगातार नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री पर...(व्यवधान)... आरोप लगाया है। (व्यवधान)...

(लगातार नारेबाजी)

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

(लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(लगातार नारेबाजी)

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए। (व्यवधान)...

(लगातार नारेबाजी)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह देश का किसी तरह भला नहीं कर सकते।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001 पारित किया गया। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

(लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 अप्रेल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.09 बजे मंगलवार, 3 अप्रेल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर

मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु आरक्षण

23. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा इन्हें सरकार कब तक प्रशिक्षण दिलवाएगी?

(2) क्या सरकार मृत राज्य कर्मचारी के स्थान पर लगाए गए अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रवेश के लिए विधवा एवं परित्यक्ता के प्रवेश की भांति कोटा निश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। मृतक आश्रित कोटा के अन्तर्गत कुल 162 अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएं कार्यरत है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु पूर्व में ही प्रावधान किया हुआ है।

(2) जी नहीं। आवश्यकता होने पर विभिन्न डाइटों (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में मृत राज्य कर्मचारी आश्रित अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है।

बी. पी. एल. कार्ड धारकों को मुफ्त चिकित्सा

24. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु बी.पी.एल. योजनान्तर्गत कार्ड जारी किये गये हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्ड धारकों की मुफ्त चिकित्सा हेतु प्रत्येक अस्पताल में अलग से कोई बजट का प्रावधान रखा जाता है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या यह भी सही है कि किसी भी चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो सुविधा रहित अस्पतालों में इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्ड धारकों को मुफ्त दवा अस्पतालों में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है? यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। चिकित्सालयों में दवा उपलब्ध कराने हेतु जो बजट रखा जाता है उन दवाओं में से पहले बी.पी.एल. कार्डधारियों को दवा दी जाती है। इसके अलावा मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत भाग भी उक्त मरीजों की दवाइयों पर व्यय किया जाता है।

(3) जी नहीं। राज्य के सभी चिकित्सालयों में प्रश्न के भाग-2 के उत्तरानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी नहीं। बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त दवा अस्पतालों से उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति जिन्हें बी.पी.एल. कार्ड जारी किये गये

क्र.सं.	जिले का नाम	बी.पी.एल. परिवार जिन्हें कार्ड जारी किये
1	2	3
01.	अजमेर	68,631
02.	अलवर	82,911
03.	बांसवाड़ा	1,70,813
04.	बारां	49,783
05.	बाड़मेर	85,000
06.	भरतपुर	53,559
07.	भीलवाड़ा	1,10,698
08.	बीकानेर	60,927
09.	बून्दी	47,670
10.	चित्तौड़गढ़	1,39,984
11.	चूरू	81,767
12.	दौसा	41,163
13.	धौलपुर	36,053
14.	डूंगरपुर	1,33,129
15.	गंगानगर	45,989
16.	हनुमानगढ़	49,923
17.	जयपुर	1,36,633
18.	जैसलमेर	20,240
19.	जालौर	66,688

1	2	3
20.	झालावाड़	59,140
21.	झुन्झुनूं	33,176
22.	जोधपुर	42,722
23.	करौली	66,945
24.	कोटा	48,663
25.	नागौर	64,221
26.	पाली	68,556
27.	राजसमन्द	57,961
28.	सवाईमाधोपुर	58,010
29.	सीकर	35,210
30.	सिरोही	38,538
31.	टोंक	65,048
32.	उदयपुर	2,26,908
	योग	23,46,659

खाद , बीज एवं कीटनाशक दवाओं की गुणवत्ता जांच

25. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनवरी, 1999 से फरवरी, 2001 के मध्य कितने खाद, बीज एवं दवाओं के निर्माताओं के गुणवत्ता हेतु नमूने लिये गये और उनकी जांच रिपोर्ट क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य में सैन्ट्रल इन्सेक्टिसाइड एण्ड फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिडेट कम्पनी कार्यरत है? यदि हां, तो कब से एवं किसके द्वारा संचालित है?

उत्तर

(1) माह जनवरी, 1999 से फरवरी, 2001 के मध्य खाद (उर्वरक), बीज एवं दवाओं के निर्माताओं के गुणवत्ता हेतु लिए गए नमूने एवं उनकी जांच रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र.सं.	नाम आदान	लिए गए नमूनों की संख्या	मानक पाये नमूनों की संख्या	अमानक पाये नमूनों की संख्या
1.	खाद (उर्वरक)	9719	9609	110
2.	बीज	6682	6609	73
3.	दवाई (कीटनाशक)	3189	2977	212

(2) क्या नेशनल फर्टीलाइजर्स की ओर से निर्मित किसान जैविक उर्वरक की खपत गत दो वर्ष से कम हुई एवं उसके स्थान पर जयपुर में बनने वाली लोकल कम्पनी की समृद्धि जीवाणु खाद विभाग ने बेचने की इजाजत दी है? यदि हां, तो राज्य के विभिन्न जिलों में समृद्धि जीवाणु खाद के कितने किट बेचे गये?

(3) क्या सरकार ने उक्त प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से खाद खरीदने पर पांच रुपये की सब्सिडी ली है?

(2) नेशनल फर्टिलाइजर्स की ओर से निर्मित किसान जैविक खाद की अनुदान पर खपत गत दो वर्ष से कम नहीं हुई है। उसके स्थान पर जयपुर से बनने वाली लोकल कम्पनी की समृद्धि जीवाणु खाद को विभाग ने बेचने की इजाजत नहीं दी है। इस लोकल कम्पनी को वर्ष 1996-1997 से ही विभाग ने इजाजत दी हुई है।

वर्तमान में 15 निर्माताओं को विभाग ने जीवाणु खाद अनुदान पर बेचने की इजाजत दे रखी है। हर निर्माता अपना माल बेचने

(कृषि मंत्री)

के लिए स्वतंत्र है। विभाग बेचे हुए माल पर नियमानुसार अनुदान देता है।

(3) जी नहीं। बल्कि सरकार ने उक्त प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को जैविक खाद तैयार करने हेतु रुपए 5 लाख की सब्सिडी वर्ष 1996-1997 में उपलब्ध कराई थी।

(4) जी हां। इसे दिनांक 12.5.2000 से राज्य में पौध संरक्षण रसायन के विक्रय की अनुमति दी गई है। यह कम्पनी श्री फॉसिस जे. थोकेकारा द्वारा संचालित है।

पर्यटन निगम द्वारा संचालित ईकाइयां

26. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राज्य में कोई पर्यटन नीति है? वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार की दृष्टि से क्या उक्त नीति में अपेक्षित सुधार आवश्यक है? यदि हां, तो क्या-क्या सुधार आवश्यक हैं और निगम इस दृष्टिकोण से क्या कदम उठा रहा है?

(2) निगम ने कौन-कौन सी ईकाइयों को लीज पर कितने समय के लिए दिया है तथा देने की क्या प्रक्रिया रही है?

(3) हेरीटेज होटल के रूप में कौन-कौनसी ईकाइयां कार्यरत हैं? क्या टूरिस्ट होटल जयुपर को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राज्य में कोई पर्यटन नीति विद्यमान नहीं है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा लीज पर दी गई ईकाइयों की सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। ईकाइयों को लीज पर देने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक निविदादाताओं से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं तथा अधिकतम प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण प्रक्रिया अपना कर लीज पर दी जाती है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में कोई ईकाइ संचालित नहीं है। राज्य में स्थित वर्गीकृत हेरिटेज होटलों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है। टूरिस्ट होटल, जयपुर को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा लीज पर दी गई ईकाइयों की सूचना

क्र.सं.	ईकाइ का नाम	स्थान	अवधि
1	2	3	4
1.	होटल चन्द्रावती	झालावाड़	15-5-99 से 14-5-2001
2.	ट्यूरिस्ट बंगलो	हनुमानगढ़	10-6-99 से 9-6-2001
3.	होटल कूरजां	नागौर	10-6-99 से 9-6-2001
4.	मोटल बालोतरा	बालोतरा	26-1-2000 से 25-1-2002
5.	वे-साइड फेसिलिटी	ढेचूं	1-6-99 से 31-5-2001
6.	मिडवे ओसियां	ओसियां	1-6-99 से 31-5-2001
7.	मोटल डीग	डीग	1-8-99 से 31-7-2001
8.	मोटल गोगुन्दा	गोगुन्दा	1-4-97 से 31-3-2002
9.	रेस्ट हाउस	हल्दीघाटी	14-12-98 से 31-3-2001
10.	केफेटेरिया अपोलो	मा. आबू	1-3-99 से 28-2-2001
11.	केफेटेरिया सरोवर	मा. आबू	1-3-99 से 28-2-2001
12.	वे-साइड फेसेलिटी	मेनाल	17-2-2000 से 16-2-2002
13.	वे-साइड फेसेलिटी	फलौदी	1-9-99 से 31-8-2001
14.	वे-साइड फेसेलिटी	तालवृक्ष	1-5-2000 से 14-2-2002
15.	केफेटेरिया गढ़ीसर	जैसलमेर	1-5-2000 से 30-4-2002

परिशिष्ट-'ब'

पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में वर्गीकृत हेरिटेज होटलों की सूची

क्र.सं.	जिला	वर्गीकृत हेरिटेज होटलों का नाम
1	2	3
1.	अजमेर	पुष्कर पैलेस, पुष्कर
2.	अलवर	नीमराणा फोर्ट, नीमराणा
3.		सरिस्का पैलेस, सरिस्का
4.	बीकानेर	भंवर निवास
5.		लालगढ़ पैलेस
6.		बसन्त विहार पैलेस
7.	भरतपुर	फोरेस्ट लॉज
8.		लक्ष्मी विलास पैसेल
9.	चित्तौड़गढ़	कैसल बीजापुर, बीजापुर
10.	दौसा	होटल भद्रावती पैलेस
11.		राज पैलेस
12.		बिसाऊ पैलेस
13.		राजमहल पैलेस
14.	जयपुर	रामगढ़ लॉज
15.		नारायण निवास
16.		सामोद हेवली
१७.		सामोद पैलेस, सामोद
18.		करणी भवन
19.		फोर्ट चांदवा, लूणी
20.	जोधपुर	अजीत भवन पैलेस

1	2	3
21.		उम्मेद भवन
22.		बाल समन्द पैलेस
23.		होटल डूण्डलोद फोर्ट, डूण्डलोद
24.		कैसल मण्डावा, मण्डावा
25.	झुंझुनूं	मुकुन्दगढ़ फोर्ट, मुकन्दगढ़
26.		रूप निवास पैलेस
27.		नारायण निवास
28.	जैसलमेर	नारायण निवास पैलेस
29.	नागौर	खींवसर फोर्ट, खींवसर
30.		रोहितगढ़
31.	पाली	सरदार समन्द पैलेस
32.		रावला नारलाई
33.	राजसमन्द	देवगढ़ महल
34.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर लॉज
35.		कामां राजपुताना कलब रिसोर्ट, मा. आबू
36.	सिरोही	कर्नाट हाऊस, मा. आबू
37.		पैलेस होटल, मा. आबू
38.	सीकर	गोल्डन कैसल रिसोर्ट, पचार
39.		फतेह प्रकाश पैलेस
40.		शिकार बाड़ी
41.	उदयपुर	शिव निवास पैलेस
42.		होटल लक्ष्मी निवास पैलेस

राजस्थान हाउस दिल्ली में पूर्व सांसदों/विधायकों को आवास सुविधा

27. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान हाउस दिल्ली में ठहरने के लिए किस-किस श्रेणी के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी किन शर्तों पर अधिकृत हैं?

(2) पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायकों के राजस्थान हाउस में ठहरने के लिए क्या नियम हैं?

(3) जब सेवानिवृत अधिकारी राजस्थान हाउस में ठहरने को अधिकृत हैं तो फिर पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायकों को यह सुविधा क्यों नहीं है?

उत्तर

(1) सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों के लिये राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ठहरने के लिये वर्तमान में पात्रता एवं शर्तों की जो व्यवस्था है वह सूची के अनुसार है। (अनुसूची 1 एवं 2 संलग्न है)

(2) पूर्व सांसदगण राजस्थान हाउस में 3 दिन के लिए रियायती दर पर आवास हेतु अधिकृत हैं। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व विधायकगण इस हेतु पात्र नहीं हैं।

(3) पूर्व सांसद राजस्थान हाउस में ठहरने हेतु पात्र है। पूर्व विधायकगण को यह सुविधा निम्न कारणों से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है : —

1. राजस्थान हाउस में कमरे सीमित संख्या में है जबकि पूर्व विधायकों की संख्या काफी अधिक है।

2. राजस्थान हाउस की रियायती दर अनुदानित होती है। अतः पूर्व विधायकों को रियायती दर सुविधा उपलब्ध कराया जाना सीमित संसाधनों के कारण संभव नहीं है।

अनुसूची-1

राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों के आवास की पात्रता

ग्रुप-"ए"

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजस्थान राज्य के समस्त अधिकारी जो वेतनमान 10,000-15,200 या इससे उच्च वेतनमान में वेतन पा रहे हो।

2. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस.) के समस्त अधिकारीगण।

3. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज. सरकार द्वारा गठित केवल "राज्य

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग" के अध्यक्ष एवं सदस्य।

4. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले बोर्ड आफ सेकण्डरी एजूकेशन, अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्व मण्डल, अजमेर के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण।

5. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज. राज्य के राजस्थान साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, ब्रजभाषा अकादमी, सिन्धी अकादमी, खेल परिषद् एवं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, बशर्ते उस स्थान उनका मुख्यालय न हो।

6. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज. राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के उप कुलपति।

7. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज. राज्य के समस्त बोर्डो, निगमों, उपक्रमों, मण्डलों बिन्दू संख्या-4 में वर्णित के अलावा निम्न श्रेणी के पदाधिकारीगण।

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यगण।

(ख) सभी तकनीकी अधिकारी जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता के या उससे उच्च स्तर के हो।

(ग) सभी प्रशासनिक अधिकारी जो (मण्डल/निगम/उपक्रम) के सचिव या उससे उच्च स्तर के हो।

(घ) मुख्य लेखाधिकारी, चीफ इन्टरनल आडिटर या इनसे उच्च स्तर के अधिकारी।

8. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, के अध्यक्ष एवं सदस्यगण।

9. राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड व राजस्थान गो सेवा आयोग के अध्यक्ष।

ग्रुप-"बी"

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस.) के सदस्य अधिकारीगण जो राजस्थान केडर के नहीं है।

2. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले अन्य राज्यों के, केन्द्र शासित प्रदेशों के तथा केन्द्र सरकार के वह अधिकारी जो वेतनमान 10,000-15,200 में या इससे उच्च वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

3. अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस.) के समस्त प्रोबेशनर अधिकारी जो भारत दर्शन हेतु आते हैं।

4. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने पर भारतीय सशस्त्र, वायु सेना, जल सेना व सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय सुरक्षा बल, एन.सी.सी. एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

अन्य पेरा मिलिट्री से सुरक्षा बलों के व समस्त अधिकारी जो वेतनमान 10,000-15200 में या इससे उच्च वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

ग्रुप-"सी"

1. अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस. व आई.एफ.एस.) के राजस्थान केडर के समस्त प्रोबेशनर अधिकारी अपनी पूर्ण प्रोबेशन अवधि के लिये।

2. ग्रुप-ए में बिन्दु संख्या 1 व 2 व 6 पर वर्णित समस्त पदाधिकारीगण अपनी निजी यात्रा व अवकाश काल के लिए।

ग्रुप-"डी"

1. ग्रुप-ए में बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 के समस्त पदाधिकारी जो सेवानिवृत/भूतपूर्व हो गये हैं।

ग्रुप-"ई"

1. सभी राजकीय अतिथि।

2. सभी विभागीय अतिथि।

3. राजस्थान राज्य के समस्त मण्डलों/निगमों/उपक्रमों के वे समस्त अधिकारी, पदाधिकारी (ग्रुप-ए के बिन्दु संख्या 4,5,7 पर वर्णित को छोड़कर, अपनी निजी/राजकीय यात्रा पर आने पर)।

4. ग्रुप-बी में वर्णित सभी पदाधिकारी अपनी निजी या स्थानान्तरण की यात्रा पर आने पर।

5. भारत सरकार, केन्द्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्य सरकारों के समस्त मण्डलों/निगमों/उपक्रमों आदि के समस्त प्रकार के पदाधिकारी अपनी निजी, राजकीय/स्थानान्तरण की यात्रा पर।

6. ग्रुप ए, बी, सी, डी में वर्णित सभी पदाधिकारी अपनी निर्धारित अवधि के पश्चात्।

7. ग्रुप ए, बी, सी, डी में वर्णित अतिथियों के अलावा शेष समस्त अतिथि।

अनुसूची-2

पात्रता हेतु शर्तें : —

1. कोई भी अधिकृत व्यक्ति 7 दिन से अधिक लगातार नहीं ठहर सकेगा। जिन श्रेणियों में अवधि 7 दिन से कम के लिये है वह उस कम अवधि तक ठहरने के पात्र होंगे। यदि कोई अतिथि निर्धारित अवधि से अधिक ठहरता है तो प्राइवेट दरें ही वसूल की जावेगी, जब तक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जावें।

2. जो व्यक्ति रियायती/साधारण दर पर विश्राम भवनों में ठहरने के पात्र है, यदि उनकी जगह उनके मित्र इत्यादि एवं अन्य व्यक्ति कमरे में ठहरते हैं तो उनसे कमरे का किराया चाय-नाश्ता के चार्जेज प्राइवेट व्यक्ति के लिये लागू दरों पर वसूल किये जावेंगे। यदि अधिकृत व्यक्ति कमरा तो अपने नाम पर आरक्षित कराता है लेकिन उनके परिवार के सदस्य अकेले ही ठहरते

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

हैं तो उनसे भी प्राइवेट व्यक्तियों के लिये लागू दरों पर राशि वसूल की जावेगी।

3. जिन अधिकारियों के विरुद्ध/व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व की बकाया राशि निकलती है तो उन्हें भी तब तक कमरा नहीं दिया जावेगा जब तक कि वह पूर्व बकाया राशि के भुगतान नहीं कर देते।

4. कमरे का अग्रिम आरक्षण करवाकर यदि कोई अधिकारी पहुंचने के निश्चित समय के 12 घण्टे बाद भी नहीं पहुंचते हैं तो उनका आरक्षण स्वतः ही निरस्त मान लिया जाकर कमरा अन्य को आरक्षित कर दिया जावेगा।

5. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक कमरा आवंटित नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थिति सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति के अतिरिक्त कमरा आवंटित किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या 28

(स्थगित)

तहसील शाहबाद (बारां) में कृषि भूमि क्रय का पंजीकरण

29. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या तहसील शाहबाद जिला बारां के मौजा रातई कलां पटवार हल्का ढिकवानी में बाहर के व्यक्तियों ने कृषि भूमि क्रय की है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी-कितनी भूमि किस-किस ने खरीदी है?

(2) क्या उक्त भूमि में से कुछ कृषि भूमि सुभाष कालोनी खेडली फाटक कोटा के निवासियों के द्वारा भी क्रय की गई है? यदि हां, तो किस-किस नाम से कितनी-कितनी राशि में क्रय की गई है?

(3) क्या उक्त भूमि के खरीददारों में से कई व्यक्ति राजकीय सेवा में हैं? यदि हां, तो किस पद पर कहां कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। गत दो वर्षों में क्रेताओं द्वारा क्रय की गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है : —

1. श्री नन्दलाल पवन नि. "स्वपनिका" सुभाष कालोनी, खेडली फाटक, कोटा 19 बीघा 04 बिस्वा

2. श्रीमती पवित्रा पवन पत्नी श्री नन्दलाल पवन, "स्वपनिका" सुभाष कालोनी, खेडली फाटक, कोटा-18 बीघा 06 बिस्वा

3. श्री नीरज पवन पुत्र श्री नन्दलाल पवन नि. नया मौहल्ला, झालावाड़-4 बीघा 05 बिस्वा

(2) जी, हां। सुभाष कालोनी, खेड़ली फाटक, कोटा के निवासियों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है : —

(राजस्व मंत्री)

1. श्री नन्दलाल पवन नि. स्वपनिका, सुभाष कालोनी, खेडली फाटक, कोटा-विक्रय पत्र के अनुसार राशि 1,90,000/- रुपये में 19 बीघा 04 बिस्वा

2. श्रीमति पवित्रा पवन पत्नी श्री नन्द लाल पवन निवासी स्वपनिका, सुभाष कालोनी, कोटा विक्रय पत्र के अनुसार राशि 2,60,000/- रुपये रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा

(3) जी, हां। उक्त भूमि के खरीददारों में से उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री नन्दलाल पवन राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधिक्षक हैं तथा वर्तमान में शाहबाद में उप पुलिस अधिक्षक, शाहबाद के पद पर पदस्थापित हैं।

जिला अजमेर में संचालित पशुधन संवर्द्धन केन्द्र

30. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या बकरी/बकरा संवर्द्धन योजना केन्द्र रामसर, जिला अजमेर में प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त केन्द्र के लिए भूमि व भवन है? यदि हां, तो कितनी भूमि किस-किस खसरा नं. में है?

(3) क्या उक्त केन्द्र हेतु बजट उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई और उसमें से कितनी-कितनी व्यय हुई है?

(4) क्या उक्त योजना के उद्देश्य अनुसार सफलता मिली है? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या वर्तमान में उक्त योजना चालू है?

उत्तर

(1) जी, हां। बकरा, बकरी संवर्द्धन केन्द्र रामसर वर्ष 1981 से 1993 तक स्वीस सरकार के सहयोग से कार्यरत रहा है। वर्ष 1993 के बाद उक्त केन्द्र राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

(2) जी, हां। खसरा नम्बर सहित भूमि का विवरण सूची-क पर अंकित है।

(3) जी, हां। उपलब्ध करायी राशि एवं व्यय का विवरण सूची-ख पर अंकित है।

(4) जी, हां। योजना के क्रियान्वयन से उन्नत नस्ल के बकरों का वितरण कर पशुपालकों द्वारा योग्य बकरे की नस्ल अपनायी जा रही है। राजस्थान में बकरा, बकरी की संख्या में वर्ष 1992 की तुलना में 1997 में 12.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पशुपालकों को बकरीपालन की नवीनतम जानकारी, प्रशिक्षण, आदि उपलब्ध करवाने से लाभ हुआ है।

(5) जी, हां। वर्तमान में उक्त योजना कार्यरत है।

सूची-"क"

रामसर बकरी फार्म की जमीन का विवरण

खसरा नम्बर	बिघा	बिस्वा	खसरा नम्बर	भूमि
1	2	3	4	5
5468	6.0	12	5519	2.10
5469	9.0	18	5520	11.15
5470	11	17	5521	9.14
5471	6	6	5522	9.17
5472	6	5	5523	9.14
5473	15	11	5524	9.14
5474	6	5	5525	6.11
5475	5	4	5526	26.13
5476	3	19	5527	3.12
5477	5	15	5528	0.5
5478	3	80	5529	19.3
5479	29	18	5530	12.12
5480	8	6	5531	11.7
5481	11	6	5532	14.13
5482	9	11	5533	10.3
5483	8	11	5534	0.14
5484	7	12	5535	14.13
5485	5	7	5536	4.18
5486	6	1	5537	26.14
5487	6	16	5338	0.15

1	2	3	4	5
5488	7	00	5539/2	117.13.10
5489	1	11	5540	2.5
5490	20	7	5541	65.11
5491	14	15	5542	14.10
5492	13	2	5543	10.17
5493	12	1	5544	10.19
5494	9	1	5545	17.15
5495	9	6	5546	0.2
5496	12	16	5547	27.13
5497	13	15	5548	0.11
5498	13	6	5549	60.19
5499	26	5	5550	60.10
5500	17	1	5551	60.15
5501	1	6	5552	8.00
5502	0	8	5553	6.13
5503	12	14	5554	12.4
5504	11	15	5555/1	15.00
5505	7	2	5556	1.5
5506	4	8	5557	0.2
5507	5	6	5558/2	3.4
5508	1	11	5560/2	9.17
5509	0	1	5561	2.7

1	2	3	4	5
5510	0	12	5562	3.4
5511	8	9	5563	6.1
5512	0	14	5564	14.18
5513	6	5	5565	14.19
5514	6	13	5566	3.12
5515	7	17	5567	3.00
5516	7	9	5568	12.11
5517	1	18	5569	6.14
5518	6	12	5570	10.6
			5571	15.00
			5572	12.00
			5573	11.14
			5574	28.6
			5575	1.3
			5576/1	1.12
			5577/1	2.4
			5578/1	2.2
			5579	0.12
			5580	0.7
			5581/1	1.5
			5582/1	0.12

खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)
5605/1	0.7
5606/1	1.12
5608	0.12
5609	0.8
5610/2	1.10
5611	0.12
5612/2	3.10
5614/2	0.3
5615/2	0.4
5616/2	1.19
5620/2	0.01
5622/1	0.8
5624/2	0.11
5625/2	1.4
5626/2	5.16
कुल भूमि :	1445 बीघा

विवरण सूची-ख

गत छह वर्षों में बकरी विकास परियोजना हेतु आयोजना/गैर आयोजना मद में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण

राशि रु. लाखों में

क्र.सं.	वर्ष	गैर आयोजना		आयोजना		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	1995-96	16.90	16.47	24.57	24.18	41.47	40.65
2.	1996-97	17.10	17.08	26.10	25.72	43.20	42.80
3.	1997-98	41.35	40.62	7.30	6.04	48.65	46.66
4.	1998-99	30.16	28.13	5.50	5.17	35.36	33.30
5.	1999-2000	15.18	14.50	3.90	3.00	19.08	17.50
5.	2000-2001 (फरवरी 2001 तक)	14.00	10.96	3.65	3.62	17.65	14.58
	महायोग	**134.69**	**127.76**	**71.02**	**67.73**	**205.71**	**195.49**

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में अभिवृद्धि

31. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 1970-1980 के दशक के बजाय शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कहीं दुगुनी और कहीं तिगुनी और बाड़मेर जिले में चार गुनी तक बढ़ गई है? यदि हां, तो जिलेवार वर्ष 1970-1980 के आंकड़े वर्तमान की तुलना करते हुये सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण राज्य के अन्य जिलों के शिक्षित बेरोजगारों की नियुक्तियां उक्त जिलों में करना है?

(3) क्या सरकार उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों (कानूनगो) की राय लेकर कानून में परिवर्तन कर सहयोग प्रदान करेगी? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आंकड़े वर्ष 2000 से तुलना करते हुए वर्ष 1970-1980 के वर्षवार बढ़ी हुई संख्या का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'-1

शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति : — रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी वर्ष 1970

क्रम. संख्या	रोजगार कार्यालय का नाम	मैट्रिक	हायर सैकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1561	2767	655	–	4983
2.	अलवर	1677	1495	391	–	3563
3.	बांसवाड़ा	361	266	46	–	673
4.	बारां	–	–	–	–	–
5.	बाड़मेर	206	160	32	–	398
6.	भरतपुर	1716	1055	368	–	3139
7.	भीलवाड़ा	774	740	126	–	1640
8.	बीकानेर	1132	1292	205	–	2629
9.	बून्दी	–	–	–	–	–
10.	चित्तौड़गढ़	505	620	161	–	1286
11.	चूरू	464	612	128	–	1204
12.	दौसा	–	–	–	–	–
13.	धौलपुर	–	–	–	–	–
14.	डूंगरपुर	291	189	32	–	512
15.	हनुमानगढ़	–	–	–	–	–
16.	जयपुर	6286	2923	2564	1443	13216
17.	जैसलमेर	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
18.	जालौर	–	–	–	–	–
19.	झालावाड़	420	241	68	–	729
20.	झुंझुनूं	784	649	191	–	1624
21.	जोधपुर	1117	1262	393	–	2772
22.	कोटा	1958	1739	425	–	4122
23.	नागौर	244	605	72	–	921
24.	पाली	501	434	71	–	1006
25.	राजसमन्द	–	–	–	–	–
26.	सवाईमाधोपुर	1057	1582	188	–	2827
27.	सीकर	998	544	164	–	1706
28.	सिरोही	488	288	81	–	857
29.	श्रीगंगानगर	1361	607	219	–	2187
30.	टोंक	–	–	–	–	–
31.	उदयपुर	940	1185	355	–	2480
	योग :	24841	21255	6935	1443	54474

परिशिष्ट-'अ'-2

शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति : — रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी वर्ष 1980

क्रम. संख्या	रोजगार कार्यालय का नाम	मैट्रिक	हायर सैकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	2934	5005	2579	–	10518
2.	अलवर	3164	4192	2130	–	9486
3.	बांसवाड़ा	1005	1332	348	–	2685
4.	बारां	–	–	–	–	–
5.	बाड़मेर	655	792	335	–	1782
6.	भरतपुर	3470	4235	1931	–	9636
7.	भीलवाड़ा	1721	2375	798	–	4894
8.	बीकानेर	1694	2280	1245	–	5219
9.	बून्दी	470	737	204	–	1411
10.	चित्तौड़गढ़	908	1584	523	–	3015
11.	चूरू	953	1114	475	–	2542
12.	दौसा	–	–	–	–	–
13.	धौलपुर	–	–	–	–	–
14.	डुंगरपुर	525	787	410	–	1722
15.	हनुमानगढ़	–	–	–	–	–
16.	जयपुर	11774	15715	14314	4825	46628
17.	जैसलमेर	438	440	109	–	987

1	2	3	4	5	6	7
18.	जालौर	562	734	175	–	1471
19.	झालावाड़	771	1100	338	–	2209
20.	झुंझुनूं	4042	3416	1704	–	9162
21.	जोधपुर	2832	2891	1473	–	7196
22.	कोटा	2656	4173	1704	–	8533
23.	नागौर	2427	2479	1920	–	6826
24.	पाली	1759	1814	547	–	4120
25.	राजसमन्द	–	–	–	–	–
26.	सवाई माधोपुर	2796	2195	974	–	5965
27.	सीकर	1696	2404	1080	–	5180
28.	सिरोही	728	810	194	–	1732
29.	श्रीगंगानगर	2970	2004	1518	–	6492
30.	टोंक	991	1384	427	–	2802
31.	उदयपुर	2992	3360	1992	–	8344
	योग :	56933	69352	39447	4825	170557

परिशिष्ट-'अ'-3

शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति : — रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी वर्ष 2000

क्रम. संख्या	रोजगार कार्यालय का नाम	मैट्रिक	हायर सैकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	7038	5723	4990	287	18038
2.	अलवर	17805	12764	6993	589	38151
3.	बांसवाड़ा	4198	4669	2327	31	11225
4.	बारां	2115	2365	1629	41	6150
5.	बाड़मेर	2310	2878	1594	14	6796
6.	भरतपुर	14072	6272	7591	131	28066
7.	भीलवाड़ा	6982	5776	3441	361	16560
8.	बीकानेर	4471	3837	2643	2241	13192
9.	बून्दी	3166	3473	1610	68	8317
10.	चित्तौड़गढ़	3169	5546	3312	111	12138
11.	चूरू	3764	4505	1757	62	10088
12.	दौसा	8254	7760	4834	121	20969
13.	धौलपुर	3320	3460	3215	110	10105
14.	डुंगरपुर	1427	2121	2854	230	6632
15.	हनुमानगढ़	4143	4478	3158	112	11891
16.	जयपुर	36554	49077	46109	13832	145572
17.	जैसलमेर	1291	882	442	27	2642

1	2	3	4	5	6	7
18.	जालौर	1601	2473	1348	65	5487
19.	झालावाड़	3064	3478	1321	72	7935
20.	झुंझुनूं	10103	8101	6923	278	25405
21.	जोधपुर	10162	7517	5794	1696	25169
22.	कोटा	9327	9766	3093	748	22934
23.	नागौर	5650	5779	7057	35	18521
24.	पाली	3142	3622	2656	233	9653
25.	राजसमन्द	1709	1696	862	42	4309
26.	सवाई माधोपुर	8701	4467	4220	343	17731
27.	सीकर	6004	3879	4529	143	14555
28.	सिरोही	1743	2340	1052	37	5172
29.	श्रीगंगानगर	4981	3880	4833	153	13847
30.	टोंक	3803	6166	2560	120	12649
31.	उदयपुर	5653	8440	4516	906	19514
	योग :	199722	197190	149263	23239	569414

उद्योगपतियों से बकाया बिक्री कर की वसूली

32. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्रदेश के किस-किस उद्योगपति पर कितनी-कितनी बिक्री कर राशि कब-कब से बकाया है? क्या सरकार उक्त बिक्री कर वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक?

(2) अब तक उक्त राशि वसूल नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे?

(3) गत तीन वर्षों में कब-कब किस-किस उद्योग/उद्योगपति को कितनी-कितनी राशि माफ की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के आधार पर उद्योगों व उद्योगपतियों पर बिक्री कर की बकाया की राशि का विवरण संलग्न-"अ" पर है। राज्य सरकार इस राशि को नियमानुसार वसूलने का विचार रखती है।

(2) बिक्री कर विभाग द्वारा राशि वसूल किये जाने के लिये नियमानुसार प्रयत्न व कार्यवाही की जाती है। कुछ प्रकरण में न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण रिकवरी नहीं हो पाती है तथा कतिपय प्रकरणों में औद्योगिक इकाइयां मंदी के कारण राशि जमा नहीं करवा पाती है। कुछ इकाइयां बन्द हो जाती है तथा उनके स्वामी क पता नहीं चल पाता है। विलम्ब से राशि जमा करवाने पर 2% प्रतिमाह की दर से दण्डनीय ब्याज वसूला जाता है।

(3) वाणिज्य कर विभाग को केवल ब्याज तथा शास्ति माफ करने की शक्तिय प्राप्त है। बिक्री कर माफ नहीं किया जात है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत झाझरवा कला (बागीदौरा) में स्वीकृत कार्य

33. **श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कं कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा कं ग्राम पंचायत झाझरवा कला पंचायत समिति बागीदौरा में वर्ष 1994 से 2000 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत हुए? सूचं सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायत में जवाह रोजगार योजना प्रथम व द्वितीय ग्रान्टीनेट टी.एफ.सी., एस.एफ.सी., सुनिश्चित रोजगा योजना, अपना गांव-अपना काम निर्बन्ध, बत्तीस जिला बत्तीस योजना, सांसद मद, जवाह ग्राम समृद्धि योजना हेतु किस-किस कार्य के नाम, कुल कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जीतमल)

(3) उक्त योजनाओं में श्रम एवं सामग्री पेटे कितनी राशि स्वीकृत थी एवं कौन-कौन से कार्य पर श्रमिकों की कितनी संख्या थी और प्रति मजदूर को प्रतिदिन का क्या भुगतान किया गया?

(4) सामग्री पेटे कौनसी सामग्री के नाम किन-किन फर्म या ठेकेदार या व्यापारी के नाम कितनी राशि का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत झाझरवा कला पंचायत समिति बागीदौरा में वर्ष 1994 से 2000 तक विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'अ' में अवलोकनीय है।

(2) उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य तथा उन पर व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'अ' में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) उक्त कार्यों के संदर्भ में श्रम एवं सामग्री के पेटे स्वीकृत राशि, कार्यों में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं मजदूरी की दर परिशिष्ट-'अ' में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(4) सामग्री के पेटे उक्त कार्यों के संदर्भ में फर्म/ठेकेदार को की गई राशि के भुगतान एवं सामग्री का विवरण परिशिष्ट-'ब' में अवलोकनीय है।

परिशिष्ट-'अ'

ग्राम पंचायत झांझरवाकला पंचायत समिति बागीदौरा क्षेत्र में वर्ष 1994 से 2000 तक किये गये कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत राशि		व्यय राशि		कुल श्रमिकों दिवसों की संख्या	प्रतिदिन मजदूरी रु.
			श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जवाहर रोजगार योजना प्रथम : —							
	1. पा. वि. छापरा एक कक्ष	539/17.9.96	0.552	0.368	0.324	0.591	750 श्र. 300 का.	30/35 श्र. 80 का.
	2. उ. प्रा. वि. झांझरवा कला एक कक्ष	734/7.12.97	0.552	0.368	0.509	0.405	762 श्र. 362 का.	30/40 श्र. 80 का.
	3. सड़क छापरा से महादेव मन्दिर	19/4.10.99	0.360	0.240	0.514	0.086	1285 श्र.	40
	4. उप्रावि. झांझरवाकला एक कक्ष	1025/12.12.97	0.600	0.400	0.689	0.389	1400 श्र. 290 का.	30/35 श्र. 80 का.
2.	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय : —							
	1. उप्रावि. झांझरवाकला 4 कक्ष	4867.69/9.5.94	1.800	1.200	0.454	2.55	1109 श्र. 325	22/24 श्र. 60/70 का.

(कक्ष का अधूरा कार्य ठेके पर करवाया गया।)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. उप्रावि. झांझरवाकला 1 कक्ष	0251/2.12.97	0.60	0.40	0.60	0.40	कार्य ठेके पर करवाया गया	
	3. सड़क झांझरवा कला से झांझरवाखूर्द	1254/31.3.99	0.600	0.400	0.872	0.124	2180 श्र.	40
3. दसवा/राज्य वित्त आयोग : —								
	1. सड़क मेन रोड से उप्रावि. झांझरवा कला	402/3.6.99	0.250	–	0.250	–	625 श्र.	40
	2. रा.मा.पा. झांझरवापाड़ा	2079/15.5.99	0.740	1.400	0.718	1.420	1240 श्र. 185 का.	40 श्र. 120 का
4. सुनिश्चित रोजगार योजना : —								
	1. प्रावि. जूनी गांगड़तलाई	6933-42/13.8.97	0.600	0.400	0.606	0.394	1375 श्र. 195 का.	30/40 श्र. 80 का.
5. निर्बन योजना : —								
	1. सड़क उप्रावि झांझरवाकला से काम्बुडी	4716-20/13.8.98	0.480	0.320	0.547	0.250	1670 श्र.	30/35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :—								
	1. सार्व. कूप झांझरवाकला	1482/9.6.2000	0.420	0.280	0.499	0.200	951 श्र. 99 का.	40 श्र. 120 का.
	2. सड़क खोडियार माता से ज्योतिशवर मंदिर	1482/9.6.2000	0.360	0.240	0.520	0.080	1300 श्र.	40
	3. सार्व. कूप भूरी सेर	1/1.5.2000	0.300	0.200	0.352	0.145	730 श्र. 50 का.	40 श्र. 120 का.
	4. बस स्टेण्ड मरम्मत भूरी सेर	1/1.5.2000	0.060	0.040	0.0728	0.027	104 श्र. 26 का.	40 श्र. 120 का.
7. ग्रान्ट इन एड :—								
	1. सड़क बस स्टेण्ड से प्रावि. भूरी सेर मरम्मत	4297/17.12.99	0.060	0.040	0.080	–	200 श्र.	40 श्र.

ह.
विकास अधिकारी, पं. समिति-बागीडोरा
बांसवाड़ा

ह.
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांसवाड़ा

श्र=श्रमिक
का=कारीगर

परिशिष्ट-"ब"

ग्राम पंचायत झाझरवा कला (पं. स. बागीदौरा) क्षेत्र के लिये विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1994 से वर्ष 2000 तक क्रय की गई सामग्री का फर्म वार/व्यापारीवार विवरण

क्र.सं.	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सामग्री का विवरण	बिल नं. व दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री लक्ष्मण/धुलिया टाण्डा	ईंट, रेती	4/16.9.98	8000.00
2.	श्री राम स्टोन ट्रेडर्स बांस.	पत्थर पट्टी, सीमेन्ट	5/16.9.98	20140.00
3.	भारद्वाज इजी. आयरन वर्क्स बागीदौरा	दरवाजा, खिड़की	6/16.9.98	4150.00
4.	गुलाम हुसैन हाजी जाफर अली बांसवाड़ा	गर्डर	7/16.9.98	7276.00
5.	लक्ष्मण/धुलिया टाण्डा	ईंट	11/14.12.98	980.00
6.	भारद्वाज इजी. बागीदौरा	दरवाजा, खिड़की	22/30.3.99	4125.00
7.	गुलाम हुसैन बांसवाड़ा	गर्डर	23/30.3.99	6726.00
8.	श्रीराम स्टोन ट्रेडर्स बांस.	पट्टीयां	25/30.3.99	7752.00
9.	भख्ता वेलजी पटेल आनन्दपुरी	सीमेन्ट, ईंट, रेती	27/30.3.99	20383.00
10.	रावत कृषि फार्म भोगपुरा	मोरम	18/18.12.99	8600.00
11.	रावत कृषि फार्म भोगपुरा	मोरम	13/16.09.99	3200.00
12.	रावत कृषि फार्म भोगपुरा	मोरम	19/14.12.99	9200.00
13.	भारद्वाज इजी. बागीदौरा	खिड़की, दरवाजा	3/25.5.99	14000.00
14.	जोसी सीमेन्ट बागीदौरा	सीमेन्ट	4/25.5.99	26000.00
15.	एस.आर. बिल्डर्स बांस.	पट्टीयां	5/15.6.99	19695.00

1	2	3	4	5
16.	गुलाम हुसैन बांसवाड़ा	गर्डर	6/16.6.99	12376.00
17.	लक्ष्मण/धुलिया टाण्डा	पत्थर, रेती, ईंट	2/25.5.99	40000.00
18.	लक्ष्मण/धुलिया टाण्डा	ईंट, रेती	14/23.9.99	30000.00
19.	भारद्वाज इन्जी. बागीदौरा	दरवाजा, खिड़की	21/30.3.99	4100.00
20.	हाजी गुलाम हुसैन बांस.	गर्डर	24/30.3.99	7276.00
21.	श्रीराम स्टोन बांसवाड़ा	पट्टी	26/30.3.99	7752.00
22.	मखा/वेलजी पटेल	सीमेंट, ईंट, पत्थर	28/30.3.99	20272.00
23.	मखा/वेलजी पटेल	मोरहम, गिट्टी	30./30.3.99	25000.00
24.	दोसी सीमेंट बागीदौरा	सीमेंट	1/27.5.2000	5000.00
25.	शिव कृषि भूमि	रेती	2/1.6.2000	4350.00
26.	शिव कृषि भूमि	पत्थर	3/27.5.2000	5200.00
27.	शिव कृषि भूमि	मोहरम	1/16.9.2000	8000.00
28.	दोसी सीमेन्ट बागीदौरा	सीमेंट	2/2.6.2000	2000.00
29.	शिव कृषि भूमि	रेती	11/1.6.2000	720.00
30.	दोसी सीमेंट बागीदौरा	सीमेंट	3/27.6.2000	6250.00
31.	शिव कृषि भूमि	पत्थर	2/24.6.2000	8000.00
32.	शिव कृषि भूमि	रेती	1/22.6.2000	5800.00
33.	मै. अब्दुल मजीद/अ. सत्तार गांगड़ तलाई	रेती	निल/2.10.95	7000.00
34.	—"—	पत्थर	निल/2.01.96	12000.00
35.	मै. एम. एस. ब्रिक्स सप्लाई सुखसर, संतरामपुर	ईंट	2091/29.12.95	7125.00

1	2	3	4	5
36.	मै. तमन्ना सप्लायर वर्क्स गांगड़ तलाई	सीमेंट, गिट्टी	7/1.1.96	14500.00
37.	मै. हनुमान वेल्डिंग वर्क्स, बागीदौरा	दरवाजा, खिड़की	163/1.1.96	4800.00
38.	मै. गुलाम हुसैन हाजीजाफर अली, बांसवाड़ा	गर्डर	102/1.1.96	3456.00
39.	मैसर्स श्रीराम स्टोन ट्रेडर्स, बांसवाड़ा	पट्टियां	234/1.1.96	8640.00
40.	मैसर्स एम.आर. रोड़ लाइन्स बांसवाड़ा	रेती	25/1.1.96	1675.00
41.	मैसर्स गरासीया शारदा एग्रो. सप्लायर्स, लंकाई.	पत्थर	4/4.4.94	9600.00
42.	—"—	रेत	6/4.4.94	5600.00
43.	मैसर्स बदामीलाल रतनलाल बागीदौरा	सीमेन्ट	153/15.3.94	15750.00
44.	मैसर्स ओम बजरंग आयरन वर्क्स, गांगड़ तलाई	दरवाजा, खिड़की	निल/28.5.94	5122.00
45.	मैसर्स शब्बीर हुसैन अली भाई, बागीदौरा	पत्थर	29/13.3.94	5003.00
46.	मैसर्स रामचन्द्र जी शर्मा, फालोद	सीमेन्ट	134/8.2.94	5250.00
47.	मैसर्स मान सेंग/वलमा मैसर्स वासुदेव/पुंजा सल्लोपाट	सीमेन्ट, सरिया मय मजदूरी छत छलवाई	निल/8.11.94 (ठेके पर)	50000.00 (अधुरा कार्य ठेके पर करवाया गया)

1	2	3	4	5
48.	मैसर्स रामचन्द्र शर्मा सल्लोपाट	रेत, ईंट, पत्थर, सीमेन्ट, गर्डर, पट्टिया, गिट्टी आदि	निल/24.1.95 (ठेके पर)	100000.00 (कार्य ठेके पर करवाया)
49.	मैसर्स रमेश गरासीया धुलीयागढ़	पत्थर, रेती	निल/16.5.97	15000.00
50.	मैसर्स बदामीलाल रतन लाल बागीदौरा	सीमेन्ट	182/25.1.96	31625.00
51.	मैसर्स गोविन्द प्रसाद गणेशदास शर्मा, सल्लोपाट	ईंट, रेती, पत्थर	15/1.4.97	20800.00
52.	मैसर्स गुलाम हुसैन हाजी जाफर अली, बांसवाड़ा	गर्डर	195/1.2.97	4828.00
53.	मैसर्स जैन स्टोन सप्लायर्स, बांसवाड़ा	पत्थर	निल/1.2.97	3627.00
54.	मैसर्स गुलाम हुसैन हाजी जाफर अली, बांसवाड़ा,	गर्डर	314/24.2.98	1208.00
55.	मैसर्स जैन स्टोन सप्लायर्स, बांसवाड़ा	पत्थर	निल/24.2.98	8725.00
56.	मैसर्स जयश्री आयरन वर्क्स, बाड़ोदिया	दरवाजा खिड़किया	160/1.1.96	12000.00
		कुल योग :		7.052 लाख

ह.
विकास अधिकारी
पंचायत समिति बागीदौरा (बांसवाड़ा)

ह.
परियोजना निदेशक
(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांसवाड़ा-राज

जयपुर शहर के अपूर्ण चिकित्सालय भवन

34. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी चिकित्सालयों व मेडीकल कालेजों में बनाये जा रहे भवन अपूर्ण हैं? यदि हां, तो जयपुर शहर में ऐसे कौन-कौन से भवन बन रहे हैं जो अपूर्ण हैं तथा उनमें कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और पूर्ण करने के लिए कितनी-कितनी राशि और व्यय होगी?

(2) उक्त भवनों का कार्य कब-कब शुरू हुआ था तथा कब-कब पूर्ण होने की योजना थी और पूर्ण नहीं होने के क्या-क्या कारण रहे?

(3) उक्त भवनों की लागत शुरू में कितनी थी और अब पूर्ण करने पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवनों के उपयोग के लिए कुछ उपकरण भी खरीद लिये गये थे? यदि हां, तो क्या-क्या और कब-कब कितनी-कितनी राशि के और क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। निदेशालय स्तर से जयपुर शहर में किसी भी चिकित्सालय का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में 5 भवन बनाये जा रहे हैं जो अपूर्ण हैं। अपूर्ण भवनों पर अब तक 1810.95 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है।

वर्तमान में अपूर्ण भवन निम्नलिखित हैं :—

1. ट्रोमा अस्पताल।
2. न्यूरोसर्जरी भवन।
3. महिला चिकित्सालय ओ.टी. व लेबररूम।
4. दन्त महाविद्यालय।
5. पुस्तकालय।

उक्त की व्यय राशि व वांछित राशि की सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न के इस भाग के लिए प्रतिउत्तर की सूची संलग्न है।

(3) उक्त भवनों की प्रारम्भिक लागत 1980.00 लाख रुपये थी जो पूर्ण होने तक 2931.03 लाख होने की सम्भावना है। न्यूरोसर्जरी भवन की लागत बढ़ने का प्रमुख कारण आवास विकास संस्थान का अवसायन होना है। तथा अधिक राशि में वह भी शामिल है जो पूर्व में आवास विकास संस्थान ने शामिल नहीं किया था। दन्त चिकित्सालय की प्रारम्भिक लागत से लागत बढ़ गई।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

इस सम्बन्ध में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भवन अब तक बन गया है। वह चिकित्सालय है उसे चालू कर दिया जाये तथा छात्रावास जिस पर 100 लाख रुपये व्यय होंगे उसका निर्माण करवा लिया जाय यह कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जा रहा है। अन्य सूचना के लिये सूची संलग्न है।

(4) जी, हां। भवनों के उपयोग के लिए कुछ उपकरण खरीद लिये गये थे, जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुराने भवन में काम आ रहे हैं। जिनके नाम व क्रय राशि निम्न प्रकार है। इनका उपयोग पुनः नये भवनों में होने लग जायेगा :

उपकरणों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	क्रय राशि लाखों में
1.	रेपीडओटो क्लेब	2.11
2.	वेन्टी लेटर्स	24.31
3.	आपरेशन टेबल मेनूअल	2.59
4.	आपरेशन टेबल इलेक्ट्रिक	13.67
5.	आई.सी.यू. बैड (20)	5.04
6.	आपरेशन लाइट (3)	12.03
7.	मोनीटर्स (11)	8.47
	कुल :	68.22 लाख

अपूर्ण व निर्माणाधीन कार्यों की सूची

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आरम्भ होने की दिनांक	अनुमानित लागत	अब तक हुआ व्यय	पूर्ण करने के लिए वांछित राशि	पूर्ण करने की पूर्व तिथि	कार्य की अनुमानित कुल लागत तिथि	पूर्ण होने की संभावित तिथि	समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ट्रोमा अस्पताल, विद्याधर नगर, जयपुर	8.2.98	700.00	579.72	371.28	13.3.2000	700.00	–	राज्य सरकार के निर्णयानुसार कार्य बन्द है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	न्यूरोसर्जरी भवन प्रारम्भिक-आवास-विकास संस्थान, हाउसिंग बोर्ड	31.1.96	250.00 −120.00 130.00	961.24	42.79	30.6.98	404.03	15.4.2001	यह कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा पूर्ण किया जाना था, जिसका अनुसाधन होने के कारण। उसके द्वारा रु. 130 लाख का ही निर्माण कार्य कराया जा सका। तदुपरान्त कार्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
	हाउसिंग बोर्ड		274.03						
		कुल :	404.03						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	महिला चिकित्सालय लैबर रूम व ओ.टी. काम्पलैक्स	15.1.99	130.00	105.99	24.01	14.7.2000	130.00	–	कार्य प्रगति पर है। कार्य का पूर्ण होना भुगतान उपलब्धता पर।
4.	दन्त चिकित्सा महा-विद्यालय एवं चिकि.	7.4.95 (12.9.94)							
	प्रारम्भिक		900.00						भूमि के विक्रय से
	संशोधित बढ़ोतरी	12.9.95	345.00	1015.00	682.00	7.4.97	1697.00	–	प्राप्त होने वाली
	संशोधित बढ़ोतरी	6.1.2000	452.00						राशि से पूर्ण किया
			1697.00						जाना सम्भव होगा।
		योग :	2931.03	1810.95	1336.17		2931.03		

* पुस्तकालय में बिजली फिटिंग का कार्य चल रहा है।

जिला बून्दी में बीहड़ सुधार कार्यक्रम

35. **श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा बून्दी जिला अन्तर्गत बीहड़ सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कार्य करवाने हेतु समितियों का गठन किया जाता हैं यदि हां, तो चमावली, बाड़िया, डागाहेडी, बुडेल, उतराना, खेड़ली देवजी, काकरा की समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कृषकों से 20% राशि ली जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि बुडेल, डागाहेड़ी, चमावली, बडिया, उतराना, काकरा, खेड़ली देवजी के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा बून्दी जिला अन्तर्गत बीहड़ सुधार कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। बून्दी जिले में जल ग्रहण विकास कार्यक्रम सुनिश्चित रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(2) जी, हां। सरकार द्वारा कार्य करवाने हेतु ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत जलग्रहण क्षेत्रवार जलग्रहण समितियां एवं राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत ग्रामवार यूजर्स समितियों का गठन किया जाता है।

चमावली, बाड़िया, बुडेल, उतराना, खेड़ली देवजी, काकरा ग्रामों सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत 5 जलग्रहण क्षेत्रों में गठित जलग्रहण कमेटियों की सूची परिशिष्ट-अ, ब, स, द, य पर संलग्न है। डागाहेड़ी गांव का क्षेत्र किसी योजना में नहीं आने के कारण इस ग्राम हेतु जल ग्रहण समिति गठित नहीं की गई है।

(3) जी नहीं, कृषकों से 20 प्रतिशत राशि नहीं ली जाती है। जलग्रहण योजना के कार्य क्षेत्र के लाभान्वित कृषकों से 10 प्रतिशत राशि सामान्य कृषकों से तथा 5 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति-जन जाति एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों से नकद, श्रम एवं सामग्री के रूप में ली जाती है। उक्त राशि को जलग्रहण विकास कोष में जमा कराया जाकर जल ग्रहण विकास कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त राशि जलग्रहण क्षेत्र में करवाये गये कार्यों के संधारण/रख-रखाव हेतु जलग्रहण कमेटी को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) जी, नहीं। ग्राम बुडेल, डागाहेड़ी, चमावली, बाड़ियां, उतराना, काकरा, खेड़ली देवजी के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान माह फरवरी, 2001 तक किया जा चुका है।

परिशिष्ट-'अ'

जलग्रहण कमेटी खेड़ली ए की सूची लाभान्वित ग्राम बुडेल व उतराना

क्र.सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	जाति	पता	पद
1.	श्रीमती बजरंगी बाई पत्नि भैरूलाल जी	मीणा	बुडेल	सदस्य
2.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री गोपाल जी	मीणा	बुडेल	सदस्य
3.	श्री मोडूलाल पुत्र श्री गोपीराम जी	मीणा	बुडेल	सदस्य
4.	श्री श्रीमती फोरीबाई पत्नि नन्द किशोर जी	मीणा	बुडेल	सदस्य
5.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री जयलाल जी	मीणा	बुडेल	अध्यक्ष
6.	श्री जगन्नाथ पुत्र मंगला जी	मीणा	बुडेल	सदस्य
7.	श्री सोजीलाल पुत्र मोडुलाल जी	गुर्जर	उतराना	सदस्य
8.	श्री मोडूलाल पुत्र गोपाल जी	बैरवा	उतराना	सदस्य
9.	श्री काशीराम पुत्र मंगला जी	मीणा	बुडेल	सदस्य
				(वार्ड मेम्बर)
10.	श्री शक्ति सिंह ज.ग्र.वि.भू.स. सदस्य			सदस्य

परिशिष्ट-'ब'

जलग्रहण कमेटी खेड़ली-'बी' की सूची लाभान्वित ग्राम डगारियों की बाड़ियां व ठिकरी

क्र.सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	जाति	पता	पद
1.	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सावलसिंह जी	राजपूत	डगारियां	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शंकरी बाई पत्नी बाबूलाल जी	माली	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
3.	श्री रामपाल पुत्र रतना जी	माली	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
4.	श्री लदूर पुत्र गोपाल जी	गुजर	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
5.	श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र हरिचन्द्र जी	माली	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
6.	श्री अमर लाल पुत्र रामनाथ जी	माली	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
7.	श्री फतेह लाल पुत्र गणेशलाल जी	माली	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
8.	श्री जगन्नाथ पुत्र देवा जी	गुजर	ठीकरी	सदस्य
9.	श्री गंगाधर पुत्र लक्ष्मण जी	गुजर	छप्पनपुरा	सदस्य (वार्ड मेम्बर
10.	श्री शक्ति सिंह क. अभि.		क. अभि. (सदस्य जग्रवि. दल)	

परिशिष्ट-'स'

जलग्रहण कमेटी खेड़ली-'सी' की सूची लाभान्वित ग्राम उतराना व कांकराडूंगर

क्र.सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	जाति	पता	पद
1.	श्री बजरंग लाल पुत्र नारायण जी	मीणा	उतराना	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कैलाशी बाई पत्नी प्रभुलालजी	बैरवा	उतराना	सदस्य
3.	श्री राम कुवार पुत्र गोपाल जी	बैरवा	उतराना	सदस्य
4.	श्री मन्ना पुत्र बिरधा जी	मीणा	कांकरा	सदस्य
5.	श्री घनश्याम पुत्र केशरा जी	मीणा	उतराना	सदस्य
6.	श्री रामरत्न पुत्र गोबरी लाल जी	मीणा	उतराना	सदस्य
7.	श्री बजरंगलाल पुत्र कृष्णा जी	मीणा	कांकरा	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र पुत्र मोडूलाल जी	मीणा	उतराना	सदस्य
9.	श्री रामगोपाल पुत्र नारायण जी	मीणा	उतराना	सदस्य (वार्ड पंच)
10.	श्री नारायण पुत्र गोपीराम जी	गुजर	कांकरा	सदस्य (वार्ड पंच)
11.	श्री आर. पी. शर्मा जी	जलग्रहण विकास दल नेता		

परिशिष्ट-'द'

जलग्रहण कमेटी खेड़ली-'डी' की सूची लाभान्वित ग्राम प्रतापगढ़, डंडवाड़ा (डगारियां की बाड़ियां) उतराना, खेड़ली

क्र.सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	जाति	पता	पद
1.	श्री हरिशचन्द्र पुत्र मथुरालालजी	माली	डगारियां की बाड़ियां	अध्यक्ष
2.	श्रीमती छोटीबाई पत्नी सुगनप्रसाद जी	माली	डगारियां की बाड़ियां	सदस्य
3.	श्री गणपत पुत्र भूरा जी	माली	डागारियां की बाड़ियां	सदस्य
4.	श्री नन्दकिशोर पुत्र छोटू जी	माली	डागारियां की बाड़ियां	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जी	राजपूत	प्रतापगढ़	सदस्य
6.	श्री नन्दकिशोर जी पुत्र मोती जी	माली	डागारियां की बाड़ियां	सदस्य
7.	श्री कंवर लाल पुत्र कन्हैया लाल जी	माली	डागारियां की बाड़ियां	सदस्य
8.	श्री जगन्नाथ पुत्र देवा जी	गुजर	ठीकरी	सदस्य (बार्ड पंच)
9.	श्री गंगाधर पुत्र लक्ष्मण जी	गुजर	छप्पनपुरा	सदस्य
10.	श्री शक्ति सिंह जी		क. अभि. (सदस्य जग्रवि. दल)	

परिशिष्ट-'ध'

जलग्रहण कमेटी खेड़ली-'ई' की सूची लाभान्वित ग्राम कांकरा बैरवा बस्ती, कांकरा, डूंगर, ऐरिया, खेड़ली देवजी

क्र.सं.	नाम कृषक/पिता का नाम	जाति	पता	पद
1.	श्री धर्मेन्द्र पुत्र रामनारायण जी	बैरवा	कांकरा बैरवा बस्ती	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गीताबाई पत्नी मोडूलालजी	बैरवा	कांकरा बैरवा बस्ती	सदस्य
3.	श्री रामनारायण पुत्र श्रीराम जी	बैरवा	कांकरा बैरवा बस्ती	सदस्य
4.	श्री गोबरीलाल पुत्र भेरूलाल जी	मीणा	खेड़ली	सदस्य
5.	श्री मांगीलाल पुत्र मथुरालाल जी	गुजर	खेड़ली	सदस्य
6.	श्रीमती नटीबाई पत्नी लक्खा जी	बैरवा	कांकरा बैरवा बस्ती	सदस्य
7.	श्रीमती राममूर्ति पत्नी भोरपाल जी	गुजर	कांकरा डूंगर	सदस्य
8.	श्री सुखपाल पुत्र धन्नालाल जी	मीणा	कांकरा डूंगर	सदस्य
9.	श्री हरिप्रसाद पुत्र कान्हा जी	बैरवा	कांकरा बैरवा बस्ती	सदस्य
10.	श्री बिरधी पुत्र उंकार जी	मीणा	खेड़ली	सदस्य
11.	श्री चोथमल पुत्र पांचू जी	कुम्हार	खेड़ली	सदस्य (वार्ड पंच)
12.	श्री सत्यनारायण पुत्र गोपीलाल	गुजर	कांकरा डूंगर	सदस्य
13.	श्री शक्ति सिंह क. अभियंता	जलग्रहण विकास दल सदस्य		सदस्य

बीयर की बिक्री से आय

36. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999-2000 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम को पूरे प्रदेश में बीयर की बिक्री के फलस्वरूप कितना मुनाफा/घाटा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने बीयर की बोतलों को किस भाव से विक्रय करने का निर्णय वर्ष 2000-2001 के लिए किया था?

(3) क्या यह सही है कि नवम्बर, 2000 में उच्च स्तर पर विस्तृत चर्चा कर बीयर की बोतलों की खुदरा बिक्री की कीमतें घटाने का निर्णय लिया गया था?

(4) उक्त निर्णय के तहत बीयर की बोतलों की कीमत घटाये जाने के फलस्वरूप जयपुर एवं उदयपुर को छोड़कर बीयर की बोतलों की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई? जयपुर उदयपुर में हुई वृद्धि को अलग से दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अजमेर में शराब के ठेकेदारों के सुझाव पर बीयर की बोतलों की खुदरा बिक्री की कीमतों में वृद्धि कर दी गई ?यदि हां, तो इससे पर्यटन निगम की बिक्री पर उसका क्या प्रभाव पड़ा?

(6) नवम्बर, 2000 से राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा बीयर की बोतलों की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है? तथ्यात्मक स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त वर्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम को बीयर की बिक्री के फलस्वरूप कितना मुनाफा/घाटा होने की संभावना है?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम को पूरे प्रदेश में बीयर की बिक्री के फलस्वरूप 357.86 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने वर्ष समस्त स्ट्रांग बीयर रु. 50/- प्रति बोतल एवं समस्त माइल्ड बीयर रु. 45/- प्रति बोतल की दर से वर्ष 2000-2001 के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया था।

(3) जी, हां। नवम्बर, 2000 में जयपुर एवं उदयपुर के अलावा अन्य स्थानों पर संचालित बीयर दुकानों पर बीयर की बोतलों की खुदरा बिक्री की कीमतें घटाने का निर्णय लिया गया था।

(4) कीमतें घटाने के पश्चात् माह अक्टूबर, 2000 की तुलना में माह नवम्बर व दिसम्बर, 2000 में बीयर के विक्रय में

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

कमी हुई। जयपुर व उदयपुर में भी यही स्थिति रही। विक्रय के आंकड़ें परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(5) जी, हां। माह दिसम्बर में बीयर की बोतलों की बिक्री 2070 दर्जन बोतलें थी तथा लाभ 0.79 लाख रु. था। माह जनवरी, 2001 में दरों में वृद्धि करने के उपरान्त बोतलों की बिक्री बढ़कर 2094 दर्जन बोतलें हो गई तथा लाभ बढ़कर 1.58 लाख रु. हो गया।

(6) माह नवम्बर, 2000 में अक्टूबर, 2000 की अपेक्षा में (–) 17.43 प्रतिशत की गिरावट रही, दिसम्बर, 2000 में नवम्बर, 2000 की अपेक्षा में (–) 15.34 प्रतिशत की गिरावट रही, जनवरी, 2001 में दिसम्बर, 2000 की अपेक्षा में (+) 0.49 प्रतिशत की वृद्धि रही एवं फरवरी, 2001 में जनवरी, 2001 की अपेक्षा में (+) 28.16 प्रतिशत की वृद्धि रही।

विस्तृत तथ्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(7) उक्त वर्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम को बीयर बिक्री से रुपये 391.26 लाख का मुनाफा होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट "अ"

करौली जिला कलक्टर कार्यालय का निर्माण

37. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलक्टर कार्यालय करौली के निर्माण हेतु मुख्य मंत्री ने शिलान्यास कब किया था? क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय का निर्माण अभी तक भी प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त कार्यालय के बनाये जाने पर कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 3.12.2000 को शिलान्यास किया गया था। जी, हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण हेतु इसका तकनीकी प्रतिवेदन दिनांक 9.2.2001 को आमंत्रित किया गया है।

(2) इस कार्य हेतु कुल 547.00 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कोई राशि व्यय होने की संभावना नहीं है।

जिला बाड़मेर/जैसलमेर के औषधालयों में रिक्त पद

38. श्री अमीन खान (शिव) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के औषधालयों में चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में विभागीय औषधालयों / चिकित्सालयों में चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पद निम्न प्रकार है :—

जिला	रिक्त पद चिकित्सक	रिक्त पद नर्स/कम्पाउण्डर
बाड़मेर	15	27
जैसलमेर	6	12

(2) जी, हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

वर्ष 1999-2000 के बीयर की बिक्री से हुई आय-व्यय का विवरण

(रुपये लाखों में)

1.	अप्रैल, 1999	382.40	265.15	117.25	12.14	5.96	123.43
2.	मई 1999	319.76	232.32	87.44	[illegible]	16.41	90.87
3.	जून, 1999	206.59	150.34	56.25	9.42	16.86	48.81
4.	जुलाई, 1999	172.36	133.29	39.07	24.35	48.64	14.78
5.	अगस्त, 1999	141.96	112.25	29.71	9.51	2.19	37.03
6.	सितम्बर, 1999	126.83	99.70	27.13	6.52	14.07	19.58
7.	अक्टूबर, 1999	113.09	92.22	20.87	2.58	0.15	23.30
8.	नवम्बर, 1999	121.98	100.94	21.04	[illegible]	8.78	[illegible]
9.	दिसम्बर, 1999	84.80	71.99	12.81	(-)1.72	14.87	(-) 3.78
10.	जनवरी, 1999	74.28	63.56	10.72	(-)0.52	9.16	1.04
11.	फरवरी, 2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	मार्च, 2000	129.47	107.33	22.14	17.65	65.96	(-)26.17
	योग	1960.74	1502.86	457.88	114.41	214.43	357.86

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

कमी हुई। जयपुर व उदयपुर में भी यही स्थिति रही। विक्रय के आंकड़े परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(5) जी, हाँ। माह दिसम्बर में बीयर की बोतलों की बिक्री 2070 दर्जन बोतलें थी तथा लाभ 0.79 लाख रु. था। माह जनवरी, 2001 में दरों में वृद्धि करने के उपरान्त बोतलों की बिक्री बढ़कर 2094 दर्जन बोतलें हो गई तथा लाभ बढ़कर 1.58 लाख रु. हो गया।

(6) माह नवम्बर, 2000 में अक्टूबर, 2000 की अपेक्षा में (—) 17.43 प्रतिशत की गिरावट रही, दिसम्बर, 2000 में नवम्बर, 2000 की अपेक्षा में (—) 15.34 प्रतिशत की गिरावट रही, जनवरी, 2001 में दिसम्बर, 2000 की अपेक्षा में (+) 0.49 प्रतिशत की वृद्धि रही तथा फरवरी, 2001 में जनवरी, 2001 की अपेक्षा में (+) 28.16 प्रतिशत की वृद्धि रही।

विस्तृत तथ्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(7) उक्त वर्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम को बीयर बिक्री से रुपये 391.26 लाख का मुनाफा होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट-"ब"

माह अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक बीयर बिक्री का तथ्यात्मक विवरण

क्र.सं.	माह	उदयपुर बीयर बिक्री (दर्जन में)	कमी या वृद्धि प्रतिशत में	जयपुर बीयर बिक्री (दर्जन में)	कमी या वृद्धि प्रतिशत में	योग (दर्जन में)	कमी या वृद्धि प्रतिशत में
1.	अक्टूबर, 2000	7344		13913	—	21257	—
2.	नवम्बर, 2000	6078	-17.23	11473	-17.53	17551	-17.43
3.	दिसम्बर, 2000	5037	-17.12	9820	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	जनवरी, 2001	5031	-0.12	9899	+0.80	14930	+0.49
5.	फरवरी, 2001	6375	+26.71	12760	+28.90	19135	+28.16
	योग	**29865**	—	**57865**	—	**87730**	—

करौली जिला कलक्टर कार्यालय का निर्माण

37. **श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलक्टर कार्यालय करौली के निर्माण हेतु मुख्य मंत्री ने शिलान्यास कब किया था? क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय का निर्माण अभी तक भी प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त कार्यालय के बनाये जाने पर कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 3.12.2000 को शिलान्यास किया गया था। जी, हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण हेतु इसका तकनीकी प्रतिवेदन दिनांक 22.3.2001 को आमंत्रित किया गया है।

(2) इस कार्य हेतु कुल 547.00 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कोई राशि व्यय होने की संभावना नहीं है।

जिला बाड़मेर/जैसलमेर के औषधालयों में रिक्त पद

38. **श्री अमीन खान (शिव) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के औषधालयों में चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़गेर व जैसलमेर में विभागीय औषधालयों / चिकित्सालयों में चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पद निम्न प्रकार है :—

जिला	रिक्त पद	
	चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर
बाड़मेर	15	27
जैसलमेर	6	12

(2) जी, हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी के काश्तकारों को खातेदारी

39. **श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 1991 से जिन काश्तकारों से भूमि की पैनल्टी वसूल कर रही है उस भूमि पर काबिज काश्तकारों को खातेदारी हक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो खातेदारी हक कब तक दिये जावेंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजस्व विभाग परिपत्र क्रमांक प6 (21) राज-4/83 दिनांक 2.2.83 के द्वारा चरागाह भूमि पर दिनांक 1.1.70 से पूर्व तक किये गये अतिक्रमणों का नियमितिकरण करने के निर्देश जारी किये हुए हैं एवं परिपत्र क्रमांक प6(7) राज-4/77/6 एवं 12 दिनांक 1.4.91 के अन्तर्गत दिनांक 15.7.84 तक के राजकीय सिवायचक भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ किए गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके पश्चात् के अतिक्रमियों के अतिक्रमण नियमितिकरण के आदेश जारी नहीं किए गये है। इनके कब्जे वर्ष 1991 से होने के कारण उपरोक्त परिपत्रों के अन्तर्गत नियमितिकरण संभव नहीं होने से इन्हें खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

जिला चूरू के पशु चिकित्सालय

40. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गत बजट में 100 पशु चिकित्सालय व 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उप केन्द्र कहां-कहां किन मानदण्डों के अनुसार कब-कब खोले गये तथा इनमें कितने केन्द्रों पर, चिकित्सक/कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया?

(2) राज्य में कितने पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र बिना भवन के संचालित हैं तथा बिना भवन संचालित संस्थाओं के भवन बनाने की सरकार की क्या योजना है?

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कितने पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र में पशु चिकित्सक व कर्मचारियों को पदस्थापित नहीं किया है?

(4) जिला चूरू में वर्ष 2000-2001 में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों हेतु कितना बजट आवंटित किया गया तथा कितने की दवाइया कब-कब क्रय की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। नवीन पशु चिकित्सालयों व पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनको निम्न

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

मानदण्डों के अनुसार खोलने का प्रयास किया गया है।

1. दो पशु चिकित्सालयों की दूरी कम से कम 6 से 8 किलोमीटर रखी जावें।

2. पशु चिकित्सालयों का कार्य क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि उसमें पर्याप्त संख्या में पशु उपलब्ध हो।

3. पशु चिकित्सालयों हेतु निःशुल्क भवन की व्यवस्था की जाने का प्रयास किया जावें। विशेष परिस्थियों में क्षेत्र की मांग एवं पशुधन के विकास तथा उपचार की आवश्यकता के अनुसार उक्त मानदण्डों के अतिरिक्त भी पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र खोले गये है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.9.99 को 91 पशु चिकित्सालय एवं 336 उपकेन्द्र, दिनांक 10.12.99 को 8 पशु चिकित्सालय एवं 64 उपकेन्द्र तथा दिनांक 10.3.2000 को एक पशु चिकित्सालय खोलने के आदेश जारी किये गये।

नये खोले गये 100 पशु चिकित्सालयों में से 58 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों एवं पशुधन सहायक (कम्पाउण्डर) के 61 पदों की पूर्ति कर पदस्थापन कर दिया गया है तथा 400 उप केन्द्रों में से 172 उपकेन्द्रों में पशुधन सहायक (कम्पाउण्डर) के पदों की पूर्ति कर पदस्थापन कर दिया गया है।

(2) 37 पशु चिकित्सा एवं 169 उपकेन्द्र बिना भवन के संचालित हैं। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों को मध्यनजर रखते हुए नवीन पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र खोलते समय यह निर्देश प्रसारित किये थे कि इन संस्थाओं के लिए दानदाताओं, ग्राम पंचायतों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भवन निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जावें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चुरू के तीन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक, एक चिकित्सालय में पशु चिकित्सा सहायक, चार पशु चिकित्सालयों में पशुधन सहायक एवं पांच उपकेन्द्रों में पशुधन सहायक के पद रिक्त है।

(4) जिला चूरू में वर्ष 2000-2001 में विभिन्न संस्थाओं हेतु 6.48 लाख रुपये बजट आवंटन के विरुद्ध 6,67,562/- रु. की औषधियां दिनांक 9.5.2000, 3.6.2000, 21.9.2000 एवं 22.3.2001 को सप्लाई की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला कोटा में व्याख्याताओं के रिक्त पद

41. **श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती पूनम गोयल)

(1) कोटा जिले में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं, इन्हें इस वर्ष भरने की क्या व्यवस्था की गई है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ विद्यालयों में विषय तो स्वीकृत हैं लेकिन व्याख्याताओं के पद नहीं है? क्या वर्ष भर कई विषय के व्याख्याता नहीं लगाने से छात्र/छात्राओं को बड़ी असुविधा रही है? क्या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैथून (कोटा) में व्याख्याता (हिन्दी) का पद ही खतम कर दिया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा जिले में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के निम्नानुसार पद रिक्त है :—

प्रथम श्रेणी : 32

द्वितीय श्रेणी : 13

तृतीय श्रेणी : 77

रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं वार्षिक विभाग की सहमति उपरान्त पदों को भरे जाने हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

(2) जी, हां। व्याख्याता नहीं लगाये जाकर द्वितीय श्रेणी शिक्षकों से अध्यापन करवाया गया है जिसमें छात्राओं के अध्ययन अध्यापन में कोई व्यवधान नहीं आया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैथून (कोटा) में व्याख्याता का पद समानीकरण के अन्तर्गत समाप्त हो गया था अब पुनः पद स्वीकृत किया जा चुका है।

सवाई मानसिंह अस्पताल में संचालित लाइफ लाइन की ठेके की शर्तें

42. **श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत लाइफ लाइन को चलाने के लिए कोई ठेका दिया गया है? यदि हां, तो उक्त ठेका कितने वर्ष के लिए व किन शर्तों पर दिया गया है?

(2) क्या उक्त ठेके के लिए कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो अन्य ठेकेदारों की बोली व राशि व शर्त क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त ठेका 2 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया है। ठेके की शर्तें संलग्न है।

(2) जी, हां, विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गंगानगर का पंजीकृत पौधशाला प्रकरण

43. **श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 में उद्यान विभाग, श्री गंगानगर द्वारा पौधशाला स्वैच्छिक पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी पौधशाला पंजीकृत की गई?

(2) क्या इनमें से एक पौधशाला चक 6 जेड "ए" की लीला नर्सरी गार्डन श्री गंगानगर के नाम से पंजीकृत है? यदि हां, तो राजस्व रिकार्ड के अनुसार चक 6 जेड ए में श्री भगत राम पुत्र श्री सोहनलाल के नाम कोई भूमि इंद्राज है? यदि नहीं, तो पौधशाला की अनुदान राशि श्री शुभकरण लीला द्वारा किस नियमों से उठाई गई है? क्या यह नियम विरुद्ध है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशालय उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में पौधशाओं के स्वैच्छिक पंजीकरण योजनान्तर्गत श्रीगंगानगर जिले की 3 पौधशालाएं पंजीकृत की गई।

(2) जी, हां। आवेदन पत्र एवं सत्यापन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में त्रुटिवश चक-6-जेड-ए अंकित होने के कारण लीला नर्सरी गार्डन चक 6 जेड ए के नाम से वर्ष 1996-97 में पौधशाला पंजीकृत की गयी जबकि वास्तव में लीला नर्सरी गार्डन चक 6 जेड में स्थित है जिसके आवेदन पत्र में भूमि स्वामी का नाम श्री भगत राम लीला है।

राजस्व रिकार्ड पटवारी हल्का के आधार पर चक 6 जेड ए में श्री भगतराम पुत्र श्री सोहन लाल लीला के नाम कोई कृषि भूमि इन्द्राज नहीं है जो वास्तव में चक 6 जेड में है तथा वहां लीला नर्सरी गाडन स्थित है।

भूमि स्वामी श्री भगतराम लीला द्वारा दो रुपये के स्टाम्प पर श्री शुभकरण लीला को अधिकृत किये जाने के आधार पर सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा पौधशाला को दी गई सहायता राशि श्री शुभकरण लीला को भुगतान की गई।

इस पर तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर श्री बी. के. सिंह को दो रुपये के स्टाम्प पर श्री भगत राम लीला द्वारा श्री शुभकरण लीला को अधिकृत किये जाने के हस्ताक्षर किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं होने के उपरान्त भी आवेदन एवं अनुदान हेतु पावर आफ एटोनी मान लेने से श्री बी. के. सिंह के विरुद्ध विभाग द्वारा आरोप पत्र भेजा जाने पर कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण के उपरान्त श्री बी. के. सिंह को दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त करने के आदेश प्रदान किये गये।

सीकर का नव निर्मित म्युजियम भवन

44. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर में स्थित म्युजियम का भवन बने कितना समय हो गया और अब तक उसके शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं? इसके निर्माण में कितनी राशि व्यय हुई है?

(2) अब सरकार उक्त म्युजियम को कब तक शुरू कर देगी?

उत्तर

(1) सीकर स्थित म्युजियम का भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा दिनांक 22.8.95 को इस विभाग को सुपर्द किया गया है, जिसे 5 वर्ष 7 माह का समय हो चुका है। बजट के अभाव में दीर्घाओं में प्रदर्शन एवं साज-सज्जा का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संग्रहालय शुरू नहीं किया जा सका। इस भवन के निर्माण में 43,85,105/- रुपये व्यय हुए है।

(2) संग्रहालय की दीर्घाओं के गठन एवं अन्य विकास कार्यों के निमित्त ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध राशि प्राप्त होने पर संग्रहालय को वर्ष 2001-2002 में शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में अव्यवस्थित सिंचाई

45. **श्री गोरर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर के मुख्य स्रोत "हरीके बैराज" में आगामी खरीफ की बुवाई हेतु कितना पानी उपलब्ध है?

(2) क्या यह सही है कि गत रबी की फसल को पानी नहीं मिला?

(3) क्या यह भी सही है कि सिंचाई पानी की व्यवस्था चक्रीय प्रणाली से सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त बीकानेर करते हैं?

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई का नियंत्रण चार स्थान पर होता है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर तथा मुख्य अभियन्ता बीकानेर तथा जैसलमेर है?

(5) क्या यह सही है कि पंजाब तथा हरियाणा में अनधिकृत पानी लेने के बाद अन्तिम छोर जैसलमेर क्षेत्र को पानी नहीं मिला?

(6) क्या राज्य सरकार एवं नियंत्रक के अधीन पानी देने की व्यवस्था पर विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर के स्रोत हरीके बैराज में संबंधित भाखरा एवं पोंग बांध में इस वर्ष पर्याप्त जल आवक नहीं होने के फलस्वरूप आगामी खरीफ की बुवाई

(सिंचाई मंत्री)

हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध पानी से क्षेत्र में पीने हेतु आवश्यक पानी की पूर्ति करना भी मुश्किल है।

(2) बांधों में जल उपलब्धता की कमी के कारण गत रबी की फसल को आवश्यकता के अनुरूप पानी नहीं मिला है।

(3) सिंचाई पानी के वितरण का निर्णय आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास की अध्यक्षता में गठित जल वितरण एवं जल प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है।

(4) जी, हां। इंदिरा गांधी नहर को प्रशासनिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है।

(5) पंजाब द्वारा इन्दिरा गांधी फीडर एवं सरहिन्द फीडर के मध्य सम्पर्क नहर के द्वारा अनधिकृत रूप से अधिक पानी लेने के कारण नहर के अन्तिम छोर जैसलमेर क्षेत्र को पूरा पानी नहीं मिला है।

(6) वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

जिला बांसवाड़ा की स्वीकृत निर्माणाधीन अपूर्ण परियोजनाएं

46. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कौन-कौन सी स्वीकृत परियोजना निर्माणाधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में हिम्मतगढ़ सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य 2 वर्षों से बन्द है? यदि हां, तो क्यों और अब उक्त परियोजना को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि गोपालपुरा हेतु स्वीकृत परियोजना का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त परियोजना का कार्य कब तक शुरू किया जाकर पूर्ण किया जावेगा?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्तमान में माही एवं हिम्मतगढ़ी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। सूची परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। हिम्मतगढ़ी सिंचाई परियोजना की बांध एवं दांयी मुख्य नहर का कार्य ठेकेदार द्वारा माह अक्टूबर, 1999 से बन्द कर दिया था। ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध की धारा 2 एवं 3 की कार्यवाही की जाकर उक्त बांध के शेष कार्य की निविदा स्वीकृत की जा चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर परियोजना कार्य वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। राज्य की विषम वित्तीय परिस्थिति के कारण उक्त कार्य प्रारमभ नहीं किया जा सका है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कार्य शुरू किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-1

निर्माणाधीन स्वीकृत परियोजना की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	जिले का नाम
1.	माही बजाज सागर वृहद सिंचाई परियोजना	बांसवाड़ा
2.	हिम्मतगढ़ी लघु सिंचाई परियोजना	बांसवाड़ा

जिला पाली के प्राथमिकविद्यालयों में शिक्षकों के समानीकरण में स्थानान्तरण

47. **श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समानीकरण की प्रक्रिया इस सत्र में लागू की गई है? यदि हां, तो उक्त समानीकरण नीति के लिये सरकार द्वारा क्या आदेश जारी किये गये? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समानीकरण प्रक्रिया में कक्षा प्रथम की छात्र व छात्रा संख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार समानीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किये गये उक्त कक्षा एक के बालक/बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था के लिए कोई अलग से उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उसकी कार्य योजना क्या है?

(4) क्या उक्त समानीकरण प्रक्रिया से प्रभावित/अधिशेष हुए पाली जिले के विभिन्न पंचायत समितियों के अध्यापकों को अन्यत्र स्थानों पर समायोजित कर लिया गया है? यदि हां, तो पंचायत समितिवार कितनों को?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में कक्षा 2 से 5 तक विद्यार्थियों की संख्या पर आंकलित अध्यापकों के पदों का 10-20 प्रतिशत पद अतिरिक्त रूप से रखे गये हैं।

(3) कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में कक्षा 2 से 5 तक विद्यार्थियों की संख्या पर आंकलित अध्यापकों के पदों का 10-20 प्रतिशत पद अतिरिक्त रूप से रखे गये हैं।

(4) जी, हां। समायोजित किए गए अध्यापकों की पंचायत समितिवार सूचना निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पं. समिति	अधिशेष	समायोजन		
		शिक्षक	उसी पं.स.	अन्य पं.स.	योग
1.	पाली	51	27	24	51
2.	रोहट	15	15	—	15
3.	जैतारण	32	28	4	32
4.	रायपुर	36	36	—	36
5.	सोजत	32	32	—	32
6.	मा. जंक्शन	37	37	—	37
7.	बाली	38	38	—	38
8.	सुमेरपुर	16	16	—	16
9.	देसूरी	21	21	—	21
10.	रानी	14	14	—	14
	योग	292	264	28	292

परिशिष्ट-क

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/डी/समानी/3812/000-2001 **दिनांक-12/12/2000**

समस्त

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय,

समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,

....

विषय : ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदों का समानीकरण करने बाबत

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का समान रूप में उपलब्धता एवं उनके अधिकतम उपयोग को छात्र हित तथा विभागीय हित में सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता महसुस की गई है कि विद्यालय में छात्र अनुपात में शिक्षकों का समानीकरण किया जावें। इस तथ्य को मध्य नजर रखते हुये पंचायत समिति के सभी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों का अधिक से अधिक शिक्षण कार्य हेतु उपयोग किया जा सकें। यह सभी प्रक्रिया- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रमुख तथा प्रधानों से विचार विमर्श कर सम्पन्न करेंगे।

शिक्षक समानीकरण हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समानीकरण प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।

(1) सर्वप्रथम विद्यालय में कक्षा 2 से 5 तक छात्र संख्या को आधार मानें एवं उसी के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता का निर्धारण किया जावें। कोर्डनेशन कमेटी की बैठक दिनांक 21/9/99 के कार्यवाही विवरण पत्रांक एफ6(12) प्लान/ग्रुप 3/98 दिनांक ?.10.99 के अनुसार कक्षा एक की छात्र संख्या को गणना में सम्मिलित नहीं करें। कक्षा एक हेतु मानदण्डानुसार कक्षा 2 से 5 तक छात्रों की संख्या पर जितने अध्यापकों की आवश्यकता है उसका 10-20% तक अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराने के निर्देश है अतः इसी आधार पर विद्यालयवार अध्यापकों की आवश्यकता से गणना की जावेगी। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम दो अध्यापक अनिवार्य रूप से रखे जावें। प्रथम 49 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक दिया जावें उसके पश्चात् 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाए। इसी प्रकार गणना कर अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन विद्यालयवार किया जावें।

(2) जो प्राथमिक विद्यालय उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत हुए है तथा जिला शिक्षा अधिकारी ने पर्याप्त अध्यापक इन उ.प्रा.वि. में समानीकरण के तहत पदस्थापित कर दिए है, इन विद्यालयों ने पंचायत समिति के अध्यापक कार्यरत है और अधिशेष है तो इनके समायोजन के प्रस्ताव भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें।

(3) शिक्षक समानीकरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्ताव निम्न प्रपत्र में तैयार करावें—

प्रारूप-I

कार्यालय बी.ई.ई.ओ. पंचायत समिति

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	ग्राम पं.	पं.समिति छात्र संख्या कक्षा 1,2,3,4,5	छात्र संख्या योग 2,3,4,5	स्वी. पद III	मानदण्डानुसार विद्यालयों में पदों की आवश्यकता	मानदण्डानुसार अब विद्यालय में अधिशेष शिक्षक मय पद शिक्षक मय पद रिक्त पद	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. शिक्षकों समानीकरण प्रक्रिया से प्रभावित अधिशेष शिक्षकों को कार्यरत विद्यालयों के नजदीक विद्यालयों या उसी पंचायत समिति में विद्यालयों में समायोजित करे। यदि पंचायत समिति अधिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं किया जा सके तो नजदीकी पंचायत समिति में समायोजन करने हेतु प्रस्ताव मय शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी को तुरन्त प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी मांग के अनुसार अन्य पंचायत समिति के बीईईओ. को अधिशेष अध्यापकों को आवश्यकतानुसार सुपुर्द करेगा।

5. शिक्षा समानीकरण प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले अधिशेष शिक्षकों में अधिकतम ठहराव वाले शिक्षक को ही अधिशेष घोषित करें।

प्रारूप-II

अधिशेष शिक्षकों के समायोजन प्रस्ताव

क्र.सं.	अधिशेष शिक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	पं.सं.	उस विद्यालय का नाम जहां समायोजित किया जाना है	पं.स.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

अधिशेष घोषित होने वाले शिक्षकों में गंभीर विकलांगता, असाध्य रोग (कैंसर, एड्स, ह्रदय बाईपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण) विधवा तथा दो वर्ष सेवानिवृत्ति वाले शिक्षकों को जहां तक संभव हो नहीं हटाया जावें। (प्रमाण पत्र के आधार पर) इनसे कनिष्ठ अध्यापकों को हटाया जावें।

6. ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने अधिनस्थ पंचायत समिति के सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक समानीकरण प्रस्ताव नियमानुसार तैयार करेंगे तथा प्रधान पंचायत समिति से विचार-विमर्श कर प्रस्तावों की पांच प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को प्रस्तुत करेंगे 2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) प्राप्त प्रस्तावों पर जिला प्रमुख महोदय से विचार विमर्श उपरांत पूर्ण जांच कर अनुमोदन करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी संबंधित पंचायत समिति के समानीकरण से संबंधित समायोजन/स्थानान्तरण आदेश प्रसारित करेंगे।

शिक्षक समानीकरण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित न्यून छात्र संख्या वाले अनार्थिक विद्यलयों को एक किलोमीटर परिधि वाले नजदीकी विद्यालयों में मर्ज करते हुए अधिशेष शिक्षकों का समानीकरण किया जावे तथा पेपर विद्यालय जिसमें एक भी छात्र नहीं है तुरन्त बंद किया जावें एवं कार्यरत अध्यापकों को अन्यत्र पदस्थापित किया जावें। अनार्थिक एवं पेपर विद्यालयों के प्रस्ताव निम्न प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित करें।

नाम

प्रारूप-III

कार्यालय :

पेपर/अनार्थिक विद्यालय जिनको बंद अथवा विलय (मर्ज) किए जाने के प्रस्ताव कार्यालय बी.ई.ई.ओ......

क्र. सं.	नाम प्राथमिक विद्यालय	ग्राम. पं.	पंचायत समिति	पेपर शाला है अथवा अनार्थिक अंकित करें	छात्र संख्या कक्षावार 1,2,3,4,5, योग	स्वीकृत कार्यरत	विद्यालय का नाम जिसमें क्र.सं.2 में अंकित विद्यालय को मर्ज करना है।	दोनों विद्यालयों के बीच की दूरी (कालम 2 व 8)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

पंचायत समिति के अंदर समानीकरण से संबंधित समायोजन के आदेश संबंधित बीईईओ. जारी करेगा। अंतर पंचायत समिति के स्थानान्तरण/समायोजन जि. शि. अ. प्रा. शि. के माध्यम से संबंधित बीईईओ. को सुपुर्द करने पर आदेश जारी करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक समानीकरण प्रक्रिया को सम्पूर्ण मोनीटरिंग शिक्षा उपनिदेशक, (प्रा.शि.) मंडल स्तर तक एवं जि.शि.अ.(प्रा.शि.) जिले स्तर पर करेंगे ताकि विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों की स्थिति नहीं रहें।

10. ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) अपने अधीनस्थ पंचायत समिति की सूचना प्रारूप-4 में तैयार करेंगे तथा अपने नियंत्रण अधिकारी को संकलन हेतु सुपुर्द करेंगे :—

प्रारूप-IV

जिला :

क्र.सं.	पंचायत समिति	कुल स्वीकृत पद	पंचायत समिति में मानदण्डानुसार पदों की आवश्यकता	अधिशेष शिक्षक	अध्यापक रिक्त पद	मानदण्डानुसार पंचायत समिति में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता की मांग संख्या......	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुये वांछित शिक्षक समानीकरण प्रस्ताव को चार प्रतियों में प्रेषित करेंगे। समानीकरण में जानबूझकर त्रुटि की जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ह.

अतिरिक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,

राजस्थान-बीकानेर

ब्यावर में निजी संस्था द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण

48. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या ब्यावर शहर में कोई नर्सिंग प्रशिक्षण कालेज स्वीकृत है? क्या उक्त शहर में किसी निजी संस्था द्वारा अनाधिकृत तौर पर कुछ नर्सिंग विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निजी संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार किसी अधिकारी से निजी नर्सिंग होम्स की नियमित जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? निजी चिकित्सा इकाइयों को नियंत्रित करने की सरकार की वर्तमान में क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विभाग की जानकारी में ब्यावर शहर में कोई निजी संस्थान नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी, हां। निजी नर्सिंग होम्स व चिकित्सा इकाईयों को नियन्त्रित करने हेतु राज्य सरकार के अधीन प्रस्ताव विचाराधीन है।

नहर परियोजना क्षेत्र में पानी की कमी से प्रभावित फसलें

49. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि भाखड़ा, गंग कैनाल एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से वर्ष 2000-2001 की रबी की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो उक्त नहर परियोजनाओं में गत वर्ष के मुकाबले कौन-कौन सी फसल की कितनी-कितनी पैदावार कम होगी।

उत्तर

गंग कैनाल, भांखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी की कमी के कारण फसलें प्रभावित हुई हैं। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में पैदावार में निम्न प्रकार कमी आने की संभावना है : —

(कमी प्रतिशत में)

फसल का नाम	भांखड़ा	गंग कैनाल	इ.गा.न.प.
गेहूं	25%	22%	35-40%
जौ	—	33%	—
चना (सिंचित)	—	—	15-20%
सरसों	20%	17%	20-25%

श्री गंगानगर में प्रस्तावित पर्यटन स्थल

50. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर के चक 2 एम. एल. (नाथावाला) के पास गंगनगर पर पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? यदि हां, तो पर्यटन स्थल कब तक बना दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त पर्यटन स्थल को बनाने हेतु कोई प्रस्ताव/योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त स्थल पर कोई पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा नहीं की गई है।

परन्तु गंगानगर जिले में पर्यटन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विश्राम गृह खोलने पर विभाग गम्भीरता से विचार कर रहा है।

(2) जी, नहीं।

गुड़गांवा नहर परियोजना से डीग (भरतपुर) क्षेत्र में सिंचाई

51. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में गुड़गांवा नहर परियोजना से तहसील डीग (भरतपुर) में कितने हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है और परियोजना के पूर्ण होने पर कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी?

(2) अब तक किन-किन नहरों (मुख्य नहर माइनर एवं वितरिकायें) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उक्त परियोजना पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है?

(3) क्या उक्त परियोजना के बारे में कोई अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ है? यदि हां, तो क्या समझौते के अनुसार गुड़गांवा परियोजना को अपने हिस्से का पानी मिल रहा है।

(4) क्या यह सही है कि शार्ट सप्लाई की स्थिति में हरियाणा क्लीनर नहर जिसका निर्माण क्या राजस्थान की राशि से हुआ है? हरियाणा उससे अवैध तरीकों से पानी लेता है? यदि हां, तो सरकार उसे रोकने के क्या कदम उठा रही है?

(5) क्या अभी हाल ही में हरियाणा सरकार से सौ क्यूसेक पानी मिलना तय हुआ है? सरकार द्वारा उक्त पानी को गुड़गांवा कैनाल में से डीग स्कैप में कब तक छोड़ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में गुड़गांव नहर परियोजना से तहसील डीग में कोई सिंचाई नहीं हो

(सिंचाई मंत्री)

रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर डीग तहसील में 13,760 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

(2) अब तक मुख्य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है, डीग क्षेत्र की दो वितरिकाएं डीग वितरिका, टेल वितरिका एवं 12 माइनरों इन्टोली, छमारी, पास्ता, श्रीपुर, वहल, इकलेरा, डीग सब माइनर, महरानिया, खोह, निगोही, खोरी तथा कुचावटी का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर अब तक (माह फरवरी, 2001) कुल 2596.88 लाख रु. की राशि व्यय हो चुकी है। शेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए लगभग 942.42 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है।

(3) जी, हां। यमुना जल बंटवारे हेतु दिनांक 12.5.94 को पांच राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के मध्य आपसी समझौता हुआ था। गुड़गांव नहर में हरियाणा से होकर यमुना जल प्राप्त होता है। समझौते के अनुरूप गुड़गांव परियोजना को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है।

(4) जी, हां। हरियाणा राज्य के गुड़गांव नहर की टेल (क्लीन्जर हैड) से राजस्थान लिंक नहर (फीडर) का निर्माण, राजस्थान की राशि से हुआ। इस नहर से हरियाणा के काश्तकार अवैध तरीके से पानी लेते हैं। इस मुद्दे को हरियाणा के अधिकारियों से वार्ता के दौरान बार-बार उठाया जाता रहा है तथा प्रयास जारी है इस अवैध तरीके से लिए जाने वाली पानी की रोकथाम की जावे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के गुड़गांव नहर से जल का पूर्ण हिस्सा मिले, इसको सुनिश्चित करने हेतु एक अपर यमुना रीवर बोर्ड ने हरियाणा, राजस्थान सीमा पर गुड़गांव नहर में गेजिंग स्टेशन लगाना प्रस्तावित किया है जिससे बोर्ड समय-समय पर समीक्षा कर पानी की मात्रा सुनिश्चित करेगा।

(5) जी, हां। दिनांक 27.9.2000 को अपर यमुना नहर बोर्ड की 19वीं बैठक में हरियाणा राज्य से 100 क्यूसैक पानी मिलना तय हुआ है। पानी की उपलब्धता पर रोटेशन के आधार पर इसे डीग एस्केप में भी छोड़ा जावेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) बांसवाड़ा द्वारा अनियमित स्थानान्तरण

52. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ने बांसवाड़ा जिले में राज्यादेश के तहत कितने स्थानान्तरण किये है? राज्यादेश की पालना की सूची एवं स्थानान्तरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नानालाल नीनामा)

(2) क्या यह सही है कि राज्यादेश की सूची आने पर भी कार्यालय के लिपिकों द्वारा रिक्त पद होने के उपरान्त भी पालना रिपोर्ट में रिक्त पद नहीं है दर्शाया गया और राज्यादेश की सूची में भारी हेरा फेरी की गई है?

(3) दिनांक 8-01-2001 को निदेशक द्वारा भेजी गई सूची में कितने स्थानान्तरण किये गये व कितने स्थानान्तरण किन कारणों से नहीं किये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा) बांसवाड़ा द्वारा जिले में राज्यादेश के तहत 129 स्थानान्तरण किए गए राज्यादेशों का पालना एवं स्थानान्तरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा) बांसवाड़ा के द्वारा राज्यादेशों की पालना में संबंधित मामले की जांच कराई जा रही है।

(3) दिनांक 8.1.2001 को निदेशक प्रार. शिक्षा द्वारा भेजी गई सूची में से 23 स्थानान्तरण किए गए हैं। जो स्थानान्तरण नहीं किए जा सके हैं। उनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट-"क" में सम्मिलित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

53. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर/नर्स/कम्पाउण्डर व अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? अब उक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छबड़ा व छीपाबड़ौद में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है?

(3) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बी. पी. एल. चयनितों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाती है? यदि हां, तो इस वर्ष में कितने मरीजों को कब-कब यह सुविधा दी गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, छबड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद में चिकित्सकों, नर्सिंग संवर्ग एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना संलग्न है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रेडियोग्राफर, नर्स श्रेणी-प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त ही भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

शेष रिक्त पदों को भरने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध है राज्य सरकार से प्रतिबन्ध पर शिथिलता प्राप्त होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, छबड़ा व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छीपाबड़ौद में मरीजों को प्राथमिक स्तर की समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जैसे विशेषज्ञों, माइनर आपरेशन, प्रसूति, टीकाकरण, प्रयोगशाला में प्राथमिक जांच, एक्सरे, ई.सी.जी. एवं रोगी वाहन आदि की सुविधा है।

(3) जी, हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, छबड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद में बी. पी. एल. चयनित परिवारों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधा का विवरण : —

चिकित्सा संस्थान	अवधि	कार्डधारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, छबड़ा	1.1.2001 से 20.3.2001	466
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद	1.1.2000 से 20.3.2001	4

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा एवं छीपा बड़ौद में चिकित्सकों व नर्स, कम्पाउण्डर तथा अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त	
1	2	3	4	
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, छबड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी/मेडि/बाल रोग/नैत्र स्त्री रोग)	5	2	सर्जरी/नैत्र
	वरिष्ठ चि. अधि.	2	1	एक पद पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग) को कोर्ट स्टे के कारण वेतन आहरण किया जा रहा है।
	चिकित्सा अधि.	6	2	
	दन्त चि. अधि.	1	—	
	नर्स श्रेणी-प्रथम	2	1	
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	7	1	एक एल.एच.वी. एवं दो प्रसाविका पद विरुद्ध कार्यरत
	रेडियोग्राफर	1	1	
	डेन्टल टैक्नी.	1	—	
	लैब टैक्नीशियन	2	—	

1		2	3	4	
		एल.एच.वी.	1	—	
		प्रसाविका	4	—	
		वरिष्ठ लिपिक	2	2	
		कनिष्ठ लिपिक	1	—	
		वाहन चालक	1	1	दि. 24.3.2001 को पद स्थापन कर दिया गया है
		वार्ड बाय	3	1	
		स्वीपर	2	—	
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद	कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन/सर्जरी स्त्री रोग	3	2	गायनी/मेडिसन
		वरिष्ठ चिकि. अधिकारी	1	—	
		चिकि. अधिकारी	3	—	
		नर्स श्रेणी-प्रथम	1	1	
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	5	3	
		एल. एच. वी.	1	—	
		सहायक रेग्राफर	1	1	
		लैब टैक्नीशियन	1	—	
		प्रसाविका	1	1	
		वरिष्ठ लिपिक	1	—	
		कनिष्ठ लिपिक	1	1	
		वाहन चालक	1	1	
		वार्ड बाय	2	—	
		स्वीपर	1	—	

मोरीजा (जयपुर) नाले के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

54. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयुपर की तहसील चौमूं में मोरीजा नाला की चैन सं. 7,37,50,60 पर नोबिपनफाल के निर्माण में हुए घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वारा की गई है?

(2) उक्त जांच में कितनी राशि का घोटाला पाया गया तथा उसमें दोषियों (अधिकारियों व ठेकेदारों) के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/ठेकेदार के द्वारा पूर्व में कराये गये अन्य निर्माण की भी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त घोटाले की राशि को ठेकेदार/अधिकारियों से वसूलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उक्त जांच प्रगति पर है। जांच प्रतिवेदन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से अपेक्षित है।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(4) जांच अभी प्रगति पर है। अतः जांच पूर्ण होने पर ही इस संबंध में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी विभागों में क्रय पर रोक के दौरान खरीददारी

66. **श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष व चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों में खरीद पर कब-कब, किस-किस आदेश से रोक लगाई थी? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेशों के विपरीत सरकारी विभागों में खरीददारी हुई है?

(3) क्या उक्त खरीददारी से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी? यदि नहीं, तो फिर खरीददारी का क्या उद्देश्य था और सरकार ने आदेशों की अवहेलना में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत वित्तीय वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के परिपत्र 5(14) वित्त/साविलेनि/86-II दिनांक 1.3.2000 तथा दिनांक 7.3.2001 द्वारा सरकारी विभागों में समस्त प्रकार की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है (प्रति संलग्न है) इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के परिपत्र क्र.प9(1)वित्त(1) आव्य/99 दिनांक 10.6.99 एवं समसंख्यक दिनांक 31.8.2000 द्वारा मितव्ययता की दृष्टि से वाहन, फोटो कापियर्स, कम्प्यूटर्स, फैक्स मशीन, एयर कंडीशनर एवं टेलीफोन उपकरणों मोबाइल, सैल्यूलर फोन, फर्नीचर एवं साज सामान की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था। (प्रतिलिपि संलग्न है)

(2) विभाग विशेष को अपरिहार्य स्थिति में उनके अनुरोध पर इस प्रतिबंध में शिथिलता दी जाती है। आदेशों की अवहेलना वित्त विभाग के ध्यान में अंकेक्षण (Audit) के माध्यम से ही होती है। आदेशों की अवहेलना करने वाले विभाग पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) बिन्दु संख्या-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-67

(स्थगित).

जिला श्रीगंगानगर के कारागार

68. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर के किन-किन कारागृहों में कितने अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कैदियों से मिलने वालों के लिए कोई समय निर्धारित है? कैदियों के खाने का क्या समय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में उक्त जिले के कारागृहों में कितनी खाद्य सामग्री वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर के कारागृहों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) जिला/उप कारागृहों हेतु रविवार व बुधवार मुलाकात के दिवस निर्धारित किये हुए हैं, दण्डित बन्दी को पन्द्रह दिवस में एक बार तथा विचाराधीन बन्दी को सात

(राज्य मंत्री, कारागार)

दिवस में एक बार मुलाकात निर्धारित की हुई है, मुलाकात का समय 11.20 बजे से 12.00 बजे तक एवं सांयकाल 4.20 से 5.00 बजे तक निर्धारित है, परन्तु जिला कारागृह श्रीगंगानगर में मुलाकात कक्ष छोटा होने एवं मुलाकातियों की संख्या अधिक होने के कारण मुलाकात हेतु निर्धारित दिवस में 1.20 बजे दोपहर से 2.00 बजे तक जिन बंदियान के परिजन मुलाकात से वंचित रह जाते हैं, की मुलाकात नियमानुसार कराई जाती है। बंदियों को भोजन प्रातः 10.00 बजे एवं सांयकाल 5.00 बजे वितरित किया जाता है।

(3) राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों को निर्धारित स्केल के अनुसार खाद्य सामग्री वितरित की जाती है। जिला श्रीगंगानगर के कारागृहों में बंदियों को गत दो वर्ष में वितरित की गई खाद्य सामग्री का विवरण परिशिष्ट-"बी" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"ए'

जिला श्रीगंगानगर की कारागृहों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का तिथिवार विवरण

(जिला कारागृह श्रीगंगानगर)

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पिता का नाम	पद नाम	बै.नं.	इस कारागृह पर पद स्थापन तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री महेशचन्द्र बैरवा/श्री प्रकाश चन्द्र	उपधीक्षक	—	26.7.2000
2.	श्री मुकेश कुमार/	कले.	—	1.3.2001
3.	श्री बाबूलाल सेन/श्री मोहन लाल	कलि.	—	14.7.1982
4.	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी/श्री हेमसिंह	कलि.	—	1.5.1997
5.	श्री सुरेन्द्र पाल/श्री भंवर लाल विश्नोई	मेलनर्स	—	11.5.1999
6.	श्री ननकूराम/श्री सन्तोकी	वा.चा.	—	22.7.1993
7.	श्री भंवर लाल/श्री मनरूपाराम मीणा	मुप्र. (का. कारा)	1362	17.4.1993
8.	श्री चन्द्राराम/श्री जीवन राम	मु. प्र.	474	10.05.1993
9.	श्री बृजकिशोर पाण्डे/	मु. प्र.	2265	20.2.2001
10.	श्री त्रिलोक सिंह/	मु. प्र.	2073	20.2.2001
11.	श्री गोरखाराम/श्री गीडाराम	मु. प्र.	2153	22.2.2001
12.	श्री रामनिवास/श्री लिखमाराम	मु. प्र.	772	24.2.2001
13.	श्री शम्भूसिंह/श्री मूलसिंह	मु. प्र.	2129	29.7.1987
14.	श्री कृष्णचन्द्र/श्री बेगाराम	मु. प्र.	2146	21.8.1986
15.	श्री किशनलाल/श्री कुरड़ाराम	मु. प्र.	2165	14.11.1989

1	2	3	4	5
16.	श्री तेजा/सन्तोकी	मु. प्र.	801	7.9.1991
17.	श्री तरसेम सिंह/सोहन सिंह	मु. प्र.	1245	18.12.93
18.	श्री जसराम/श्री सहीराम	मु. प्र.	1254	27.12.93
19.	श्री जयसिंह/श्री विशालसिंह	मु. प्र.	1246	20.12.93
20.	श्री बलवीर/श्री बाबूदानसिंह	मु. प्र.	90	2.7.97
21.	श्री चैन सिंह/श्री तेज सिंह	मु. प्र.	1475	11.10.97
22.	श्री प्रकाश चन्द्र/श्री रामनाथ सिंह	मु. प्र.	2281	7.1.98
23.	श्री प्रभूसिंह/श्री सवाई सिंह	मु. प्र.	2291	4.2.1998
24.	श्री भागीरथमल/श्री जगन्नाथराम	मु. प्र.	2497	6.9.1998
25.	श्री जगमोहन यादव/	मु. प्र.	2016	19.2.2001
26.	श्री रामदयाल/श्री मांगी लाल	प्रहरी	1225	24.10.1998
27.	श्री रामचन्द्र कनवाड़िया/श्री फूलाराम	प्रहरी	1916	9.5.1999
28.	श्री फतेह सिंह/श्री कान सिंह	प्रहरी	677	27.7.2000
29.	श्री गंगेजसिंह/श्री भूराराम	प्रहरी	2347	29.7.2000
30.	श्री मोहनलाल/श्री शम्भूराम शर्मा	प्रहरी	1264	29.7.2000
31.	श्री प्रीतम सिंह/	प्रहरी	1010	4.8.2000
32.	श्री इन्द्रसिंह/श्री कल्याण सिंह	प्रहरी	707	6.8.2000
33.	श्री माल सिंह/श्री जगदीश	चश्रेक्र.	—	12.6.1997
34.	श्री मुरालीलाल/श्री मूलराम	स.कर्म.	—	1.8.1973
35.	श्रीमती रानी पत्नी श्री मंगतराम	स.कर्म.	—	8.10.1996
36.	श्री भंवरलाल/श्री भागीरथ	कारपेन्टर	—	1.8.1992

1	2	3	4	5
बन्दी खुला शिविर जैतसर				
1.	श्री मेघराज/	मु.प्र.	—	23.2.2001
2.	श्री माधवानन्द/श्री ख्यालीराम	प्रहरी		20.7.1994
3.	श्री परसराम/श्री फूलाराम	प्रहरी		14.11.1996
उप-कारागृह रायसिंहनगर				
1.	श्री रामेश्वरदास/श्री श्योदत्त राम	सहा.का.		10.7.1999
2.	श्री रघुनाथ/श्री नानूराम	मु.प्र.		1.11.2000
3.	श्री श्योकत अली/	मु.प्र.		20.2.2001
4.	श्री लीलाराम/श्री सूरजभान	प्रहरी		22.10.1998
5.	श्री हजारी लाल/श्री श्रवणलाल	प्रहरी		17.6.1997
6.	श्री महावीर प्रसाद/श्री परसुराम	प्रहरी		19.11.2000
7.	श्री रतनलाल/श्री गोविन्द राम	प्रहरी		27.4.1993
8.	श्री ओम प्रकाश/श्री मूलाराम	प्रहरी		25.7.2000
9.	श्री कानाराम/श्री बक्शीराम	प्रहरी		25.7.2000
10.	श्री भीमसिंह/श्री इन्द्रसिंह	प्रहरी		15.6.1998
उप कारागृह श्रीकरणपुर				
1.	श्री हरिसिंह/ओघसिंह	सहा.का.		12.7.1999
2.	श्री गुलहसन/	मु.प्र.		20.2.2001
3.	श्री सीताराम/गीगाराम	प्रहरी		26.7.2000
4.	श्री रतनसिंह/श्री सुरजन सिंह	प्रहरी		3.5.1990
5.	श्री दामोदर प्रसाद/श्री मदन लाल	प्रहरी		9.6.1987
6.	श्री गुरदयाल सिंह/श्री करतार	प्रहरी		2.9.1998

1	2	3	4	5
7.	श्री किशोरीलाल/श्री मेडूराम	प्रहरी		27.7.2000
8.	श्री जयनाथ/श्री बाबू सहाय	प्रहरी		27.7.2000
9.	श्री मुरालीलाल/श्री महादेवप्रसाद	प्रहरी		26.7.2000
10.	श्री रणजीत सिंह/श्री पदम सिंह	प्रहरी		10.8.1998
उप-कारागृह सूरतगढ़				
1.	श्री राजपाल सिंह/श्री शुभकरण सिंह	उ.कारा.		2.12.2000
2.	श्री कन्हैया लाल/श्री महादेव प्रसाद	मु.प्र.		20.2.2001
3.	श्री अमीर सिंह/श्री मिट्ठी लाल	प्रहरी		27.7.2000
4.	श्री प्रभूदयाल/श्री लक्ष्मीनारायण	प्रहरी		3.8.1998
5.	श्री राजवीर सिंह/श्री गोपालराम	प्रहरी		16.9.1991
6.	श्री भैरोंसिंह/श्री मुकन्द सिंह	प्रहरी		2.7.1994
7.	श्री कालूराम/श्री गीगाराम	प्रहरी		21.12.1993
8.	श्री बद्रीसिंह/श्री गुलझारी लाल	प्रहरी		21.12.1993

जिला श्री गंगानगर की कारागृहों में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में बंदियों को वितरित की गई खाद्य सामग्री का कारागृहवार विवरण

परिशिष्ट-"बी"

जिला कारागृह श्री गंगानगर

वर्ष 1998-99

आटा :— 629 क्विण्टल 40 किग्रा. 587 ग्राम

नाश्ता :— 2691.531 किग्रा.

दाले :— 7090.300 किग्रा.

मसाले :— 1055.989 किग्रा.

नमक :— 1715.438 किग्रा. (मय चटनी)

तेल सरसों :— 2314.790 किग्रा.

लहसन :— 442.371 किग्रा.

गुड़ :— 2314.790 किग्रा.

चीनी :— 4511.724 किग्रा.

चाय :— 508.218 किग्रा.

चावल :— 737.806 किग्रा(खिचड़ी)

जलाऊ लकड़ी 1137 क्विण्टल 59 किग्रा. 787 ग्राम

सब्जी :— 22146.000 किग्रा. (221 क्वि. 46 किग्रा)

दुध :— 13932.000 लीटर

पोदीना :— 64,240 (चटनी)

घी डालडा 18.676 किग्रा. (स्पेशल डाइट)

प्याज टमाटर—162.500 किग्रा.

नीम्बू :— 31.500 किग्रा.

वर्ष : 1999-2000

आटा :— 514 क्विण्टल 48 किग्रा. 126 ग्राम

नाश्ता :— 5660.570 किग्रा.

दालें :— 7725.030 किग्रा.

मसाले :— 1039.445 किग्रा.

नमक : — 1732.509 किग्रा. (मय चटनी)

तेल सरसों : — 2404.880 किग्रा.

गुड़ : — 2404.800 किग्रा.

चीनी : — 5498.471 किग्रा.

चाय पत्ती : — 719.259 किग्रा.

लहसन : — 461.976 किग्रा.

सब्जी : — 23129.60 किग्रा. (231 क्विण्टल 29 किग्रा. 600 ग्राम)

चावल : — 1295.098 किग्रा. (खिचड़ी)

दुध : — 17154.000 लीटर (स्पेशल डाइट)

जलाऊ लकड़ी : — 114611.050 (1146 क्वि. 11 किग्रा. 050 ग्राम)

घी डालडा : — 28.565 किग्रा.

उप कारागृह श्री करणपुर : —

वर्ष 1998-99 कुल डाइट : 15614

आटा किग्रा.	नाश्ता	दालें	मसाले	नमक मय चटनी
8587.700	936.840	936.840	234.210 किग्रा.	312.280 किग्रा.

तेल सरसों	गुड़	चीनी
312.280 किग्रा.	312.280 किग्रा.	624.560 किग्रा.

चायपत्ती	दुध	सब्जी	पोदीना
93.680 किग्रा.	680.700 लीटर	3122.000 किग्रा.	156.140 किग्रा.

लकड़ी जलाऊ घी डालडा — 2.639 किग्रा. (स्पेशल डाइट)
1452.600 किग्रा.

वर्ष 1999-2000 कुल डाइट : 17271

आटा	दालें	मसाले	नाश्ता
9499.050 किग्रा.	1036.260	250.065	1036.260 किग्रा.

नमक तेल	सरसों	गुड़	चीनी
345.420	345.20 किग्रा.	345.420 किग्रा.	690.840 किग्रा.

चाय पत्ती	जलाऊ लकड़ी	सब्जी	पोदीना
103.630 किग्रा.	1543.900 किग्रा.	3454.200	172.171 किग्रा.

दुध : — 868.500 लीटर घी डालडा — 5.720 किग्रा.

उप कारागृह रायसिंहनगर वर्ष 1998-99

आटा : 16291.00 किग्रा. दालें : 1008.900 किग्रा. नाशता : 1777.200

मसाले : 444.300 किग्रा. तेल : 592.400 किग्रा. गुड़ : 592.400

नमक : 592.400 किग्रा. चीनी : 592.400 किग्रा. चायपत्ती : 177.720

दुध : 1481.000 लीटर सब्जी : 5924.000 किग्रा. पोदीना : 296.200

लकड़ी : 26688.000 किग्रा. (स्पेशल डाइट : घी : 8.691 किग्रा. आटा 11.734 किग्रा.)

चीनी : 11.734 किग्रा. दुध : 61.500 लीटर

वर्ष 1999.2000 (स्पेशल डाइट)

वनस्पति घी : 9.485 किग्रा., आटा : 13.654 किग्रा., चीनी : 13.654 किग्रा.,

दूध : 20.500 लीटर

वर्ष 1999-2000 :

आटा : 19193.900 किग्रा. दालें : 2093.000 किग्रा.

नाश्ता : 2093.800 किग्रा. मसाले : 523.470 किग्रा.

तेल : 697.960 किग्रा. चीनी : 1395.320 किग्रा. नमक 697.660 किग्रा.

चाय पत्ती : 209.300 किग्रा.गुड़ : 697.960 किग्रा. पोदीना : 340.980

सब्जी : 6979.600 किग्रा. दुध : 1744.900 लीटर

जलाऊ लकड़ी : 3148.200 किग्रा.

उप कारागृह सूरतगढ़ : वर्ष 1998-99

आटा : 80012.025 किग्रा. चाय : 104.529 किग्रा.दालें : 1224.120 किग्रा.

नाश्ता : 10221.660 किग्रा. मसाले : 305.415 किग्रा. नमक 334.810

तेल : 407.220 किग्रा. गुड़ : 407.220 किग्रा. चीनी : 707.607 किग्रा.

सब्जी : 4072.200 किग्रा. दुध : 871.075 किग्रा. पोदीना : 203.610

लकड़ी : 18324.800 किग्रा. घी डालडा : 5.400 किग्रा.

(स्पेशल डाइट)

43.200 (स्पेशल डाइट)

नीबू 6.300 प्याज : 7.300 किग्रा.

वर्ष 1999.2000 :

आटा : 18311.450 किग्रा. दालें : 2005.950 किग्रा. मसाले : 498.180 किग्रा.

नमक : 498.180 किग्रा. नाश्ता : 1992.270 किग्रा. गुड़ : 664.240

तेल सरसों 664.240 किग्रा. सब्जी : 6642.400 किग्रा. चीनी : 1351.280

चाय पत्ती : 199.272 किग्रा. जलाऊ लकड़ी : 29902.000 किग्रा.

घी डालडा : 11.400 (स्पेशल डाइट) दही 1.250 किग्रा.

दुध : 1660.600 किग्रा. चटनी : 332.120 किग्रा.

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

69. **श्री अमीन खान (शिव) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में गोचर भूमि पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं? यदि हां, तो गोचरों/ओरणों/नाड़ियों के आगोरों की सुरक्षा के क्या बन्दोबस्त किए जा रहे हैं?

(2) जिला बाड़मेर तथा जैसलमेर में इस वर्ष कितने अतिक्रमण हटाए गए? तहसील वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जहां भी राजकीय कृषि भूमि पर अतिक्रमण होता है, वहां राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही कर बेदखली तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के प्रावधान हैं।

(2) जिला बाड़मेर तथा जैसलमेर में इस वर्ष हटाये गये अतिक्रमणों की संख्या सूची निम्नानुसार है : —

क्र.सं.	जिला	तहसील	हटाये गये अतिक्रमियों की संख्या
1	2	3	4
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	10
		शिव	179
		चौहटन	235
		बायतू	15
		गुढ़ामलानी	31
		रामसर	29
		पचपदरा	507
		शिवाना	71
2.	जैसलमेर	जैसलमेर	1360
		पोकरण	458
		फतेहगढ़	1276

रेगिस्तानी जिलों में भू-आवंटन पर रोक

70. **श्री अमीन खान (शिव) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार रेगिस्तानी जिलों में लगी आवंटन की पाबन्दी को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) राज्य में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रकरण विचाराधीन है।

(2) राज्य में पटवारियों के 1172 पद रिक्त है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

पटवारियों के रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति

1.	अजमेर	99
2.	अलवर	19
3.	बांसवाड़ा	12
4.	बारां	29
5.	बाड़मेर	52
6.	भरतपुर	36
7.	भीलवाड़ा	100
8.	बीकानेर	29
9.	बून्दी	39
10.	चित्तौड़गढ़	49
11.	चूरू	65
12.	दौसा	—
13.	धौलपुर	27
14.	डूंगरपुर	13
15.	श्रीगंगानगर	56
16.	हनुमानगढ़	14
17.	जयपुर	12
18.	जैसलमेर	27
19.	जालौर	34

20.	झालावाड़	56
21.	झुंझुनूं	28
22.	जोधपुर	51
23.	करौली	14
24.	कोटा	19
25.	नागौर	58
26.	पाली	65
27.	राजसमन्द	48
28.	सवाईमाधोपुर	27
29.	सीकर	20
30.	सिरोही	19
31.	टोंक	26
32.	उदयपुर	29
		1172

ग्राम अनंतपुरा (जयपुर) की अवाप्त भूमि का मुआवजा

71. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम अनंतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में जिनकी भूमि अवाप्त की गई है क्या उनको मुआवजे का भी भुगतान किया गया है? यदि हां, तो सूची जागीरदार का नाम व मुआवजे की राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत जागीरदार के मकान, कुएं, ढाणी, बाग अवाप्त नहीं किए जा सकते? यदि हां, तो उस समय के खसरा नं. 45 से 51 तक में क्या दर्शाया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम अनंतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के कुल 26 जागीरदारों की जागीर भूमि अधिग्रहित की गई थी। उनको मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। सूची परिशिष्ट-क पर है।

(2) जी, नहीं। जागीर एक्ट की धारा 23 के तहत अगर जागीरदार ने अपनी निजी सम्पत्ति घोषित नहीं कराई है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जागीरदार के मकान, कुएं, ढाणी, आदि भी अधिग्रहण किये जा सकते हैं।

परिशिष्ट-(क)

सूची भूतपूर्व जागीरदार ग्राम अनंतपुरा तहसील चौमूं जिनका मुआवजा का भुगतान किया गया था

क्र.सं.	नाम जागीरदार	मुआवजे की राशि
1	2	3
1.	श्री बंशीधर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	300/-
2.	श्री राम बिहारी पुत्र गंगाधर	2000/-
3.	श्रीमति कुन्दर कंवर पत्नि नारायण सिंह	3200/-
4.	श्रीमति बदन कंवर पत्नि चन्द्र सिंह	2500/-
5.	श्री कान सिंह पुत्र श्योदान सिंह	1450/-
6.	श्री देवी सिंह पुत्र बैरीसाल सिंह	2050/-
7.	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सावत सिंह	4500/-
8.	श्री सज्जन सिंह पुत्र चन्द्र सिंह	1450/-
9.	श्री हरनाथ सिंह पुत्र सूर सिंह	1500/-
10.	श्री फुल सिंह पुत्र सूर सिंह	350/-
11.	श्री हरि सिंह पुत्र चन्द्र सिंह	2600/-
12.	श्री गणपत पुत्र जीवन	250/-
13.	श्री रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह	1305/-
14.	श्री गिरधारी सिंह पुत्र रतन सिंह	2001/-
15.	श्री धन्ना पुत्र गगू	100/-
16.	श्री रघुनाथ पुत्र गंगासहाय	276/-

1	2	3
17.	श्री राम दास पुत्र सेवादान	150/-
18.	श्री सुवा पुत्र शिवबक्श	50/-
19.	श्री सादा पुत्र सावत्या	100/-
20.	श्री कालू पुत्र चन्दा	50/-
21.	श्री बीजा पुत्र पीरू	9.68/-
22.	श्री दयाला पुत्र सान्या	44.24/-
23.	श्री राधाकिशन पुत्र गोपी नाथ	100/-
24.	श्री गोपी पुत्र जोधा	11.32/-
25.	श्री मूल सिंह पुत्र सुर सिंह	218.12/-
26.	श्री बंशी पुत्र जीवन	50/-

तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

72. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद की चरागाह भूमि पर कितने अतिक्रमियों ने कब्जा कब से कर रखा है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चरागाह भूमि से बेदखली नहीं किये जाने के लिये कौन जिम्मेदार हैं?

(3) क्या सरकार उक्त चरागाह भूमि से बेदखली कार्यवाही को अन्जाम देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने संबंधी वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है : —

वर्ष	तहसील	
	प्रतापगढ़	अरनोद
1	2	3
1 वर्ष	104	61
2 वर्ष	101	17
3 वर्ष	87	71
4 वर्ष	70	45
5 वर्ष	50	67
5 वर्ष से अधिक	54	95
योग	466	356

पंचायतवार सूची संलग्न है।

(2) तहसीलदार, प्रतापगढ़/अरनोद द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कार्यवाही की गई तथा नियमानुसार शास्ती आरोपित की जाकर उपरोक्त प्रकरणों में मौके पर भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की गई।

(3) जी, हां। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत चरागाह भूमि के अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान है। बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रतिवर्ष बेदखली की कार्यवाही की गई है।

तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ में चरागाह पर किये गये अतिक्रमियों की पंचायत वार सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	मामले	मामले कब से					
			1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बरमण्डल	14	2	2	3	2	3	2
2.	रठाजना	10	3	2	3	–	2	–
3.	पीलू	11	2	3	3	–	–	3
4.	पानमोडी	9	1	2	3	2	1	–
5.	कल्याणपुरा	5	2	–	–	3	–	–
6.	वरोठा	24	5	8	6	2	–	3
7.	वसेरा	5	1	2	2	–	–	–
8.	भासंडी	12	2	4	2	2	–	2
9.	थड़ा	18	3	6	2	–	6	1
10.	डाबड़ा	12	2	2	2	4	–	2
11.	चमलावदा	5	1	2	–	–	–	2
12.	खोरिया	23	6	4	5	5	2	1
13.	कुणी	7	1	2	–	2	2	–
14.	असावता	5	1	1	1	2	–	–
15.	नारायणखेड़ा	10	4	3	4	5	2	–
16.	बोरी	6	2	–	1	–	2	1
17.	बरडिया	4	1	2	–	1	–	–
18.	गादोला	22	4	3	5	3	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	बसाड़	1	–	–	1	–	–	–
20.	नकोर	–	–	–	–	–	–	–
21.	धमोतर	29	9	4	6	5	3	2
22.	अमलावद	25	5	6	4	2	3	5
23.	कुलमीपुरा	15	2	4	3	2	–	4
24.	अवलेश्वर	25	5	4	3	6	3	4
25.	सिधपुरा	37	9	5	8	6	4	5
26.	पंण्डावा	4	1	2	–	1	–	–
27.	जौलर	5	2	2	1	–	–	–
28.	चिकलाड़	2	1	–	–	1	–	–
29.	ग्यासपुर	9	2	–	3	–	2	2
30.	देवगढ़	–	–	–	–	–	–	–
31.	पाल	–	–	–	–	–	–	–
32.	बारावरदा	9	2	2	1	2	–	2
33.	मधुरातालाब	–	–	–	–	–	–	–
34.	सरीपिपली	–	–	–	–	–	–	–
35.	मेरियाखेड़ी	–	–	–	–	–	–	–
36.	सुहागपुरा	11	2	1	–	3	3	2
37.	वीरपुर	–	–	–	–	–	–	–
38.	मोटीखेडी	–	–	–	–	–	–	–
39.	कचोटिया	1	–	–	1	–	–	–
40.	मनोहरगढ़	9	2	3	–	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	खेरोट	2	–	1	–	1	–	–
42.	केरवास	–	–	–	–	–	–	–
43.	गन्धेर	7	1	2	2	–	2	–
44.	कुलथाना	33	8	9	8	4	–	4
45.	लुहारिया	–	–	–	–	–	–	–
46.	रामपुरिया	–	–	–	–	–	–	–
47.	बाडीलांक	9	2	2	–	2	1	2
48.	रतनपुरिया	–	–	–	–	–	–	–
49.	अचलपुर	23	8	6	4	1	2	2
		466	104	101	87	70	50	54

ह/-

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

तहसील क्षेत्र अरनोद में चरागाह पर किये गये अतिक्रमियों की पंचायत वार सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	मामले	मामले कब से					
			1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दलोट	10	–	–	3	2	–	5
2.	निरोर	37	–	–	10	10	7	10
3.	नोरदिया	7	–	–	3	–	4	–
4.	डर्ठेल	10	–	3	–	5	–	2
5.	कानगढ़	1	–	–	1	–	–	–
6.	रायपुर	10	–	3	3	4	–	–
7.	सालमगढ़	2	–	–	–	2	–	–
8.	सेवना	19	–	7	7	3	2	–
9.	हिंगलाट	15	–	2	–	5	6	2
10.	फतहगढ़	14	–	–	4	6	3	1
11.	चाकुण्डा	21	–	–	7	6	3	5
12.	अम्बीरामा	–	–	–	–	–	–	–
13.	बोरी	2	–	–	1	1	–	–
14.	रायपुर जंगल	3	–	2	–	1	–	–
15.	बडीसाखथली	–	–	–	–	–	–	–
16.	अचलावदा	19	5	–	4	–	2	8
17.	वीरावली	14	7	–	3	–	–	4
18.	छोटा धामनिया	13	6	–	–	–	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	लालगढ़	5	2	—	—	—	3	—
20.	साखथली खुर्द	11	1	—	—	—	5	5
21.	अरनोद	10	3	—	2	—	—	5
22.	बेडथा	5	1	—	1	—	2	1
23.	जाजली	6	1	—	2	—	2	1
24.	नोगांवा	7	2	—	2	—	—	3
25.	चुपना	39	6	—	2	—	6	25
26.	मोहेडा	11	6	—	4	—	—	1
27.	मोवई	4	4	—	—	—	—	—
28.	कोटडी	24	7	—	—	—	6	11
29.	अचनारा	27	7	—	12	—	8	—
30.	भचुडंला	10	3	—	—	—	54	3
	योग :	356	61	17	71	45	67	95

ह/-

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़.

तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) के पटवारियों के निर्धारित मुख्यालय

73. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापढ़ एवं अरनोद में जिला कलेक्टर ने कहां-कहां पटवारियों के निवास के लिये मुख्यालय निर्धारित किये हैं? तहसीलवार सूची सदन के मेज पर रखें।

(2) क्या पटवारी निर्धारित मुख्यालय पर निवास करते हैं? यदि नहीं, तो ऐसे पटवारियों के विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही वर्ष 2000-2001 में की गई है?

(3) वर्तमान में पटवारी निर्धारित समय पर मुख्यालय पर हैं अथवा नहीं इसकी जिम्मेदारी किस अधिकार को दी गई है?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में जिला कलेक्टर ने पटवारियों के निवास हेतु मुख्यालय निर्धारित किए हैं, मुख्यालयों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) समस्त पटवारी अपने-अपने निर्धारित मुख्यालयों पर निवास करते हैं। वर्ष 2000-2001 में किसी भी पटवारी के मुख्यालय पर नहीं करने का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(3) तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में पटवारी निर्धारित समय पर अपने-अपने मुख्यालयों पर है अथवा नहीं, इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार प्रतापगढ़ एवं अरनोद को दी हुई है। तथा राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में स्थाई समिति गठित की हुई है, जिसकी रिपोर्ट पर संभागीय आयुक्त अपने स्तर पर वांछित कार्यवाही कर सकते हैं।

परिशिष्ट-"क"

कार्यालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

सूची पटवार मण्डल मय मुख्यालय—तहसील प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	पटवारी निवास
1	2	3
1.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
2.	मनोहरगढ़	प्रतापगढ़
3.	कनोटिया	कनोटिया
4.	वीरपुर	सुहागपुरा
5.	सुहागपुरा	सुहागपुरा
6.	मोटीखेड़ी	सुहागपुरा
7.	खेरोट	सेरोट
8.	गन्धेर	गन्धेर
9.	केरवास	खेरोट
10.	झांसड़ी	झांसड़ी
11.	कुलथाना	कुलथाना
12.	असावता	असावता
13.	वसेरा	वसेरा
14.	वरोठा	वरोठा
15.	कुणी	कुणी
16.	बसाड़	पसाड़
17.	अवलेश्वर	अंवलेश्वर
18.	घोटारसी	घोटारसी
19.	डाबड़ा	डाबड़ा

1	2	3
20.	बरमण्डल	मण्डरमण्डल
21.	गादोला	गादोला
22.	बावणी	गादोला
23.	कल्याणपुरा	कल्याणपुरा
24.	पीलू	पीलू
25.	तोहफाखेड़ी	तोहफाखेड़ी
26.	वरड़िया	वरड़िया
27.	बड़ा	बड़ा
28.	रठाजना	रठाजना
29.	पानमोड़ी	पानमोड़ी
30.	अमलावद	अमलावद
31.	सिद्धपुरा	सिद्धपुरा
32.	बोरी	बोरी
33.	खोरिया	खोरिया
34.	चपलावड़ा	खोरिया
35.	मेरियाखेड़ी	तलायण
36.	मथुरातालाव	मथुरातालाव
37.	शरावदा	शरावदा
38.	धसोतर	धसोतर
39.	कुलमीपुरा	कुलमीपुरा
40.	नारायणखेड़ा	नारायणखेड़ा
41.	नकोर	नकोर

1	2	3
42.	ग्यासपुर	ग्यासपुर
43.	चिक्लाड़	विरलाड़
44.	देवगढ़	देवगढ़
45.	जोलर	जोलर
46.	पण्डावा	पण्डावा
47.	रामपुरिया	रामपुरिया
48.	लुहारिया	प्रतापगढ़
49.	अचलपुर	अचलपुर

ह/-

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

सूची पटवार मण्डल मय पटवार मुख्यालय—तहसील—अरनोद

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	पटवारी निवास
1	2	3
1.	अरनोद	अरनोद
2.	कानगढ़	कानगढ़
3.	पचूण्डला	पचूण्डला
4.	अवलावदा	अवलावदा
5.	लालगढ़	लालगढ़
6.	वेड़सा	वेड़सा
7.	नोगांवां	नोगांवां
8.	दलोट	दलोट
9.	जाजली	जाजली
10.	चुपना	चुपना
11.	साखथलीखुर्द	साखथलीखुर्द
12.	बोरी	बोरी
13.	मोवाई	मोवाई
14.	विरावली	विरावली
15.	मोटाधापनिया	मोटाधापनिया
16.	रायपुरजंगल	रायपुरजंगल
17.	वोरदिया	वोरदिया
18.	फतहगढ़	फतहगढ़
19.	पोहेड़ा	पोहेड़ा
20.	रायपुर	रायपुर

1	2	3
21.	आस्वीरापा	आस्वीरापा
22.	अचनारा	अचनारा
23.	सालमगढ़	सालपगढ़
24.	कोटड़ी	कोटड़ी
25.	नीनोर	नीनोर
26.	ऊंठेल	ऊठेल
27.	बड़ीसाखथली	बड़ीसाखथली
28.	चकुण्डा	चकुण्डा
29.	सेवना	सेवना

ह/-

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

ग्राम समरानियां (बारां) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

74. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने ग्राम समरानियां तहसील शाहबाद जिला-बारां में ग्राम पंचायत को राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र की भूमि में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत दुकानें निर्माण करने की अनुमति दी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों का निर्माण किस किस्म की भूमि पर कितने खसरा नं. पर हुआ है? क्या उक्त भूमि आबादी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है? यदि हां, तो उक्त भूमि का कब आबादी में रूपान्तरण किया था?

(3) क्या उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में नहीं है? यदि हां तो उक्त भूमि की किस्म क्या है? क्या उक्त निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो सरकार उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा देगी और नहीं, तो क्यों? सरकार ने अतिक्रमण-कारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उक्त दुकानों का निर्माण आबादी क्षेत्र में खनं. 18, 39 व 33/1167 में हुआ है। उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में आती है। जिला कलेक्टर, कोटा के आदेश दिनांक 29.10.82 द्वारा ग्राम समरानिया के खनं. 39 का रूपान्तरण चरागाह से आबादी में वर्ष 1982 में किया गया था। इसी प्रकार खनं. 18 एवं 33/1167 का रूपान्तरण चरागाह से आबादी में संवत् 2034-37 में किया गया है।

(3) उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में है। भूमि की किस्म आबादी है। जी नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा ही दुकानें निर्माण करने से यह निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है।

कमाण्ड एरिया का नामान्तरकरण प्रकरण

75. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खातेदार की आराजी व रजिस्टर्ड बेचान का नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा खोला जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के कमांड एरिया में नामान्तरकरण ग्राम पंचायत को पेश नहीं कर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो ऐसे आदेश व परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा मनमानी कर पंचायत प्रतिनिधियों के

(डा. किरोड़ी लाल)

अधिकारों पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि नहीं, तो कमांड एरिया में नामान्तरकरण पंचायत के सामने क्यों नहीं पेश किये जाते?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(3) इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में नामान्तरकरण तस्दीक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8(185)राज/बी-57 दिनांक 2.12.1958 के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं किया जाकर उपनिवेशन अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं।

Notification No. F.8(185) Rev.B/57 dated 2.12.1958 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C dated 22.1.1959.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 260 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) and in partial modification of this Department's Notification of even number dated the 11th Sept, 1957 the State Government is pleased to direct that in the areas which are declared as a colony under clause (ii) of section 20 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Rajasthan Act No. XXVII of 1954) and are under survey and record operations, the power of deciding case of the nature indicated in section 135 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, shall be exercised by the appropriate officers of the colonisation Department, to whom the powers of the Land Record Officer have been delegated for the currency of the survey and record operations and not the village panchayats.

भूतपूर्व राजाओं की सीलिंग कानून से मुक्ति

76. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अब तक भूतपूर्व राजाओं से कितनी कृषि भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजाओं को सीलिंग कानून से मुक्त कर दिया गया है?

उत्तर

(1) भूतपूर्व राजाओं से अब तक कुल 15318,83 एकड़ कृषि भूमि अवाप्त की गई है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

भूतपूर्व राजाओं से अवाप्त की गई कृषि भूमि का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	अवाप्त कृषि भूमि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	अजमेर	शून्य	
2.	अलवर	शून्य	
3.	बारां	शून्य	
4.	बांसवाड़ा	शून्य	
5.	बाड़मेर	शून्य	
6.	भरतपुर	521,82 एकड़	
7.	भीलवाड़ा	1948,00 एकड़	
8.	बीकानेर	शून्य	
9.	बून्दी	2442 एकड़	
10.	चित्तौड़गढ़	360.01 एकड़	
11.	चुरु	शून्य	
12.	दौसा	699.12 एकड़	
13.	डूंगरपुर	2073.22 एकड़	
14.	धौलपुर	436.19 एकड़	
15.	हनुमानगढ़	शून्य	
16.	श्रीगंगानगर	344 एकड़	
17.	जयपुर	शून्य	
18.	जैसलमेर	4015.02 एकड़	
19.	जालौर	शून्य	

1	2	3	4
20.	झालावाड़	3.70 एकड़	
21.	झुंझुनूं	शून्य	
22.	जोधपुर	शून्य	
23.	कोटा	शून्य	
24.	करौली	178.95 एकड़	
25.	नागौर	शून्य	
26.	पाली	शून्य	
27.	राजसमन्द	शून्य	
28.	सवाई माधोपुर	900 एकड़	
29.	सीकर	161.08 एकड़	
30.	सिरोही	शून्य	
31.	टोंक	225 एकड़	
32.	उदयपुर	1010 एकड़	
		15318.83 एकड़	

किसानों की भूमि खातेदारी प्रकरण

77. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी) एवं श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्षों से कई किसानों की खातेदारी भूमि को वर्तमान में गैर खातेदारी घोषित कर रखी है? यदि हां, तो वर्तमान में जिला जयपुर में ऐसे कितने किसान हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी ही है कि सरकार ने अनेक बार कैम्प आयोजित कर उक्त प्रकार की भूमि गैर-खातेदार से खातेदारी में घोषित करने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो इसके बाद भी उक्त गैर खातेदार किसकी गलती से वंचित रह गये।

(3) क्या सरकार इन्हें गैर खातेदारी से खातेदारी में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सरकारी सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जों की सूचना नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों को देने के बावजूद भी उसकी अनदेखी की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या फोती एवं रजिस्ट्री के नामांतरकरण की समय सीमा के अन्दर हल्का पटवारी को नामांतरकरण भरकर तस्दीक कराने का नियम राजस्थान सरकार द्वारा बना दिया गया है? यदि हां, तो क्या उसकी पालना हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों? जिला जयपुर में अब तक किस-किस तहसीलदार ने उक्त नियमों की पालना की है? उक्त नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि कई किसानों की खातेदारी भूमि को वर्तमान में गैर खातेदारी घोषित कर रखी है। जयुपर जिले में ऐसे कोई किसान नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम-18 के अन्तर्गत नवीन आवंटियों को गैर खातेदारी दर्ज करने का प्रावधान है एवं आवंटन शर्तों की पालना करने पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है।

(2) यह सही है कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा कैम्प आयोजित कर 1970 के नियम-18 के तहत गैर खातेदारों को खातेदारी देने के निर्देश दिए गए है। इन कैम्पों में आवंटन की शर्तों को पूरा करने वाले व आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले किसानों को खातेदारी दर्ज की जाती रही है एवं

(राजस्व मंत्री)

यह एक सतत प्रक्रिया है। परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में गैर खातेदारों को खातेदारी दिये जाने पर रोक लगाई हुई है।

(3) जी, हां। जिन आवंटियों द्वारा आवंटन शर्तों की पालना पूर्ण कर ली है उनके आवेदन पर तहसीलदार द्वारा गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही की जाती रही है। इस संबंध में तहसीलदारों को जिला कार्यालय से भी पुनः निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) यह सही नहीं है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जों की अनदेखी की जाती है। अतिक्रमण संबंधित सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(5) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा फौती एवं रजिस्ट्री के नामान्तरकरणों को दर्ज करने व निर्णित करने हेतु नागरिक अधिकार पत्र जारी किया है जिसमें सीमा अवधि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 एवं 135(2) में नामान्तरकरण दर्ज करने की प्रक्रिया बताई गई है। तदानुसार समयावधि में पालना की जाती है। प्रति संलग्न है परिशिष्ट-अ।

2. नामान्तकरण

भू-राजस्व (भू.अ) नियमावली 1957 के नियम 131 के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार नामान्तरकरण खुलवाने हेतु संबंधित पटवारी/ग्राम पंचायत/तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन किया जा सकता है।

पटवार स्तर पर कार्यवाही	पंचायत/तहसीलदार/ उप पंजीयक स्तर पर कार्यवाही	निर्धारित अवधि	निर्धारित शुल्क
1	2	3	4
पटवारी आवेदन प्राप्त होने पर उसे पी-21 रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा नामान्तरकरण की भू.अ. निरीक्षक से जाँच करवाकर पंचायत/राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।		7 दिवस 10 दिवस	1. उत्तराधिकार संबंधी नामान्तरकरण हेतु 2. विक्रय/दान/भेंट 3. अन्य (10.00 प्रति खाता)
	पंचायत को नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बैठक में निर्णय पारित करेगी	45 दिवस	
	निश्चित अवधि में पंचायत द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर इस पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किया जाएगा	30 दिवस	
	भू.रा. (भू.अ) नियमावली के नियम 141 के अनुसार पंजीयक/उप-पंजीयक से तहसीलदार प्रत्येक माह खेती की भूमि के समस्त हस्तान्तरणों	10 दिवस	

1	2	3	4
	के संबंध में पंजीकृत दस्तावेजों की एक प्रति मय विवरण के प्राप्त करेगा तथा तत्काल सम्बन्धित पटवारियों में वितरित किये जाने के लिए सम्बन्धित भू.अनि. को भेजेगा। भू.अनि. गण सम्बन्धित पटवारियों में इसका वितरण 3 दिन में अनिवार्य रूप से करेंगे। इसकी समीक्षा पटवारियों की आगामी मासिक बैठक में की जायेगी।		

जिला श्रीगंगानगर के कृषकों को सुविधा

78. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में प्रदर्शन के लिए कुल कितना बीज वितरित किया गया है? उक्त कार्य हेतु किस-किस किसान को कितना-कितना बीज वितरित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला श्रीगंगानगर में "ड्रिप सिंचाई सैट" वितरिद करने के कोई प्रस्ताव विचारार्थ हैं? यदि हां, तो कब तक वितरित किए जावेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में विभाग के माध्यम से श्रीगंगानगर जिले में 393.26 क्विंटल बीज प्रदर्शन हेतु कृषकों को वितरित किया गया। विभिन्न प्रदर्शनों में कृषकों को दी गई बीज की मात्रा संलग्न सूची में प्रस्तुत है। (पृष्ठ 1 से 32)

(2) जी, हां। जिला श्रीगंगानगर में ड्रिप सिंचाई सेट स्थापन के 28 प्रस्ताव विचारार्थ हैं, जिनमें से 15 सेटों का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसके अनुदान का भुगतान किया जा रहा है तथा शेष 13 सेटों का स्थापन कार्य प्रगति पर है, अगर इनका स्थापन कार्य पूर्ण हो जाता है, तो भौतिक सत्यापन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत कर भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाड़ा (जयपुर) द्वारा कृषकों को जीवाणु खाद का वितरण

79. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा कृषकों को जीवाणु खाद के पैकेट अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते हैं? यदि हां, तो कब से? क्या सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाड़ा, जयपुर ने जून, 1997 से दिसम्बर, 2000 तक अपने उक्त पद पर रहते हुये किसानों को जीवाणु खाद के पैकेट अनुदान पर उपलब्ध करवाये हैं? यदि हां, तो वर्षवार व निर्मातावार कितना-कितना उपलब्ध करवाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाड़ा ने जयपुर बायो फर्टीलाइजर कानोता के भी जीवाणु खाद के पैकेट किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाये? यदि हां, तो उक्त अवधि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त फर्म से कितनी राशि के जीवाणु खाद के पैकेट खरीदे गये हैं व उन पर कितनी राशि का अनुदान दिया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अधिकारी द्वारा उक्त फर्म के जीवाणु खाद के नमूनों का परीक्षण

(श्री श्रवण कुमार)

करवाया गया है? यदि हां, तो परीक्षण हेतु कितने नमूने भेजे गये हैं तथा उनमें से कितने नमूने अमानक पाये गये हैं व अमानक पाये गये नमूनों की कितनी राशि (कृषक वसूल राशि व अनुदान) भुगतान में से काटी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त जीवाणु खाद कारखाने का निरीक्षण कभी केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी का नाम व पद तथा उक्त अधिकारी द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त प्रकरण में सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाड़ा। (जयपुर) ने अनियमितता की है? क्या सरकार इस भारी वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) अब उक्त प्रकरण की जांच कराये जानें के आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1980 से कृषकों को जीवाणु खाद के पैकेट्स पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। सहायक निदेशक कृषि (वि) झोटवाड़ा, जयपुर ने जून 1997 से दिसम्बर 2000 तक जीवाणु खाद के पैकेट्स पर जो अनुदान उपलब्ध करवाया हैं, उसका वर्षवार व निर्मातावार विवरण निम्नानुसार हैं : —

निर्मातावार कल्चर संख्या व अनुदान राशि (रुपयों में)

क्र सं.	वर्ष	नाफेड कल्चर सं.	नाफेड अनुदान राशि (रु.)	जयपुर बायोफर्टि. कल्चर सं.	जयपुर बायोफर्टि. अनुदान राशि (रु.)	इंदौर बायोटेक कल्चर सं.	इंदौर बायोटेक अनुदान राशि (रु.)	राईजो लैब, दुर्गापुरा कल्चर सं.	राईजो लैब, दुर्गापुरा अनुदान राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1997-98	2060	7609	32700	119850	0	0	0	0
2.	1998-99	1180	4196	36800	125150	0	0	0	0
3.	1999-00	1490	5173	25927	87225	15300	54920	0	0
4.	2000-01 (दिस. 2000 तक)	980	0	46400	0	0	0	8300	0
	योग	5710	16978	141827	332225	15300	54920	8300	0

(कृषि मंत्री)

(2) जी, हां। सहायक निदेशक कृषि (वि) झोटवाड़ा, जयपुर ने वर्ष 1997 से दिसम्बर 2000 तक जयपुर बायो फर्टिलाइजर कानोता के भी जीवाणु खाद के पेकिट्स पर किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया है। वर्षवार विवरण प्रश्न के भाग सं. 1 के उत्तर कालम सं. 5 व 6 के अनुसार है।

(3) जीवाणु खाद के पेकिट विभाग द्वारा बेचे नहीं जाते हैं केवल अनुमोदित फर्मों द्वारा ही कृषकों में वितरित किये जाने वाले पेकिट्स पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान संबंधित फर्मों को किया जाता है। उपरोक्त फर्म का वर्षवार विवरण प्रश्न के भाग सं. 1 के उत्तर कालम सं. 5 व 6 के अनुसार है।

(4) जी, हां। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा द्वारा उपरोक्त फर्म मैसर्स जयपुर बायो फर्टि. कानोता, जयपुर के जीवाणु खाद के पेकिट्स का परीक्षण करवाया गया है। वर्षवार मानक व अमानक नमूनों का विवरण निम्न प्रकार हैं : —

क्र.सं. वर्ष	भेजे गए नमूनों की संख्या	परीक्षण परिणाम		अनुदान रोका गया
		मानक	अमानक	
1. 1997-98	5	5	0	0
2. 1998-99	4	4	0	0
3. 1999-00	4	4	0	0
4. 2000-01	79	68	11	11
योग	92	81	11	11

अमानक पाये गए बैचों पर उक्त फर्म को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(5) जी, हां। दिनांक 6.8.98 को डा. डी. कुमार, सहायक माइक्रो बायोलोजिस्ट, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद ने मैसर्स जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स की यूनिट जो कि कानोता जयपुर में स्थापित है, का निरीक्षण करने हेतु विभाग के कृषि अधिकारी (उर्वरक) व सहायक कृषि अधिकारी के साथ गये थे। डा. डी. कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि निरीक्षण करने के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (उर्वरक) एवं संयुक्त

(कृषि मंत्री)

निदेशक (पौध व्याधि) द्वारा दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद भी फैक्ट्री में उपस्थित चौकीदार द्वारा फैक्ट्री परीसर में नहीं जाने दिया गया।

डा. कुमार ने अपनी रिपोर्ट में फर्म के द्वारा बताई गई उत्पादन क्षमता 900 से 1000 टन प्रति वर्ष पर आशंका व्यक्त की है। माल की गुणवत्ता के बारे में भी आशंका व्यक्त की हैं।

(6) सहायक निदेशक कृषि (वि) झोटवाड़ा ने इसमें कोई अनियमितता नहीं की है।

(7) कोई अनियमितता नहीं की है।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाड़ा (जयपुर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

80. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप जिला प्रमुख जिला परिषद् जयपुर एवं अन्य कतिपय पंचायत राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों द्वारा सहायक निदेशक कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर तथा वरिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी पत्र माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भेजकर कोई शिकायत की है? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्व में भी इनके विरुद्ध शिकायतें माननीय कृषि मंत्री को की गई हैं? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त पत्रों के आधार पर जांच करवाकर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निलम्बित या स्थानान्तरित कर तीनों बार के शिकायती पत्रों में वर्णित बिन्दुओं की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से करवाकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) अब सकार कब तक उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का जिले से बाहर स्थानान्तरण करके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच के आदेश जारी कर देगी?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग के पास उप जिला प्रमुख जयपुर एवं अन्य कतिपय पंचायत

(कृषि मंत्री)

राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों द्वारा सहायक निदेशक कृषि (वि.) झोटवाड़ा एवं वरिष्ठ लिपिक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी एक शिकायत-पत्र जो मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित था, उसकी प्रति सलग्न हैं।

(2) जी, हां। पूर्व में भी एक शिकायत माननीय कृषि मंत्री महोदय के नाम से प्राप्त हुई थी। प्रति संलग्न हैं।

(3) प्राप्त शिकायत पत्रों पर संयुक्त निदेशक कृषि, जयपुर खण्ड, जयपुर से जांच करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन अभी तक अपेक्षित हैं।

(4) शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,

राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय : श्री सतीश कुमार, मिनौचा, सहायक, निदेशक कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर व श्री हरिशंकर गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर के भ्रष्ट आचरण के क्रम में।

मान्यवर,

निवेदन है, कि कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार, झोटवाड़ा जयपुर में श्री सतीश कुमार मिनौचा, सहायक निदेशक व श्री हरिशंकर गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं तथा दोनों ही किसानों के साथ भ्रष्ट आचरण से व्यवहार करते हैं, जिसका निम्न प्रकार निवेदन है : —

1. यह है कि फव्वारा, अनुदान पत्रावलियों का अनुदान स्वीकृत तब तक नहीं किया जाता है, जब तक कि फव्वारा डीलर या कृषक द्वारा श्री मिनौचा व श्री गुप्ता को सेवा शुल्क नहीं दे दिया जाता है तथा सेवा शुल्क देने के उपरान्त ही फव्वारा पत्रावलियों का अनुदान स्वीकृत किया जाता है तथा नहीं देने पर किसानों को बार-बार कार्यालय में चक्कर कटवायें जाते हैं। तथा बिना कारण ही अनुदान राशि कम या आधी स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार जो किसान श्री मिनौचा व श्री गुप्ता को सेवा शुल्क नहीं देते हैं उन्हें आर्थिक हानि पहुंचाता है।

2. यह है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों का अनुदान पर कल्चर के पेकिट उपलब्ध करवाये जाते जिसके तहत श्री गुप्ता व श्री मिनौचा ने विभाग की राजकीय प्रयोगशाला दुर्गापुरा व राजफेड के कलचर के पेकिट न मंगवाकर जयपुर बायो, फर्टिलाइजर, कानौता से सांठ-गांठ करके, कृषि पर्यवेक्षकों की मारफत किसानों को घटिया किस्म का कलचर अनुदान पर दिया जाता है। जयपुर बायो फर्टिलाइजर कानौता का केन्द्रिय कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर उक्त कारखाने के खिलाफ विपरित टिप्पणी की गई है। फिर भी श्री मिनौचा व श्री गुप्ता द्वारा स्वयं के कमीशन के लालच में उक्त कारखाने का घटियां किस्म का कलचर कृषि पर्यवेक्षकों की मार्फत किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाकर स्वयं के कमीशन के लालच में सरकार एवं किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही।

3. यह है कि भूमि सुधार योजना व तिलहन उत्पादन योजना के अन्तर्गत किसानों को विभाग द्वारा जिप्सम अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें श्री मिनौचा व श्री गुप्ता अपने स्वयं के कमीशन के लालच में सहकारी समितियों से न मंगवाकर आई. पी. एल. डीलरों से सांठ-गांठ करके कृषि पर्यवेक्षकों के मार्फत किसानों को अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करवायी जाती है तथा सहकारी संस्थाओं को व सरकारी संस्थाओं को स्वयं के कमीशन के लालच में नुकसान पहुंचाकर भ्रष्ट नीति अपनाते हैं।

4. यह है कि कृषि विभाग की करोड़ों रुपयों की अनुदान योजनाओं में लाखों रुपये कमीशन के लेकर भ्रष्ट नीति श्री मिनौचा व श्री गुप्ता द्वारा अपना कर भारी अनियमितताएं की जाती है तथा सरकार व कृषकों के साथ धोखाधड़ी की जाती है।

5. यह है कि श्री मिनौचा व श्री गुप्ता अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से भी यात्रा भत्ता बिल मेडिकल बिल अन्य बिल बिना कमीशन लिए पास नहीं किये जाते हैं तथा कर्मचारियों को भी नाजायज तौर पर परेशान करते रहते हैं।

6. यह है कि श्री मिनौचा के भ्रष्ट आचरण की वजह से लाखों रुपये के घोटाले में लिप्त पाये जाने पर पुलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में एक प्रश्न सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, जिसकी फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

7. यह है कि श्री मिनौचा व श्री गुप्ता के विरुद्ध पूर्व में श्री इनके भ्रष्ट आचरण, सम्बन्धित एक शिकायत श्री बाबू लाल नागर, विधायक एवं अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस सेवादल द्वारा माननीय कृषि मंत्री, महोदय को भी दी गई थी, लेकिन श्री मिनौचा व श्री गुप्ता द्वारा उपरोक्त शिकायत को दबवा दी गई है तथा जिसकी आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई है जिसकी फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

श्रीमान् इस प्रकार श्री मिनौचा व श्री गुप्ता द्वारा कृषि विभाग की करोड़ो रुपयों के अनुदान योजनाओं में भारी वित्तीय अनियमितताएं करके लाखों रुपये अर्जित किये है तथा सरकार व कृषकों के साथ धोखाधड़ी व भारी अन्याय किया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्री सतीश कुमार मिनौचा, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा जयपुर व श्री हरिशंकर गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर का तुरत जिले से बाहर स्थानान्तरण करके श्री मिनौचा द्वारा स्वीकृत सभी अनुदान राशि की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों से करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

ह.
जिला प्रमुख
जयपुर (राजस्थान)

ह.
भवदीय
सरपंच
ग्राम पंचायत मण्ढाभिण्डा
पं. स. गोविन्दगढ़
जिला-जयपुर (राज)

संलग्न दो

1. श्री सतीश कुमार मिनौचा के खिलाफ पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर-2 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति।
2. श्री बाबू लाल नागर विधायक एवं अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा श्री मिनौचा व श्री गुप्ता के विरुध माननीय कृषि मंत्री महोदय को भेजी गई शिकायत पत्र की फोटो प्रति।

ह.
सदस्य
निर्वाचन क्षेत्र सं.-5
पं. स. गोविन्दगढ़, जिला-जयपुर

ह.
सरपंच
ग्राम पंचायत, मालीसर
पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर)

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस (ई) सेवादल

बी-613 सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर-302016

बाबूलाल नागर

अध्यक्ष

विषय : श्री सतीश कुमार मीनोचा, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा (जयपुर), श्री राम किशोर मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा, जयपुर तथा श्री हरी शंकर, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय, सहायक निदेशक विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर के कृत्यों की जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी काफी अर्से से एक ही जगह कार्यरत होने के कारण स्थानीय राजनीति में भाग लेने लग गये हैं। उक्त कर्मियों के बारे में मुझे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने अवगत कराया है कि उक्त व्यक्तियों ने क्षेत्र के गरीब किसानों के फव्वारे सैट्स से सम्बन्धित अनुदान में भारी अनियमितता की व अन्य समस्याओं की अनदेखी करते हैं और इनके आचरण भी संदिग्ध है तथा ये कार्यालय में बैठकर शराब पीते हैं।

उक्त व्यक्ति अपनी मिलीभगत से बीजों के मिनी किट्स में एवं अन्य अनुदान योजनाओं में भी हेराफेरी करते हैं और फर्जी यात्रा बताकर फर्जी यात्रा भत्ता की हजारों रुपये की राशि इनके द्वारा उठाई गई है। इसके अतिरिक्त इन कर्मियों ने मिली भगत करके देशी आवले के पौध खरीदकर उसको अच्छी नस्ल की बताकर दौलतपुरा, बगवाड़ा, सेवापुरा, चौप, निलोची एवम् चौमूं व आमेर तहसील के कई गांवों में बेचे जो खराब होने के कारण पनपे नहीं एवं किसानों को नुकसान हुआ है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप अविलम्ब उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण दुरस्त जिलों में करवाने का कष्ट करें अन्यथा उक्त व्यक्तियों के यहां रहते जांच प्रभावित होगी क्योंकि ये व्यक्ति खूंखारू प्रवृत्ति के है तथा हथियार भी रखते हैं जिससे ग्रामीण भयभीत होकर इनके विरुद्ध जांच के दौरान बयान देने में कतराते हैं।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सद्भावी

(बाबू लाल नागर)

श्री तैय्यब हुसैन,

मा. कृषि मंत्री,

राजस्थान सरकार जयपुर।

जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर के पत्र पर कार्यवाही

81. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर ने एक अ.शा. पत्र संख्या 1839 दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 कृषि विभाग के किसी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्र पर अब सरकार/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा उपरोक्त पत्र के साथ प्रारूप 10 (नियम-70) की छाया प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर निदेशालय कृषि को भेजी गई थी। निदेशालय के पत्रांक 5999-6003 दिनांक 6.12.2000 के द्वारा उप निदेशक कृषि (शस्य) जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

जिला कलेक्टर, जयपुर

Collector & District Magistrate Jaipur-302016

आ.शा.प./पंचायत/1839 दिनांक 30 अक्टूबर, 2000

श्रीमत् पाण्डेय,

आई. ए. एस.

विषय : विधान सभा प्रश्न सं.-7/कृषि चतुर्थ अंतिम सत्रकाल 9/संख्या/157

आदरणीय श्री खेमराज

आपका अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या/पीए/पीएजी/137 दिनांक 28-10-2000 प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विधान सभा प्रश्न में श्री रामकिशोर मीणा ग्राम पंचायत भिनोई पंचायत सीमिति झोटवाड़ा के सरपंच पद हेतु श्रीमती पुष्पा देवी अभ्यार्थी को गणना अभिकर्ता के रूप में प्रारुप 10 भरकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दिनांक 31-1-2000 को ग्राम पंचायत मुख्यालय भिनोई पर प्रस्तुत किया है, जिसकी छाया प्रति आपके यहां अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

शुभकामनाओं सहित

भवदीय

(श्रीमत् पाण्डेय)

श्री खेमराज,

निदेशक,

कृषि विभाग,

राजस्थान-जयपुर

जिला श्रीगंगानगर के चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन

82. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर के किन-किन अस्पतालों में एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं? उक्त मशीनों में से कितनी मशीनें कार्य कर रही हैं तथा कितनी खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मशीनों के लिए कितने तकनीशियन लगा रखे हैं?

(3) सरकारी चिकित्सालयों में एक्सरे करवाने पर कितनी फीस ली जाती है?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर के जिन-जिन अस्पतालों में एक्सरें मशीन लगी हुई है, उनकी सूची संलग्न है। उक्त मशीनों में 15 मशीने कार्यत है तथा 4 मशीने बन्द है एवं 3 मशीने कन्डम योग्य है।

(2) उक्त एक्सरे मशीनों के संचालन हेतु 14 तकनिशियनों के पद स्वीकृत है। शेष एक्सरे मशीनों का संचालन प्रशिक्षण प्राप्त मेल नर्सो द्वारा किया जा रहा है।

(3) जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में दन्त एक्सरे करवाने पर प्रति एक्सरे 25/- रुपये एवं अन्य प्रकार के एक्सरे करवाने पर 55/- रुपये राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, श्रीगंगानगर द्वारा निर्धारित है। जिले के शेष चिकित्सा संस्थानों में प्रति एक्सरे 40/- रुपये लिये जाते हैं।

जिला श्रीगंगानगर के अस्पतालों की सूची जिनमें एक्सरे मशीन उपलब्ध है

अस्पतालों के नाम	उपलब्ध एक्सरे मशीन	वर्तमान में एक्सरे मशीन की स्थिति		
		कार्यरत	बंद	कन्डम योग्य
1. जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	9	5	2	2
2. सामु. स्वा. केन्द्र, सूरतगढ़	2	1	—	1
3. सामु. स्वा. केन्द्र, विजयनगर	1	1	—	—
4. सामु. स्वा. केन्द्र, सार्दुलशहर	1	1	—	—
5. सामु. स्वा. केन्द्र, रायसिंहनगर	2	1	1	—
6. सामु. स्वा. केन्द्र, पदमपुर	1	1	—	—
7. सामु. स्वा. केन्द्र, अनूपगढ़	1	1	—	—
8. सामु. स्वा. केन्द्र, करणपुर	1	—	—	—
9. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, धूमडवाली	1	—	1	—
10. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, घडसाना	1	1	—	—
11. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, गजसिंहपुर	1	1	—	—
12. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, केसरीसिंहपुर	1	1	—	—
13. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, रावला	1	मशीन नई स्थापित किये जाने की कार्यवाही जारी है।		

स्वास्थ्य सेवाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितता

83. **श्री रूपाराम (डीडवाना)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक ई-12(एम/पदों) (एफ-425)/90/1990 दिनांक 27 नवम्बर, 1998 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर नियुक्ति करते समय आरक्षित पदों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता आदि का ध्यान रखा गया था?

(3) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर दिनांक 21-11-1984 को नियुक्त अनुसूचित जाति के तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कनिष्ठ लिपिक (संयुक्त) प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण वरिष्ठ अभ्यार्थी की पदोन्नति नहीं की जाकर अन्य कम योग्यता वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योग्यता वाले योग्य अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को दिनांक 7-9-1987 को ही प्रेषित किया है और पदोन्नति पश्चात् प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय बनीपार्क जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक संस्था/2000/218 दिनांक 17-4-2000 द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया था? यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अनियमितता के कारण किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। प्रति संलग्न है।

(5) जी, नहीं।

सेवा में,

अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं
राज. जयपुर

द्वारा :—प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय,
बनीपार्क, जयपुर

विषय : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर जूनियर की पदोन्नति करने बाबत।

संदर्भ : आपके पत्र क्रमांक ई-12/एम/पदों(एफ-425)/90/1990 दिनांक 27.11.1998

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक ई-12/एम/पदों(एफ-425) 90/1990 दिनांक 27-11-1998 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गयी है। जो कि प्रार्थी से करीबन सभी कर्मचारी जूनियर है।

प्रार्थी निम्न योग्यताएँ रखता है :

1. प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि : 21.11.84
2. प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य :- अनुसूचित जाति (रैगर)
3. प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यताएं : सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण
4. प्रार्थी की विशेष योग्यताएं : राज. लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण
5. प्रार्थी का कार्यालय वर्क अनुभव : प्रार्थी इस संबंध में करीबन 3-4 वर्षों से कार्यालय कार्यों में सहयोग कर रहे है।
6. प्रार्थी की सेवायें : प्रार्थी की सेवायें नियमित व कुशलप्रद है।
7. प्रार्थी की पदोन्नति हेतु : श्रीमान. मु. चि. एवं स्वा. अधि. जयपुर के द्वारा लिखा गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त योग्यताओं एवं प्रार्थी से जूनियर चश्रे.क. की पदोन्नति को देखते हुए प्रार्थी के साथ न्यायोचित करते हुए कर्मचारी (प्रार्थी) को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने का श्रम करें। जिससे प्रार्थी के हितों की रक्षा हो सकें।

संलग्न :

प्रार्थी
एस/डी
(राम पाल रैगर)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राज. सैटे.
चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर।

राजस्थान-सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-12/एम/पदों(एफ-425)/98/1990 दिनांक 27.11.98

आदेश

निदेशालय में कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, तथा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है, जो राज्य सरकार द्वारा इस संवर्ग हेतु आरक्षित रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के 15% प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतन श्रृंखला 3050-4590 में अस्थाई रूप से इनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रथमतः छः माह की अवधि के लिए पदोन्नत किया जाता है : —

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	च.श्रे.क. के पद पर नियुक्ति तिथि	सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामसहाय मीणा (ज. जा.) पुत्र नाथू लाल मीणा	15.7.61	29.6.83	1995-96 (सैकेण्डरी)	निदेशालय
2.	श्री जगदीश सिंह दैय्या	24.6.69	26.5.90	1993 (बी. कांम)	निदेशालय
3.	श्री श्रवण लाल पुत्र नारायण लाल	15.5.70	4.6.93	1988 (हा. सैकेण्डरी)	निदेशालय
4.	श्री शम्भूदयाल गुर्जर पुत्र श्री बोदू राम	10.6.70	3.6.93	1988 (हा. सैकेण्डरी)	निदेशालय

1	2	3	4	5	6
5.	श्री भवानी शंकर पुत्र रमेश चंद शर्मा	25.3.59	11.1.93	1978 (हा. सैकेण्डरी)	यथा
6.	श्री मोहन सिंह (अजा) पुत्र मंगतीराम	12.3.61	4.6.93	1982 (सैकेण्डरी)	यथा
7.	श्री हरी सिंह	3.7.65	22.4.89	1988 (डा. सैकेण्डरी)	यथा

इन कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा इनके पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जावेंगे।

एस/डी.

अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)

विभागाध्यक्ष (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.

जयपुर।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

84. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के कितने चिकित्सकों के विरुद्ध वर्ष 2000-2001 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उक्त शिकायतों के आधार पर कितने चिकित्सकों के विरुद्ध जांच करवाई गई और जांच के परिणाम क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2000-2001 में चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत, शिकायतकर्ता का नाम, की गई शिकायत व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

क्र.सं.	डा. का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतकर्ता व प्रकरण पर की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	डा. आर. के. मथोक, आचार्य एवं वर्तमान में प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष कार्डियोलोजी	शिकायत कर्ता डा. मीता भसीन
2.	डा. विजय पाठक, सहायक आचार्य	शिकायत श्री धर्मवीर भसीन की दिनांक 24.9.2000 को एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में डाक्टरों की लापरवाही से मृत्यु।
3.	डा. जितेन्द्र सिंह	श्री रवि माथुर, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा मामलों विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच जारी है।
2.	डा. बसन्त व्यास, सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस	शिकायतकर्ता श्री दिनेश कुमार गुप्ता आर. जे. एस. निवासी जे-11 न्यासिका अपार्टमेन्ट गांधीनगर, जयपुर। शिकायत दिनांक 13.5.2000 को डा. व्यास द्वारा की गई सोनोग्राफी में लापरवाही बाबत्। प्रधानाचार्य के आदेश क्रमांक 9207-12 दिनांक 9.6.2000 एवं आदेशांक 20704-10 दिनांक 22.6.2000 द्वारा कमेटी गठित की गई तथा कमेटी द्वारा डा. व्यास को दोष मुक्त करार दिया गया।
3.	डा. संदीप निझावन, सहा. आचार्य, गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	1. शिकायतकर्ता वेनाम लिवर कैंसर मरीज लवकुश नगर टोंक फाटक, जयपुर। शिकायत डा. निझावन द्वारा कमीशन के लालच में प्राइवेट क्लीनीकों में जांच आदि के लिए कहना। कार्यवाही-डा. आर. आर. राय आचार्य एवं विभागाध्यक्ष गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी को प्रधानाचार्य के पत्रांक 37069 दि. 1910.2000 द्वारा शिकायत की निष्पक्ष जांच करने हेतु निर्देशित किया

1	2	3
		गया एवं शिकायतकर्ता के नाम व कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के अभाव में शिकायत निराधार पाई गई। 2. शिकायतकर्ता श्रीमती भगवती गुर्जर पत्नी स्व. श्री रामलाल गुर्जर लवकुश नगर चक्की के पास टोंक फाटक, जयपुर द्वारा शिकायत की गई कि डा. निझावन कमीशन के लालच में सही इलाज नहीं करते। प्रधानाचार्य के आदेश क्रमांक 44345-51 दि. 13.12.2000 द्वारा कमेटी गठित की गई। जांच जारी है। 3. शिकायतकर्ता श्री सुलतान सिंह एवं परिजन दुर्गापुरा। शिकायत डा. निझावन द्वारा मनमानी फीस एवं कमीशन के लालच में मंहगी जांच प्राइवेट क्लीनिकों में कराना। डा. निझावन से प्रधानाचार्य के पत्रांक 15664 दिनांक 18.5.2000 के द्वारा उक्त शिकायत पर जवाब मांगने पर डा. निझावन ने शिकायत गलत बताई तथा शिकायतकर्ता से प्राप्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त शिकायत इसके द्वारा नहीं की गई है।
4.	डा. डी. पी. अग्रवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रेडियोथेरेपी	शिकायतकर्ता श्री जुगल किशोर शर्मा सेवानिवृत एंजो झुणावाले राजथ तह. रोड मेहवा, दौसा। शिकायत-श्री जुगल किशोर के भाई श्री रामगोपाल शर्मा के कैंसर मरीज के ईलाज के दौरान मरीज का उपचार नहीं करने व अभद्र व्यवहार करने बाबत्। प्रधानाचार्य के पत्रांक 33699-80 दिनांक 19.9.2000 एवं 29951-52 दिनांक 24.8.2000 द्वारा शिकायत-कर्ता के पते पर शिकायतकर्ता को मय साक्ष्य जांच अधिकारी समय पर उपस्थित होने हेतु भी कहा गया।

1	2	3
		अपनी शिकायत कहने बाबत् पत्र लिखने पर शिकायतकर्ता द्वारा मूल पत्र इस टिप्पणी के साथ लौटाये गये की प्रार्थी का भाई श्री रामगोपाल शर्मा कैंसर मरीज का स्वर्गवास दि. 18.8.2000 को कैंसर के कारण हो गया है, अतः इस संबंध में मुझे अब कुछ नहीं कहना है।
5.	डा. एम. के. यादव, सहा. आचार्य अस्थिरोग डा. मुमताज अली, चि. अधिकारी एनेस्थेसिया	शिकायतकर्ता श्री अलीमुद्दीन कारपेन्टर चन्द्रशेखर की बगीची मदीना मस्जिद नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर। शिकायत-पुत्र की मृत्यु डा. यादव व डा. अली के गलत आपरेशन करने से हुई। प्रधानाचार्य के पत्रांक 2068-72 दिनांक 29.2.2000 द्वारा कमेटी गठित की गई तथा कमेटी द्वारा बच्चे को एनेस्थेसिया ज्यादा दिये जाने के कारण मृत्यु हुई पाया गया। आरोप-पत्र जारी किया गया तथा जांच जारी है।
6.	डा. जे. एम. मेहता, आचार्य, सर्जरी, डा. आर. के. जैनव, सहा. आचार्य, सर्जरी, डा. आर. सी. सुनार, सहा. आचार्य, एनेस्थेसिया, डा. गुरुदत्त रेपुरिया, सी. एसपीजी, सर्जरी, डा. दिनेश व्यास, रेजिडेन्ट डा. कविता जैन	शिकायतकर्ता श्रीमती विमला पत्नी श्री पदमचन्द शिकायत-गलत आपरेशन के कारण श्रीमती विमला पत्नि पदमचन्द की बच्चे दानी निकालने बाबत्। राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक प. 1(320)कार्मिक/क-3/2000 दिनांक 17.3.2001 के द्वारा आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र चिकित्सकों को दिये गये। तथा विभागीय जांच राज्य स्तर पर जारी है। उक्त सारे चिकित्सक वर्तमान में निलम्बित चल रहे हैं।
7.	डा. योगेश शुक्ला, सहा आचार्य, नेत्र	शिकायतकर्ता श्री हरेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट, शिकायत-चिकित्सक द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट प्रेक्टीस व जयपुर में निजी चिकित्सालय चलाने बाबत्। डा. शुक्ला दि. 1.3.2001 को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ले चुके हैं। शिकायत सही पाई गई है।

1	2	3
8.	डा. विनोद जैन, सहा. आचार्य नेत्र	शिकायतकर्ता श्री हरेन्द्रपाल सिंह, एडवोकेट की शिकायत-निजी चिकित्सालय चलाने बाबत्। शिकायत के आधार पर डा. जैन का स्थानान्तरण प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर के अधीन किया जा चुका है।
9.	डा. विरेन्द्र अग्रवाल, सहायक आचार्य, नेत्र	शिकायत-डा. अग्रवाल द्वारा निजी चिकि. चलाने जाने बाबत्। उक्त शिकायतों के आधार पर डा. अग्रवाल का स्थानान्तरण प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा के अधीन किया जा चुका है। शिकायत सही पाई गई। शिकायतकर्ता श्री गजानन्द शर्मा स्वतन्त्रता सैनानी। शिकायत—डा. अग्रवाल भ्रष्ट व प्राइवेट निजी अस्पताल चलाने बाबत्। प्रधानाचार्य के पत्रांक 37403 दिनांक 21.10.2000 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। उक्त कमेटी का निर्णय शिकायतकर्ता के सही पते के अभाव में प्रत्यक्ष बयान व साक्ष्य न होने के कारण व डा. अग्रवाल द्वारा उक्त शिकायत लिखित में गलत बताने के आधार पर जांच कमेटी ने उक्त शिकायत निराधार पाई।
10.	डा. जे.पी. ऋषि, अधीक्षक, एसएमएस, अस्पताल, जयपुर	शिकायतकर्ता-डा. संजीव गुप्ता, सहसंयोजक (चिकित्सा प्रकोष्ठ) (राज. प्रदेश) कांग्रेस कमेटी, जयपुर शिकायत उनके भाई को इलाज के दौरान आईसीयू में भर्ती न करने बाबत्। जांच पश्चात् शिकायत असत्य पाई गई।
11.	डा. आर. एस. मित्तल, आचार्य, न्यूरोसर्जरी डा. वी. डी. सिन्हा, सहा. आचार्य न्यूरोसर्जरी	श्री भूपेन्द्र यादव के साथ डा. वी. डी. सिन्हा द्वारा वार्ड में धक्का दिये जाने की शिकायत डा. मित्तल से करने पर कोई कार्यवाही न करना।

1	2	3
		श्री भूपेन्द्र सिंह यादव के साथ वार्ड में अभद्र व्यवहार व धक्का दिये जाने बाबत् प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा सूचित कराया गया है कि वे डा. मित्तल जिनके विरुद्ध उन्होंने शिकायत की उनसे मिले उन्होंने शिकायतकर्ता को की गई शिकायत के सम्बन्ध में सन्तुष्ट कर दिया है अतः शिकायत को समाप्त करने का निवेदन किया है।
12.	डा. श्रीवास्तव, आ. एवं वि. नी. टी. सर्जरी डा. कुणाल कोठारी, आ. एवं वि. मेडिसन	शिकायतकर्ता-परशराम प्रसाद गुप्ता श्री वरुण उम्र 17 वर्ष के इलाज में लापरवाही से मृत्यु होने बाबत् जांच समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, परन्तु पुनः विस्तृत रिपोर्ट चाही गई है, तथा दोनों चिकित्सकों से उक्त संबंध में उनकी टिप्पणी चाही गई थी। डा. सी. पी. श्रीवास्तव की टिप्पणी प्राप्त हो गई, डा. कुणाल कोठारी की टिप्पणी अपेक्षित है।
13.	डा. वी. एस. गुप्ता, आचार्य, मेडिसिन	शिकायतकर्ता अक्षय गोयल महामंत्री अखिल महामंत्री राजीव गांधी विग्रेड जांच समिति का गठन किया गया तथा रिपोर्ट अपेक्षित है। डा. वी. एस. गुप्ता से भी उक्त शिकायत के बारे में टिप्पणी चाही गई है। टिप्पणी अपेक्षित है। जांच जारी है।
14.	डा. वी. एस. गुप्ता, आचार्य, मेडिसन	शिकायतकर्ता श्री देव प्रकाश शर्मा, श्रीमती केसर देवी के इलाज में लापरवाही बरतना जांच समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
15.	डा. टी.सी. सदासुखी, यूरोलोजी	शिकायतकर्ता अजित सिंह सिंघवी सेवानिवृत्त आईएएस, श्रीमती जतन कंवर की इलाज के दौरान मृत्यु होना ईलाज करने वाले चिकित्सक। डा. दिनेश स्वरूप माथुर, डा. एस. के. पारीक, डा. डी. के. जिन्दल, सह आचार्य सर्जरी-जांच समिति का गठन

1	2	3
		किया गया। तथा उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाई गई, पुनः टिप्पणी के साथ बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई है। जांच जारी है।
16.	डा. एल. एन. गुप्ता, आचार्य, मनोचिकित्सा	शिकायतकर्ता लक्ष्मण सिंह शेखावत-नाजायज फीस वसूलना तथा गलत मेन्टल फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना उक्त संबंध में समिति का गठन किया गया है। जांच जारी है।
17.	डा. आर. के. मघोक, आ. एवं वि. कार्डियोलोजी	शिकायतकर्ता भूपेन्द्र सिंह सैनी, कु. सन्तोष को 25000/- रु. मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत होने पर भी ईलाज का अभाव दिनांक 16.11.2000 को पूर्ण स्वस्थ व सफल आपरेशन बताकर छुट्टी दे दी गई। उक्त संबंध में जांच समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
18	डा. एम. आर. गोयल, आ. एवं विभागाध्यक्ष फोरेन्सिक मेडिसन डा. एन. के. माथुर, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, फिजि. मेडिसन एवं रिहे.	शिकायतकर्ता श्री सुरेश गहलोत एडवोकेट उच्च न्यायालय 235/- की रसीद नहीं दी जा रही तथा 1500/- रु. प्रत्येक मरीज से वकीलों के माध्यम से लिया जाना।
19.	डा. एस. एस. सांखला, सह आचार्य, अस्थिरोग डा. के. सी. मंगल, रेजीडेन्ट डा. पवन रेजीडेन्ट डा. उमा चटर्जी, सहायक आचार्य, निश्चेतन	शिकायतकर्ता रमाकान्त ढोलियां बी-196, जनता कालोनी, जयपुर श्रीमती गीता देवी का दिनांक 8.11.2000 को कूल्हे के आपरेशन के दौरान मृत्यु होना। जांच समिति का गठन दिनांक 23.11.2000 को किया जा चुका है। जांच जारी है।

जिला पाली के चिकित्सा केन्द्रों में उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय की पालना

85. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिविल रिट पीटीशन संख्या 532 सन् 1997 के निर्णय दिनांक 16-11-2000 को पाली जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को उनकी सम्बन्धित चिकित्सा केन्द्रों पर नियुक्ति की तिथि से वार्ड ब्वाय व स्वीपर के पदों पर नियमित करने का निर्देश दिया गया था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त आदेश दिनांक 16-11-2000 के बाद राज्य सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाली को इनको पुनः नियुक्ति देने सम्बन्धी क्या आदेश जारी किये? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक उक्त नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के क्या कारण हैं?

(4) उक्त आदेश के प्रार्थीगण श्री ओंकारलाल पुत्र श्री गोकुलराम गुर्जर निवासी बर (पाली), श्री मदनलाल पुत्र श्री बंशीलाल हरिजन निवासी कानूजा (पाली), श्री देवेन्द्र नाथ पुत्र श्री रवीमनाथ निवासी कानूजा (पाली) व अन्य तीन प्रार्थी के कब तक नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त निर्णय दिनांक 16.11.2000 की तत्काल पालना करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(2) जी, हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

(4) नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज. जयपुर।

क्रमांक :—ई-12/एम/कोर्टकेस/लूज/2001/106 दिनांक : 21.3.2001

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

पाली।

विषय : एस. बी. सिविल रिट पिटी. सं. 532/97 श्रीमती उमराव पार्ट टाइम बनाम राज. सरकार व अन्य।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक कोर्टकेस/2000/17022-17026 दिनांक 6.12.2000

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि एस.बी. सिविल रिट पिटी. सं. 532/97 श्रीमति उमराव, पा. टाइम बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में उप विधि परामर्श चिकि. एवं. स्वा. सेवाएं जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में विधि विभाग ने उनकी पत्रावली क्रमांक प.1(11) लीगलसैल. 5/2000/जे.पी.आर. के अनुच्छेद 1 से 81 पर एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 532/97 श्रीमति उमराव बनाम सरकार में राज. उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय दिनांक 16-11-2000 के विरुद्ध खण्ड पीठ में अपील नहीं करने का निर्णय लिया है।

अतः उक्त प्रकरण में मा. उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय दिनांक 16-11-2000 की तत्काल नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट से निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करें।

ह/-

अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,

राजस्थान जयपुर।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं जनाना अस्पताल के साइकिल स्टेण्ड के ठेकेदारों द्वारा अधिक वसूली

86. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का जनाना अस्पताल के साइकिल स्टेण्ड का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो ठेके की क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं एवं उक्त ठेका किस को कब से कब तक के लिए दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ठेके में जो दरें अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई थी उससे अधिक दरें उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही हैं? अस्पताल प्रशासन द्वारा इसके लिए ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ठेके के नियम और निर्धारित शर्तों की प्रति संलग्न है। ठेकेदारों का नाम व अवधि का विवरण निम्नानुसार है :—

1. सवाई मानसिंह अस्पताल के मुख्यद्वार साइड पर साइकिल स्टेण्ड का ठेका श्री राजकुमार शर्मा को दिनांक 16.5.2000 से 31.3.2001 तक के लिये दिया गया है।

2. बी. एम. आर. सी. साइड व नर्सेज हास्टल साइड के साइकिल स्टेण्ड का ठेका श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा को दिनांक 16.5.2000 से 31.3.2001 तक के लिये दिया गया है।

3. काटेज साइड के साइकिल स्टेण्ड का ठेका श्री ओमप्रकाश आचार्य को दिनांक 19.6.2000 से 31.2.2001 तक के लिये दिया गया है।

4. जनाना अस्पताल, जयपुर के साइकिल स्टेण्ड का ठेका मैसर्स हाकम टांक, सी-92 फतेहनगर, हसनपुरा को दिनांक 1.8.2000 से 31.7.2001 तक के लिये दिया गया है।

(2) जी नहीं। जब कभी भी इस तरह की जानकारी अस्पताल प्रशासन के ध्यान में आती है तो ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों से नियमानुसार शास्ति वसूल की जाती है समय-समय पर लगायी गयी शास्ति का विवरण निम्नानुसार अंकित है :—

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	शास्ति राशि एवं रसीद संख्या	संन्दर्भित पत्र जिसके द्वारा शास्ति लगाई गई
1.	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा गर्ल्स हास्टल साइड साइकिल स्टेण्ड ठेकेदार समामाचि. जयपुर।	रु. 1,000/- रसीद 8510 दि. 9.11.2000	पत्र क्रमांक 10003/ठेका/सा.स्टे/आरएमआर एस/समाचि/2000 दिनांक 2.11.2000
2.	श्री राजकुमार शर्मा मुख्यद्वार साइड साइकिल स्टेण्ड, समाचि., जयपुर	रु. 1,700/- रसीद 8809 दिनांक 16.12.2000	पत्र क्रमांक 11152/ठेका/सा.स्टे/समाचि/ 2000 दिनांक 4.12.2000
3.	श्री ओमप्रकाश आचार्य, काटेज साइड साइकिल स्टेण्ड ठेकेदार, सवाई मानसिंह चि., जयपुर	रु. 500/- रसीद 9376 दि. 20.2.2001	पत्र क्रमांक 106/ठेका/सा.स्टे/आर.एम. आर.एस/समाचि/2000 दिनांक 5.1.2001
4.	—यथा—	रु. 500/- रसीद 8461 दि. 2.11.2000	पत्र क्रमांक 9002/ठेका/सा. स्टे/आर.एम. आर.एस/समाचि/2000 दि. 12.10.2000

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दन्त चिकित्सकों के रिक्त पद

87. **श्री श्रवण कुमार (पिलानी)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य के चिकित्सालयों में दन्त चिकित्सकों के पद सृजित हैं? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालय में कितने पद कहां-कहां पर सृजित हैं? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालयों में सृजित पदों पर दन्त चिकित्सक पदस्थापित हैं? यदि हां, तो किस-किस पद पर कौन-कौन चिकित्सक कब-कब से पदस्थापित है तथा वर्तमान में दन्त चिकित्सक के कितने-कितने पद कहां पर रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्यतः 50 शैय्याओं या उससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में दन्त चिकित्सक के पद सृजित करने का प्रावधान है। चिकित्सालयों में दन्त चिकित्सकों के सृजित पद पर पदस्थापित चिकित्सकों की सूचना की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। दन्त चिकित्सकों के सृजित पदों पर पदस्थापित चिकित्सकों के कार्यग्रहण करने की दिनांक एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(3) जी, हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से दन्त चिकित्सकों के चयनित अभ्यार्थि उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के पश्चात् उक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशोरायपाटन में दन्त चिकित्सक के पद का सृजन

88. **श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार का यह नियम है कि जिन चिकित्सालयों में 50 शैय्याओं की स्वीकृति है वहां एक दन्त चिकित्सक का पद स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशोरायपाटन नैनवां (बूंदी) में पद स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त चिकित्सक का पद

(श्री घासीलाल मेघवाल)

स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। स्टाफिंग पेट्रेन के अनुसार 50 शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दन्त चिकित्सक का पद स्वीकृत होता है। केशोरायपाटन में 50 शैय्याओं का चिकित्सालय कार्यरत नहीं है। अतः वहां दन्त चिकित्सक का पद सृजित नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां (बूंदी) को 30 शैय्याओं से 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत करते समय समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण दन्त चिकित्सक का पद स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सका था।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर 50 शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिनमें दन्त चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं हैं उनमें दन्त चिकित्सकों के पद स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

89. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में रेफरल चिकित्सालय/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब से?

(2) उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन से पद कब-कब से स्वीकृत हैं और गत तीन वर्षों से कौन-कौन कर्मी किस-किस पद पर कार्यरत है?

(3) क्या उक्त केन्द्रों पर रिक्त पद भी हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कौनसा पद कब-कब से रिक्त है?

(4) क्या उक्त चिकित्सालयों में कार्यरतों का विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के बाहर कहीं पदस्थापन किया गया है? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में किस-किस को कहां पर क्यों स्थानान्तरित किया गया और उक्त कर्मियों में कौन-कौन मुख्यालय पर नियुक्त किस-किस आधार के अनुसार रहते हैं?

(5) क्या उक्त केन्द्रों पर रोगीवाहन व मुख्यमंत्री जीवन रक्षा औषधियां उपलब्ध कराई गई हैं? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में कहां-कहां किस-किस को उक्त सुविधा का लाभ किस-किस बीमारी के कारण दिया गया?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 9 प्राथमिक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है : —

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	स्वीकृत वर्ष
1. सहाड़ा	94-95
2. गंगापुर	97-98
3. रायपुर	88-89
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
1. कौशिथल	1968
2. महेन्द्रगढ़	88-89
3. आमली	84-85
4. पोटला	86-87
5. लाखोला	89-90
6. झड़ोल	89-90
7. कोट	86-87
8. मोखून्दा	85-86
9. आशावली	90-91

(2) उक्त केन्द्रों की स्वीकृति के साथ ही पद स्वीकृत किये गये स्वीकृत पदों पर गत तीन वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की सूचना संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(4) जी हां। गत तीन वर्षों में किये गये स्थानान्तरणों का मय कारण के विवरण संलग्न है।

(5) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर में रोगी वाहन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से जीवन रक्षणी औषधियां जिला मुख्यालय से उपलब्ध कराई जा रही है। गत तीन वर्षों में सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक रोगी केन्सर रोग का रैफर होकर आया जिसे ईलाज हेतु जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल को रैफर किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मियों के वेतन एवं नियन्त्रण व्यवस्था में परिवर्तन

90. **श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीन कार्य करने वाले कर्मियों के वेतन, नियंत्रण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन का भार ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी द्वारा

(श्री जनार्दन गहलोत)

ही किया जाता रहता था, जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती थी? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था में कब एवं किस स्तर पर किस अधिकारी द्वारा किस नियम के तहत क्या परिवर्तन किया गया? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परिवर्तन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही राजकोष पर अतिरिक्त व्यय भार बढ़ा है एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

(4) क्या यह भी सही है कि नवीन व्यवस्था आदेशों के अनुसार प्रत्येक कर्मी को अपने वेतन एवं छोटे-छोटे व अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपखण्ड कार्यालय पर जाना पड़ता है, जबकि पूर्व में उक्त सभी कार्य ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही सम्पादित होते थे?

(5) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में ज्यादातर महिला कर्मचारी (ए.एन.एम.) ही कार्यरत हैं जिन्हें उपखण्ड कार्यालय आने-जाने में काफी असुविधा होने के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रभावित होते हैं?

(6) क्या सरकार उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त ग्रामीण क्षेत्र के ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नियंत्रण, आहरण एवं वितरण सम्बन्धी अधिकार, जी. एफ. एण्ड ए. आर. के तहत नियम "3 ए" के अधिकार पुनः ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में जब से (ब्लाक) पंचायत समितियों का गठन किया गया है, तब से ही ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते रहे हैं।

(2) जी हां! आदेश क्रमांक : एफ1 (2)चिस्वा/2/91 दिनांक 28.9.99 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का मुख्यालय उप खण्ड स्तर पर किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। इस व्यवस्था से सभी कार्य पूर्व की तरह ही सम्पादित हो रहे हैं।

(5) यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला कर्मचारी (ए.एन.एम.) कार्यरत है। किन्तु इनके उपखण्ड कार्यालय आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती है और नहीं कोई विभागीय कार्य में व्यवधान आता है।

(6) जी नहीं। अभी अपनाई जा रही प्रक्रिया सही है।

राजस्थान-सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : एफ-1(2)चिस्वा/2/ जयपुर दिनांक : 28.9.1999

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद को मुख्यालय उपखण्ड स्तर पर स्थानान्तरित किया जावे एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने उपखण्ड के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी बनाया जावे। अतः राज्य के सभी उप खण्डों पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सृजन के आदेश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं।

1. पदों का सृजन एवं स्थानान्तरण का विवरण

वर्तमान में विभाग में विद्यमान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदों को राज्य के सभी 105 उपखण्ड पर निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है : —

(क) सभी जिलों में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) जिला मुख्यालय पर स्थित उप खण्ड के लिए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य करेगा एवं इसके साथ-साथ वर्तमान में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) के कार्यालय का वर्तमान स्टाफ जिला मुख्यालय के उपखण्ड के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में यथावत बना रहेगा।

(ख) सभी जिलों के अन्य उप खण्डों पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का सृजन परिशिष्ट-"क" के अनुसार पदों को स्थानान्तरित करके किया जावेगा।

(ग) परिशिष्ट-"क" के अनुसार पदों के स्थानान्तरण के पश्चात् वर्तमान में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य एवं मलेरिया) के कार्यालयों में शेष बचे हुए पद सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में स्थानान्तरित हो जावेंगे। इन सभी पदों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अपने पद के साथ स्थानान्तरित हो जावेंगे यदि पद जिले में स्थित किसी कार्यालय में स्थानान्तरित हो रहा है तो जिले

का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा। यदि पद जिले के बाहर स्थानान्तरित हो रहा है तो जोन के संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रस्ताव पर आदेश जारी करेगा।

(घ) सभी जिलों की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से चिकित्सा अधिकारी का एक-एक पद सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में परिशिष्ट-"ख" के अनुसार स्थानान्तरित किये जावेंगे। इन पदों पर कार्यरत अधिकारी अपने पद के साथ-साथ स्थानान्तरित हो जावेंगे। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तदनुसार स्थानान्तरण आदेश जारी करेंगे।

2. कार्यालय भवन

उप खण्ड मुख्यालय पर सृजित उप खण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय हेतु जहां तक संभव हो उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित किसी सरकारी भवन की व्यवस्था की जावे। सरकारी भवन ना उपलब्ध होने की स्थिति में उप खण्ड मुख्यालय पर किराये का भवन लिया जावे। सम्बन्धित जिला कलक्टर इस सम्बन्ध में व्यवस्था सुनिश्चित करे। किराये का भवन जिला कलक्टर द्वारा अनुपलब्ध प्रमाण-पत्र जारी करने पर ही लिया जावेगा।

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कर्तव्यों का विवरण : —

उप खण्ड स्तर पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निम्नलिखित उत्तरदायित्व एवं अधिकार होंगे।

(क) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने उप खण्ड में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रम (केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं सहित) पद परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं देख-रेख (मोनीटरिंग) के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(ख) उप खण्ड में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग का सारा क्षेत्रीय स्टाफ (फील्ड स्टाफ) उस उप खण्ड के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा तथा उप खण्ड पर कार्यरत सभी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उस उपखण्ड में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध 17 सी.सी.ए.

के तहत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। इन शक्तियों के प्रदत्त करने सम्बन्धी आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(ग) जिला मुख्यालय पर स्थित उप खण्ड के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूरे जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन व समन्वय के लिए भी उत्तरदायित्व होगा। एवं वर्तमान में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) के समस्त कार्यों का निर्वहन भी करेगा।

(घ) जिलों में सभी उप खण्डों के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण एवं मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे।

(ण) सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर कार्यरत उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अपने उप खण्ड क्षेत्र के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होगी इसके लिए अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी की जा रही है।

(च) सभी उपखण्डों पर कार्यरत उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जी.एफ.एण्ड ए. आर. के नियम 3(क) के तहत कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियां प्रदत्त होगी।

(छ) इन आदेशों के प्रभावी होने के उपरान्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं सूचना सम्प्रेषण के लिए राजस्व उपखण्ड ही इकाई माना जावेगा। एवं सूचना सम्प्रेषण इत्यादि के लिए उपखण्ड पर कार्यरत उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

(ज) उप खण्ड में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों के निर्धारित मापदण्डों अनुसार किसी राज्य का उत्तरदायित्व उप खण्ड के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

(झ) उप खण्ड में पंचायत राज्य संस्थाओं के साथ समन्वय व अर्न्तविभागीय तालमेल का पूर्व उत्तरदायित्व उपखण्ड के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

(ज) अन्य कार्य जो समय-समय पर उक्त अधिकारियों द्वारा आवंटित किया जावे।

4. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

तथा परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा। जिला मातृ शिशु कल्याण अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा।

5. राज्य के 6 जिलों में चल रही अरबन मलेरिया स्कीम (अरबन मलेरिया स्कीम) उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधिकार में होगी एवं अरबन मलेरिया स्कीम का सारा स्टाफ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में सम्मिलित हो जायेगा।

6. उपरोक्त आदेशों की क्रियान्विति आदेश जारी होने के तिथि से एक माह के अन्दर सुनिश्चित की जावें। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आदेशों की पालना रिपोर्ट एक माह के समय के भीतर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

यह आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 2595/वित्त/व्यय/99 दिनांक 5.8.99 के अन्तर्गत प्राप्त सहमति से जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से

ह.

(नरेशपाल गंगवार)

शासन उप सचिव,

पल्स पोलियो अभियान पर व्यय

91. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

वर्ष 2000-2001 में पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोस्टरों, विज्ञापनों व अन्य प्रचार माध्यमों पर राज्य सरकार की कितनी राशि व्यय हुई? पल्स पोलियो अभियान व उपचार हेतु केन्द्र सरकार व अन्य संस्थानों द्वारा कितनी राशि व दवा राज्य सरकार को मिली है? उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

वर्ष 2000-2001 में राज्य सरकार की कोई राशि व्यय नहीं हुई है। पल्स पोलियो अभियान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पल्स पोलियो अभियान के लिये कुल राशि रुपये 9,92,50,422/- मिली है। इस अभियान हेतु समस्त राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है इस वर्ष में निदेशालय आईईसी. स्तर पर कुल 1,43,99,323/- राशि व्यय हुई है। विभिन्न मदों में हुये मदवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

मद	राशि
1	2
पोस्टरों पर	25,82,471.00
विज्ञापनों पर	60,86,642.00
अन्य प्रचार मदों पर	57,30,210.00
कुल योग : —	1,43,99,323.00

अन्य प्रचार मदों पर व्यय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : —

स्टीकर्स	9,23,868.00
फोल्डर	2,24,884.00
बैनर्स	84,071.00
होर्डिंग्स	6,90,900.00
कियोस्क	24,29,490.00
स्टाम्प	10,000.00
स्टेपनी कवर प्रिंटिंग	3,26,000.00
सिनेमा स्लाइड	6,000.00
हैण्डबिल्स	10,27,647.00
झंडिया	7,350.00
योग	57,30,210.00

इसके अतिरिक्त पल्स पोलियो अभियान 2000-2001 के दौरान 32 जिलों में जिला स्तर पर निम्न मदों में व्यय हेतु कुल 2,06,77,884/- राशि का आवंटन किया गया है : —

बैनर्स	92,21,640.00
माइक पब्लिसिटी	71,31,204.00
स्लोगन लेखन	3,60,420.00

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

सांस्कृतिक कार्यक्रम	36,04,200.00
वालपेंटिंग	3,60,420.00
योग	2,06,77,884.00

अभी तक इस राशि में से निम्न 9 जिलों से निम्नानुसार व्यय की सूचना प्राप्त हुई हैं।

1. दौसा	3,22,212.00
2. धौलपुर	2,20,048.00
3. सवाईमाधोपुर	3,41,473.00
4. हनुमानगढ़	3,38,328.00
5. पाली	2,44,342.00
6. बांसवाड़ा	3,03,036.00
7. भीलवाड़ा	8,73,027.00
8. चूरू	6,46,762.00
9. करौली	8,88,963.00
योग :-	41,78,251.00

इस अभियान के लिये भारत सरकार से रुपये 2,47,07,111.00 राज्य सरकार से रुपये 15000000/- व यूनीसेफ से रुपये 2400000/- व्यय हेतु प्राप्त हुये। उपरोक्त राशि सभी 32 जिलों को आवंटित कर दी गई। इसमें से 11 जिलों से आंशिक व्यय विवरण प्राप्त हुये हैं। सभी जिलो से पूर्ण विवरण आना शेष है। अभियान के लिये पोलियो वैक्सीन की 4,20,00,000 डोजेज भारत सरकार से निशुल्क प्राप्त हुये हैं।

उपखण्ड क्षेत्र सांचौर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

92. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उपखण्ड क्षेत्र सांचौर में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं ए.एन.एम. के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उप खण्ड क्षेत्र सांचौर में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं ए.एन.एम. के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :—

पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1	2	3	4
1. कवि.	12	9	1999 व 2000 से
2. वचि.अ.	3	3	एक पद 12/2000 से व दो पद 4/99 से
3. चि.अ.	25	7	वर्ष 2000 से
4. नर्स-प्रथम	5	2	एक पद 94-95 एक पद 2001 से

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

1	2	3	4
5. नर्स-द्वितीय	48	9	तीन पद जुलाई, 99 से चार पद 7/2000 से दो पद 12/2000 से
6. ए. एन. एम.	130	25	वर्ष 2000 से

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करवाई जा रही है। उक्त बैठकों में चिकित्सकों का चयन होते ही रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

चिकित्सा अधिकारियों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

कम्पाउण्डर्स एवं नर्सों के रिक्त पदों को भरने जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

तहसील भीम व देवगढ़ (राजसमंद) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

93. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला राजसमंद की तहसील भीम व देवगढ़ के किस-किस रेफरल चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी, एड-पोस्ट तथा उपकेन्द्र में कौन-कौनसा पद कब से रिक्त है ?

(2) ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या उपाय किए हैं?

(3) सरकार भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

(4) उक्त तहसीलों में उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ स्थित रेफरल चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एड-पोस्ट तथा उप केन्द्रों में रिक्त पदों की संस्थावार सूचना संलग्न है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों को प्रथम नियुक्ति पर तीन वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ही पदस्थापित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। नर्स-श्रेणी द्वितीय, ए.एन.एम. व लैब टेक्निशियनों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर दिनांक 31.3.2001 तक नियुक्ति देकर भरा गया है। उक्त अवधि में अब और वृद्धि की जा रही है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) समानीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न वरिष्ठ विशेषज्ञों को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु पदस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने हेतु अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को केडर स्ट्रेन्थ की समीक्षा मंत्रीमण्डलीय समिति के द्वारा किये जाने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित कराकर उक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। अभी नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उक्त प्रतिबन्ध में शिथिलता प्राप्त होने पर अन्य पदों को भी भरा जाना संभव हो सकेगा।

क्र.सं.	संस्थान का नाम	रिक्त पद का नाम	संख्या	रिक्त होने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	उप केन्द्र, माद	प्रसाविका	1	1.1.2001 से रिक्त
2.	उप केन्द्र नराणा	प्रसाविका	1	1.1.2001 से रिक्त
3.	एड-पोस्ट सांगावास	मेल नर्स-II	1	1.1.2001 से रिक्त
4.	एड-पोस्ट मदारिया	मेल नर्स-II	1	1.1.2001 से रिक्त
5.	प्रा.स्वा. केन्द्र, लसानी	मेलनर्स-II	1	22.7.2000 से रिक्त
		एल.एच.वी.	1	22.7.2000 से रिक्त
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र, ताल	चि.अ.	1	1.3.2001 से रिक्त
		मेल नर्स-II	1	1.3.2001 से रिक्त
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुन्दवा	मेलनर्स-II	1	सृजन वर्ष 1991 से रिक्त
		लेब. टेक.	1	1.7.2000 से रिक्त
8.	प्रा.स्वा. केन्द्र, कुआथल	मेलनर्स-II	1	सृजन वर्ष 1991 से रिक्त
9.	सामु. स्वा. केन्द्र, देवगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	8.6.2000 से रिक्त
		मेल नर्स-II	3	1.8.2000 से रिक्त 1.3.2001 से रिक्त 9/91 से रिक्त
		बी. एच. एस. (मेल)	1	30.9.97 से रिक्त
		नेत्र सहायक	1	पद सृजन से रिक्त
		मलेरिया निरी.	1	29.2.2000 से रिक्त
		एस.एम.पी.डब्ल्यू.	1	सितम्बर 91 से रिक्त
		सेक्टर सुपरवाइजर	2	31.10.98 से रिक्त

1	2	3	4	5
				22.7.2000 से रिक्त
		वरिष्ठ लिपिक	1	1.3.99 से रिक्त
		एम.पी.डब्ल्यू.	3	31.5.98
				31.10.99
				30.9.2000 से रिक्त
		चि. अधिकारी	1	1.7.2000
		व. चि. अधिकारी	2	1.2.2001
				1.1.2001
		वाहन चालक	2	1.2.2001
				वाहन नहीं है
		वार्ड बाय	3	2-31.12.2000
				1.2.2001

क्र.सं. संस्थान का नाम	रिक्त पद का नाम	संख्या	रिक्त होने की तिथि
1 2	3	4	5
1. उप केन्द्र भारत सिंह का गुढा	प्रसाविका	1	सृजन से ही बजट प्रावधान नहीं होने से
	एमपीडब्ल्यू (मेल)	1	
2. उप केन्द्र भरतवा	प्रसाविका	1	" "
	एमपीडब्ल्यू (मेल)	1	
3. उपकेन्द्र लाखागुढ़ा	प्रसाविका	1	1.8.2000 से रिक्त
4. एडपोस्ट शेखावास	मेलनर्स-II	1	1.8.2000 से रिक्त
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, छापली	मेलनर्स-II	2	सितम्बर-91 से रिक्त 1.8.2000 से रिक्त
6. प्रा. स्वा. केन्द्र बरार	व. चि. अ.	1	कार्यग्रहण नहीं करने से रिक्त
	चिकि. अधि.	1	1.2001 से रिक्त
	मेलनर्स-II	1	1.8.98 से रिक्त
	स्टाफ नर्स	1	1.3.99 से रिक्त
	बी. एच. एस. (मेल)	1	30.11.95 से रिक्त
	नेत्र सहायक	1	सृजन से ही रिक्त
	एस. एम. पी. डब्ल्यू	2	1. 30.9.98 से रिक्त 2. सृजन से ही रिक्त
	सेक्टर सुपरवाइजर	4	2 पद सृजन से ही रिक्त 31.1.98 से रिक्त 31.3.93 से रिक्त
	एमपीडब्ल्यू (मेल)	2	1. 30.4.97 से रिक्त 2 31.7.2000 से रिक्त

1	2	3	4	5
7.	सामु. स्वा. केन्द्र, भीम	कनिष्ठ विशे.(शिशु)	1	1.1.2001 से रिक्त
		क. वि. (नेत्र)	1	1.2.2001 से रिक्त
		व. चि. अ.	2	1-22.7.2000 से रिक्त
				2. 22.7.2000 से रिक्त
		दन्त चिकित्सक	1	1.3.2000 से रिक्त है।
		मेलनर्स-I	2	1. 1.9.98 से रिक्त
				2. 1.3.2001 से रिक्त
	सा. स्वा. केन्द्र भीम	मेलनर्स-II	2	1. 10.10.98 से रिक्त
				2. 1.8.2000 से रिक्त
		स्टाफ नर्स	2	सृजन से रिक्त है
		एलएचवी.	1	8/97 से रिक्त
		व. लैब टेक	1	पद सृजन से रिक्त
		दन्त तक.	1	सितम्बर-91 से रिक्त
		रेडि. ग्राफर.	1	पद सृजन से रिक्त है।
		प.क. कार्यकर्ता	1	पद सृजन से रिक्त है।
		वरिष्ठ लिपिक	1	1.8.98 से रिक्त है।

प्रशिक्षण प्राप्त लेब-टेक्निशियनों की नियुक्ति

94. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा जारी आदेश क्रमांक : प्रशि. /लेब टेकिन/परिणाम/99-2000 दिनांक 17-11-99 के अनुसार कुल कितने लेबो टेक्निशियन प्रशिक्षणार्थियों ने ट्रेनिंग उत्तीर्ण की है? नाम, पतों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत वर्षों में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त लेब-टेक्निशियनों को 6 माह की अवधि में ही नियुक्ति दी जाती रही है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के तहत प्राप्त ट्रेनिंग धारियों को भी सरकार शीघ्र नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरण

95. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने कान्सिलियेशन, कितने वेतन भुगतान, बोनस एक्ट संबंधी एवं कितने कम्पनसेशन से संबंधित किस-किस जिले में कितने प्रकरण लम्बित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों के जल्दी निष्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या कुछ प्रकरण श्रम न्यायालय एवं श्रम न्यायाधिकरण को भी रेफर किये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

उत्तर

(1) राज्य में कुल कान्सिलियेशन के 881 प्रकरण, वेतन भुगतान के 2283 प्रकरण, बोनस एक्ट से सम्बन्धित 16 एवं कम्पनशेषन से सम्बन्धित कुल 1700 प्रकरण लम्बित हैं। जिसका जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों के जल्दी निष्पादन हेतु विभाग के सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को सम्बन्धित अधिनियमों में प्राधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त श्रम आयुक्त राजस्थान द्वारा दिनांक 14.2.2001 को भी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) जी, हां। दिनांक 28.2.2001 तक प्राप्त 4446 प्रकरणों में से 4135 प्रकरणों श्रम न्यायालय एवं श्रम न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया है।

सूची परिशिष्ट-'अ'

जिला	कुल विचाराधीन कन्सीलेशन प्रकरण	वेतन भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण	बोनस से सम्बन्धित प्रकरण	कम्पन्सेशन सम्बन्धित
1	2	3	4	5
जोधपुर	21	58	2	58
बीकानेर	11	46	—	28
हनुमानगढ़	06	143	1	12
भीलवाड़ा	47	92	2	223
सीकर	4	18	—	42
गंगानगर	143	355	—	48
जयपुर	191	245	—	234
भरतपुर	29	119	—	59
अलवर	16	26	—	41
अजमेर	45	163	10	157
चित्तौड़गढ़	1	50	—	58
बारां	64	9	—	16
धौलपुर	8	8	—	5
दौसा	3	19	—	35
टोंक	7	9	—	69
बांसवाड़ा	2	25	—	11
उदयपुर	31	124	1	152
बूंदी	39	49	—	29

1	2	3	4	5
जालौर	1	21	—	8
नागौर	18	14	—	6
झुंझुनूं	19	16	—	7
झालावाड़	13	13	—	17
राजसमन्द	2	14	—	71
पाली	13	414	—	84
सिरोही	1	15	—	27
बाड़मेर	—	13	—	21
जैसलमेर	—	—	—	4
करौली एवं सवाईमाधोपुर	25	50	—	16
चूरू	—	86	—	8
कोटा	120	59	—	108
योग	881	2283	16	1700

नोट : बोनस से सम्बन्धित 16 प्रकरण कन्सीलेशन के प्रकरणों में सम्मिलित है।

राजकीय दरबार उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

96. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, जयपुर में राजकीय दरबार उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित था? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को कब क्रमोन्नत किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1968, 1969 एवं 1970 में उक्त विद्यालय की कक्षा-6 में विभिन्न विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था? यदि हां, तो कितने-कितने विद्यार्थियों को?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के दौरान श्री लाल चन्द शर्मा पुत्र श्री परसराम शर्मा को भी कक्षा-6 में प्रवेश दिया गया था? यदि हां, तो कब एवं किस वर्ष में और श्री लाल चन्द शर्मा ने उक्त विद्यालय में कितने वर्ष अध्ययन किया तथा विद्यालय छोड़ते समय परीक्षा परिणाम क्या रहा एवं विद्यालय कब छोड़ा गया, व विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाणपत्र कब जारी किया गया? उक्त संबंध में जारी किये गये विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह विद्यालय 10 सितम्बर, 1980 को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था।

(2) जी, हां। कक्षा 6 में निम्नानुसार प्रवेश दिया गया था।

सत्र	प्रवेशार्थी
1968-69	331
1969-70	379
1970-71	363

(3) जी, नहीं। श्री लालचंद शर्मा पुत्र श्री परसराम शर्मा को सत्र 1971-72 में दिनांक 2.7.1971 को कक्षा-6 में प्रवेश दिया गया था। छात्र ने उक्त विद्यालय में 3 वर्ष अध्ययन किया। शिक्षा सत्र 1971-72 में कक्षा 6 एवं 1974-74 में कक्षा 7 में अनुत्तीर्ण हुआ एवं दिनांक 3.7.1974 (सत्र 1974-75) में लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण नाम कक्षा से पृथक कर दिया गया।

विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिनांक 10.7.76 को जारी किया गया। विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के विद्यालयों में रिक्त पद

97. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद रिक्त हैं?

(श्री भाणजी)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) भाग संख्या 1 के अनुसार।

राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, आलनियावास (नागौर) में रिक्त पद

98. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगानान्तर्गत कुल कितने उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां पर कार्यरत हैं? सूची ग्राम व पाठशालावार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त समस्त विद्यालयों में अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित हैं? यदि हां, तो उक्त में से कितने कार्यरत है और कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रीमती भंवरी देवी राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय आलनियावास (नागौर) में कई वर्षों से अध्यापिकाओं एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने, कब से और अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा डेगाना अन्तर्गत 7 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 17 माध्यमिक विद्यालय एवं 66 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। संस्कृत शिक्षा अन्तर्गत। प्रवेशिका (माध्य.)। उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

ग्राम व पाठशालावार सूचना माध्यमिक शिक्षा की परिशिष्ट-"अ" प्रारंभिक शिक्षा की परिशिष्ट-"ब" एवं संस्कृत शिक्षा की परिशिष्ट-"स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षकों के कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"अ", "ब", "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) श्रीमती भंवरी देवी राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, आलनियावास (नागौर) में शारीरिक शिक्षक का एक पद दिनांक 15-7-99 से रिक्त है। वर्तमान में नियुक्ति स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है, प्रतिबंध हटने पर रिक्त पद भरा जा सकेगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर का नामान्तरण प्रकरण

99. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा अजमेर शहर की किसी शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान के नाम पर नामकरण किया हुआ है? यदि हां, तो किस का?

(2) क्या सरकार के पास अजमेर के राजकीय महाविद्यालय का नाम बदल कर सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, नामकरण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

कार्यालय सहायक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चूरू का स्थानान्तरण प्रकरण

100. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री नौरंग वर्मा, कार्यालय सहायक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चूरू का शेरगढ़ (जोधपुर) में जुलाई, 1999 में स्थानान्तरण किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि जुलाई, 1999 में बीकानेर परिक्षेत्र में कार्यालय सहायकों के पद रिक्त थे? यदि हां, तो कितने?

(3) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों में पति-पत्नी प्रकरण, विधवा, परित्यक्ता या गम्भीर रोगों से ग्रसित कर्मचारियों को स्थानान्तरण करते समय छूट दी गई है?

(4) क्या उक्त कार्यालय सहायक ने स्थानान्तरण विषयक कोई वाद राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर किया था? यदि हां, तो निर्णय क्या हुआ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय सहायक के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा कोई जांच की गई व उसमें सम्बन्धित कर्मचारी का अभिकथन भी प्राप्त किया गया था? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या जांच निष्कर्ष पर उक्त कर्मचारी को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष व आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। बीकानेर परिक्षेत्र में कार्यालय सहायकों के 6 पद रिक्त थे।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां। माननीय न्यायालय द्वारा श्री वर्मा की अपील को स्वीकार कर स्थानान्तरण आदेश खारिज कर दिया गया। निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी, हां। श्री नौरंग वर्मा कार्यालय सहायक के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा कतिपय शिकायतों के संबंध में प्राथमिक जांच की गई लेकिन कर्मचारी का अभिकथन प्राप्त नहीं किया गया।

(6) जी, हां। जांच निष्कर्ष व आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,

चूरू (राज)

क्रमांक—एफ 1(14)अआ/सतर्कता/मुम/2000 दिनांक : 21.12.2000

प्रेषित,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,

बीकानेर

विषय : श्री नौरंग वर्मा, कार्यालय सहायक, डाइट, चूरू को चूरू जिले से बाहर पदस्थापित करने व उनके द्वारा राजनीति में सक्रिय भाग लेने सम्बन्धी शिकायतों की जांच।

महोदय,

श्री नौरंग वर्मा कार्यालय सहायक, डाइट, चूरू के विरुद्ध उपर्युक्त विषयक शिकायतें विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से की गयी थी जिनके बारे में उपखण्ड अधिकारी, चूरू को निर्देशित किया जाकर शिकायतों में वर्णित तथ्यों की जांच करवायी गयी। उपखण्ड अधिकारी, चूरू ने अपने पत्र क्रमांक 811 व 812 दिनांक 8-12-2000 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें शिकायतों में अंकित कुछ तथ्यों का प्रमाणित होना बताया है। अतएव इस सम्बन्ध में संबंधित के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जांच प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। कृपया शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह.

जिला कलक्टर, चूरू

"परिशिष्ट-क"

जांच प्रतिवेदन

शिकायत विरुद्ध श्री नौरंग वर्मा, कार्यालय सहायक, प्रकृट, चूरू एवं श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री नौरंग वर्मा अध्यापिका,

शिक्षा विभाग, चूरू

श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चूरू के पत्रांक एफ 37(1)10)निर्वा/99 दिनांक 1.7.1999 एवं जिला कलक्टर, चूरू के पत्रांक एफ-1(1)जांप्र/पीए/99 दिनांक 20.5.1999 के संलग्न प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की गई जांच करने पर स्थिति निम्नवत पाई गई :

(1) शिकायत द्वारा श्री उदयसिंह राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ—

अपनी शिकायत में श्री राठौड़ ने श्री नौरंग वर्मा, का.सहा. शिक्षा विभाग को सेवामुक्त करने हेतु निम्न तीन बिन्दुओं पर शिकायत की है : —

(क) उक्त श्री नौरंग वर्मा का.सहा. चूरू में सेवारत है तथा सरकारी क्वार्टर नं. 76(4)30 में अपनी पत्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी अध्यापिका के नाम आवंटित है, में रह रहा है।

(ख) उक्त कर्मचारी द्वारा विधान सभा चुनाव में दिनांक 19.10.93 को रिटर्निंग आफिसर लक्ष्मणगढ़ (सीकर) (31) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट फतेहपुर के यहां नामांकन पत्र मय आंकड़ा फार्म सरकारी कर्मचारी होने के तथ्यों को छुपा कर भर क विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थी की सूची प्रारूप 4 दिनांक 20.10.93 में इनका नाम श्री नौरंगलाल वर्मा पुत्र श्री ईश्वरराम जाति बलाई उम्र 47 वर्ष अंकित है। उक्त कर्मचारी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना पर्चा भरा, कर्मचारी का चूरू मतदाता सूची एवं लक्ष्मणगढ़ मतदाता सूची दोनों में नाम अंकित है। जो कि पूर्णतः अनियमित है।

(ग) उक्त कर्मचारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम प्रचार प्रसार किया तथा भाग लेकर पुनः सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आचार संहिता का उल्लघंन किया। अतः उपरोक्त गंभीर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सेवा कन्डेक्ट रूल्स के अनुसार इनकी सेवाएं समाप्त की जावें।

उपरोक्त शिकायत का बिन्दु संख्या 1(क) प्रमाणित है। श्री नौरंग वर्मा कार्यालय सहायक शिक्षा विभाग, चूरू में सेवारत है तथा सरकारी आवासगृह में अपनी पत्नी अध्यापिका श्रीमती परमेश्वरी देवी के साथ रह रहा है। इसके अलावा चुनाव में नामांकन पत्र भरने तथा चुनाव प्रचार करने संबंधी बिन्दू पूर्ण सबुतों के अभाव में प्रमाणित नहीं हो पायें।

(2) शिकायत द्वारा श्री गिरधारी लाल भार्गव कार्यालय मंत्री एवं श्री महावीर सिंह चौहान जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड़) चूरू अपनी शिकायत में शिकायतकर्त्ताओं ने राजनैतिक आरोप लगाया है कि श्रीमती परमेश्वरी देवी अध्यापिका ने राजनैतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर नियम विरुद्ध पुनः सेवा में आ गई जो नियम विरुद्ध है।

शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि श्रीमती परमेश्वरी देवी धर्मपत्नी श्री नौरंग वर्मा, अध्यापिका शिक्षा विभाग, चूरू ने जिला परिषद, चूरू के सदस्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चूरू को स्वैच्छिक सेवा निवृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) चूरू ने दिनांक 5.1.1995 को इनकी स्वैच्छिक सेवा निवृति स्वीकृत कर दी जो नियमों के पूर्णतया विपरीत थी क्योंकि दिनांक 5.1.1995 को लागू नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवा निवृति हेतु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने एवं 45 वर्ष की आयु होने पर ही स्वैच्छिक सेवा निवृति दिये जाने का प्रावधान था। जबकि दिनांक 5.1.1995 को श्रीमती परमेश्वरी देवी की न तो 20 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई थी और न ही 45 वर्ष की आयु पूर्ण हुई थी। श्रीमती परमेश्वरी देवी को चुनाव लड़ने के लिए राजकीय सेवा से त्याग पत्र देना चाहिए था न कि स्वैच्छिक सेवा निवृति का प्रार्थना पत्र। इस प्रकार स्वैच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान कर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चूरू द्वारा नियमों की स्पष्ट अवहेलना की गई तथा इस स्वैच्छिक सेवा निवृति का फायदा उठाकर श्रीमती परमेश्वरी देवी ने जिला परिषद, चूरू के सदस्य का चुनाव लड़ा तथा विजयी हुई। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रमुख, जिला परिषद, चूरू का चुनाव भी वर्ष 1995 में लड़ा जिसमें पराजित हुई। जिला प्रमुख पद के लिए पराजित होने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), चूरू के आदेश क्रमांक जिशिअ/प्राशि/चूरू/सेनि/94/55/6730 दिनांक 31/3/95 द्वारा श्रीमती परमेश्वरी देवी की स्वैच्छिक सेवा निवृति को निरस्त किया जाकर

दिनांक 5.1.1995 से पुनः कार्यग्रहण करने की तिथी तक की अवधि (चुनाव लड़ने व विजयी होने के उपरान्त जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्य करने) का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाकर पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश जारी किये गये।

इसके अतिरिक्त शिकायत में अंकित यह बिन्दु भी प्रमाणित होता है कि श्रीमती परमेश्वरी देवी अध्यापिका एवं श्री नौरंग वर्मा, नगरपालिका क्षेत्र चूरू में राजकीय आवासगृह सं. 76(4)38 में आवास करते हुए नगपालिका क्षेत्र चूरू में ही सेवारत है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ने के उद्देश्य से पंचायत मतदाता सूची 1994 ग्राम खासोली की क्रम संख्या 221 एवं 222 पर क्रमशः नौरंगलाल/ईश्वरराम एवं परमेश्वरी/नौरंगलाल के नाम मतदाता के रूप में दर्ज करवाये गये हैं।

(3) शिकायत द्वारा श्री महावीरसिंह चौहान जिलाध्यक्ष, चुरू एवं श्री कुलदीप सिंह केपी जिलाध्यक्ष गंगानगर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ दिनांक 8.5.1999

यह शिकायत भी श्री नौरंग वर्मा कार्यालय सहायक द्वारा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने एवं श्री नौरंग वर्मा की पत्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी, जो राजकीय सेवा में अध्यापिका है, द्वारा 1995 में राजकीय सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतने वे प्रमुख का चुनाव हारने पर पुनः राजकीय सेवा में ज्वाइन करने के सम्बन्ध में है जिसका विवेचन ऊपर बिन्दु सं. 1 व 2 पर किया जा चुका है।

ह.

उपखण्ड अधिकारी

चूरू

परिशिष्ट-"ख"

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

यह कि श्री नौरंग वर्मा, कार्यालय सहायक, डाइट, चूरू के विरुद्ध एक विभागीय जांच का प्रकरण विचाराधीन है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता राजस्थान असैनिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील (नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वर्मा कार्यालय सहायक, डाइट, चूरू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

उक्त श्री नौरंग वर्मा, कार्यालय सहायक का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह.

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर।

परिशिष्ट-"क"

अपील सं. 1572/99 श्री नौरंग लाल, बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर पर माननीय न्यायाधीश द्वारा दि. 28.10.99 को पारित निर्णय : –

आदेश

अपीलार्थी के अधीवक्ता श्री डी.पी. शर्मा उपस्थित स्थाई राजकीय अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा उपस्थित। बहस सुनी गई।

यह अपील अपीलार्थी की ओर से आदेश अनेक्चर-13 के विरुद्ध इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी का स्थानान्तरण चूरू से जोधपुर कर दिया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। सामग्री का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से आक्षेप किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण तीन माह की अल्पावधि में ही चूरू से जोधपुर कर दिया गया। इसके साथ अपीलार्थी की यह भी दलील है कि अपीलार्थी पत्नी भी राजकीय सेवा में चूरू में पदस्थापित है। राज्य सरकार की यह नीति है कि सामान्यतया पति-पत्नी को एक ही स्थान अथवा आस-पास ही स्थापित किया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में इस नीति की पालना नहीं हुई है।

प्रकरण के मत में अपीलार्थी का स्थानान्तरण तीन माह की अल्पावधि में ही कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी भी चूरू में राजकीय सेवा में पदस्थापित है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण के पीछे समुचित प्रशासनिक आधार नहीं है। अतः आदेश किया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।

ह.

(लीलाधर)	(अशोक शेखर)	(आई.एस. कावड़िया)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

उप शिक्षा अधिकारी डीडवाना (नागौर) के विरुद्ध शिकायत

101. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में ब्लाक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के समय सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि सम्बन्धित उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध फर्नीचर का सामान व सेवा पुस्तिका सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी जावे? यदि हां, तो उप जिला शिक्षा अधिकारी डीडवाना जिला नागौर ने उक्त सामान व सेवा पुस्तिकायें अभी तक ब्लाक शिक्षा अधिकारी लाडनूं को क्यों नहीं सौंपी? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी नागौर और उच्च अधिकारियों/सरकार के आदेश की पालना करने के आदेश भी जारी किये? यदि हां, तो कब तथा इसकी पालना किस के द्वारा क्यों नहीं की गई? उक्त आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकार से सरकार के व उच्च अधिकारियों ने आदेशों की खुले रूप से अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और अब क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन के पटन पर रख दी गई है। उप जिला शिक्षा अधिकारी-डीडवाना द्वारा कार्यालय का सामान व सेवा पुस्तिकाएं ब्लाक शिक्षा अधिकारी-लाडनूं को सौंप दी गई है।

(2) जी, हां। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। आदेशों की पालना कर दी गई है।

(3) ब्लाक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्मिकों की कमी के कारण रिकार्ड हस्तान्तरण की कार्यवाही में विलम्ब हुआ है। इस प्रकार किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रतिनियुक्ति प्रकरण

102. **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) शिक्षा विभाग (माध्यमिक) के कितने पुस्तकालयाध्यक्ष गत 10 वर्षों से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत 10 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति किये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि

(श्री महादेव सिंह)

हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो इन्हें अब तक विभाग में वापस क्यों नहीं बुलाया गया?

(3) क्या अब प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष को विभाग में वापस बुलाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम एवं तृतीय श्रेणी में 10 वर्ष से कोई भी पुस्तकालयाध्यक्ष प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। मात्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड-II, राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर, जयपुर दिनांक 17.1.90 से विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान सेवा नियम के नियम, 144/(ए)(7) के अनुसार 4 वर्ष तक प्रति नियुक्ति भत्ते सहित तथा 5वें वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर बिना प्रतिनियुक्ति भत्ते के एवं तत्पश्चात् वित्त विभाग की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रावधान है। श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति इस शर्त पर की गयी थी कि श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति विभाग में डाक्यूमेन्टेशन कम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर अन्तिम रूप से एब्जार्वेशन एवं स्थाई नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक श्री शर्मा का लियन इस विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर रहेगा।

(3) जी, हां। श्री शर्मा को पुनः पैतृक विभाग में बुलाये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

103. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार अध्यापकों के पद रिक्त हैं :—

पदनाम	रिक्त
प्राध्यापक	05
वरि. अध्यापक	09
अध्यापक (ग्रेड III)	06
शारीरिक शिक्षक (III ग्रेड)	03

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी, हां। रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त पदों को भरे जाने हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

कार्यरत शिक्षक सदनों पर व्यय

104. **श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने शिक्षक सदन कार्यरत हैं तथा गत दो वर्षों से उनमें कितने पद कार्मिकों के स्वीकृत हैं और उन पर कितने कार्मिकों को नियुक्त किया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षक सदन के रख-रखाव पर राज्य सरकार का गत दो सत्रों में कितना व्यय हुआ तथा कितनी आय हुई..?

(3) क्या उक्त सदन के रख-रखाव हेतु विद्यालयों/कार्यालयों से अग्रिम राशि ली गयी है? यदि हां, तो उक्त राशि का किस-किस मद पर व्यय किया गया तथा किस-किस विद्यालय/कार्यालय से अग्रिम किसके नाम से लिया गया और उक्त अग्रिम राशि का समायोजन कब-कब कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 4 शिक्षक सदन संचालित है। गत दो वर्षों में इन सदनों हेतु स्वीकृत एवं नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है :—

पदनाम	स्वीकृत	नियुक्त
कार्यालय अधीक्षक	1	—
कार्यालय सहायक	1	2(1 कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध)
वरिष्ठ लिपिक	4	4
कनिष्ठ लिपिक	8	8
च. श्रे. कर्मचारी	13	11

(2) शिक्षक सदनों के रख-रखाव पर गत दो वर्षों में व्यय एवं आय का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	व्यय	आय
1998-99	1,88,012	1,34,785
1999-2000	1,52,513	1,34,456

(3) जी, नहीं।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण

105. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/व्याख्याता उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्थानान्तरण हेतु परीक्षा परिणाम के आधार पर मानदण्ड निर्धारित किए थे? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रेड के कितने-कितने स्थानान्तरण हुए? ग्रेडवार सूची सदन की मेज पर रखें। स्थानान्तरित अधिकारियों के क्या परीक्षा परिणाम रहे थे?

(3) उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण किन निर्देशों/आदेशों के तहत किये गये थे?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) वर्ष 2000-2001 में उक्त ग्रेड के कुल 2222 स्थानान्तरण रिक्त पदों पर प्रशासनिक/स्वयं की प्रार्थना/पारस्परिक आधार पर किये गये हैं।

ग्रेडवार विवरण निम्नानुसार है :—

प्रधानाचार्य	333
उप प्राचार्य	20
प्रधानाध्यापक	429
प्राध्यापक	1440

परीक्षा परिणाम की जानकारी श्रम एवं व्यय साध्य होने के कारण अल्प समय में संकलित किया जाना संभव नहीं है।

(3) उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों/आदेशों की पालना में किये गये।

समेकित विद्यालय में विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति

106. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समेकित विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के बाबत् प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या समेकित विद्यालयों में विशेष शिक्षकों को नियुक्ति दी गई और नहीं, तो क्यों?

(2) विकलांगता अधिनियम, 1995 द्वारा शिक्षा विभाग समेकित विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में पालना कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या शिक्षा विभाग समेकित विद्यालयों को राजस्थान में संचालित कर रहा है? यदि हां, तो राज्य में समेकित विद्यालय कितने और कहां-कहां हैं?

(4) क्या समेकित विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या दिनांक 5 जुलाई, 2000 को मा. मुख्य मंत्री द्वारा समेकित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को विशेष शिक्षा में एक वर्षीय प्रशिक्षण देने के बारे में बताया गया जबकि विशेष शिक्षक राजस्थान में उपलब्ध हैं?

(डा. किरोड़ी लाल)

(6) राज्य में संचालित समेकित विद्यालयों में मंदबुद्धि बालक और विशेष शिक्षकों का अनुपात संबंधी मानदण्ड क्या रखा गया है?

(7) राज्य में समेकित प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापक और माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के कुल कितने पद हैं और उक्त विद्यालयों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

(1) समेकित विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन विद्यालयों में जो शिक्षक अध्ययन करवा रहे हैं एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर द्वारा पांच दिवसीय बहुविकलांगता में प्रशिक्षण प्राप्त है।

(2) विशेष शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन करवाया जाता है। अतः इस हद तक विकलांगता अधिनियम, 1995 की आंशिक पालना की जा रही है।

(3) जी, हां। समेकित शिक्षा योजनान्तर्गत राज्य के 18 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 23 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा पी.आई.ई.डी., छबड़ा योजनान्तर्गत बारां जिले में 160 विद्यालयों में यह योजना चल रही है, जिनकी सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(4) जी, हां।

(5) दिनांक 24.5.2000 को मंत्रीमण्डलीय समिति में समेकित विद्यालयों में कार्यरत सत प्रतिशत अध्यापकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण दिलाए जाने का निर्णय लिया गया।

(6) चलन (लोको मोटर) विकलांगता वाले बच्चों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की विकलांगता जिसमें मंद बुद्धि विकलांगता भी सम्मिलित है, शिक्षक छात्र अनुपात 1:8 योजना में अपेक्षित है।

(7) समग्र रूप से बजट एवं पदों का आबंटन प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके अनुसार पद एवं बजट विवरण निम्न प्रकार है : —

राज्य में सत्र 2000-2001 में योजनान्तर्गत स्वीकृत पद : —

तृतीय श्रेणी अध्यापक-50 पद

द्वितीय श्रेणी अध्यापक-36 पद

प्रायोजना छबड़ा जिला बारां अन्तर्गत स्वीकृत पद

तृतीय श्रेणी अध्यापक 14 पद (सन्दर्भ शिक्षकों के रूप में)

(1) योजनान्तर्गत (आई.ई.डी.)

सी.एस.एस.-68.42 लाख

आयोजना भिन्न 72.97 लाख

(2) प्रायोजना छबड़ा (पी.आई.डी.)

सी.एस.एस. 18.76 लाख

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनार्थिक विद्यालयों का बन्द प्रकरण

107. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में अनेक विद्यालयों को कागजी एवं अनार्थिक मानकर बन्द करने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो कितने विद्यालय किस-किस जिले में बन्द किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा बंद मर्ज किये गये कागजी एवं अनार्थिक विद्यालयों का जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ (राजसमंद) के विद्यालयों में रिक्त पद

108. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला राजसमंद की पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ के कौन-कौन से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम की छात्राओं ने अनेक पदों के रिक्त रहने के कारण हड़ताल व प्रदर्शन किए थे?

(3) अब सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। दिनांक 24.8.2000 को छात्राओं ने प्रदर्शन किया था।

(3) शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त पद भरने हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है शेष गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध है।

परिशिष्ट-"क"

माह सितम्बर, अक्टूबर-2000 में रहे रिक्त पद

	विद्यालय का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त	विषय
	1	2	3	4	5
1.	उमावि, भीम	व्याख्याता	08	1.8.2000	हिन्दी
				12.8.2000	हिन्दी
				1.7.1997	इतिहास
				1.8.1999	जी. विज्ञान
				1.7.1999	रा. वि.
				1.3.2000	चित्रकला
			6	21.8.2000	अंग्रेजी
				24.8.2000	वाणिज्य
2.		व.अ.	01 (सा.)	1.7.2000	सामान्य
		अध्यापक	02	29.7.2000 , 1.8.2000	
		प्र.शा.से.	06		
2.	उमावि, देवगढ़	व्याख्याता	06	29.7.2000	अंग्रेजी
				5.8.2000	संस्कृत
				30.9.1997	इतिहास
				14.7.1990	अर्थशास्त्र
				29.7.2000	चित्रकला
				1.10.1999	वाणिज्य
3.	उमावि, का छबली	व्याख्याता	02	8/1998	अंग्रेजी
				3/1999	संस्कृत
		व.शा.शि.	01	28.7.2000	

1	2	3	4	5
4.	उमावि, लसानी व्याख्याता	02	4/1999	संस्कृत
			7/1999	चित्रकला
	कलि.	01	7/2000 से	
5.	उमावि, छापली व्याख्याता	02	नवक्रमोन्नत 1999-2000	संस्कृत
			" "	राvि.
				भूगोल
	व.शा.शि.	01	नवक्रमोन्नत 1999-2000 से	
6.	उमावि, जस्साखेड़ा व्याख्याता	03	" "	अंग्रेजी
		01	" "	हिन्दी
			" "	इतिहास
			" "	भूगोल
	व.शा.वि.	01	" "	
7.	रामावि, कालेसरिया प्र.अ.	03	1.10.1999	
	व.अ.	01	28.7.2000	विज्ञान
8.	रामावि, शेखावास प्र.अ.	01	नवक्रमोन्नत 1999-2000	
	व.अ.	01	28.7.2000	विज्ञान
9.	रामावि, कून्दवा प्र.अ.	01	18.7.1998	
10.	रामावि, कूकड़ा प्र.अ.	01	7.7.1999	
11.	रामावि, देवर प्र.अ.	01	12.7.1999	
12.	रामावि, अजीतगढ़ प्र.अ.	01	1.8.1999	
13.	रामावि, ताल प्र.अ.	01	1.9.1999	
14.	रामावि, बग्गड़ प्र.अ.	01	28.2.1999	

1	2	3	4	5
15.	रामावि, बस्सी प्र.अ.	01	नवक्रमोन्नत 1998-1999	
16.	रामावि, ठीकरवास प्र.अ.	01	1999-2000	
17.	रामावि, शाखावास प्र.अ.	01	1999-2000	
18.	मावि, सारोठ व.अ.	02	5.8.2000, 7.8.2000	विज्ञान
				अंग्रेजी
19.	मावि, मदारिया व.अ.	01	27.7.2000	अंग्रेजी
20.	मावि, लगेतखेड़ा व.अ.	01	28.7.2000	सामान्य
21.	मावि, कुवांथल व.अ.	01	28.7.2000	सामान्य
छात्रा विद्यालय				
1.	बाउमावि, भीम व्याख्याता	05	3/1997 से	रावि.
			8/1995	इतिहास
			11/1997	गृवि.
			8/2000	अंग्रेजी
			8/2000	हिन्दी
2.	बाउमावि, देवगढ़ व्याख्याता	04	4/1997 से	हिन्दी
			11/1997	रावि.
			8/1998	इतिहास
			6/1996	गृवि.
वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या				
1.	मावि, कून्दवा प्र.अ.	01	18.7.1998	
2.	मावि, कूकड़ा प्र.अ.	01	7.7.1999 से	
3.	माबावि., कालेसरिया प्र.अ.	01	1.10.1999 से	

1	2	3	4	5
4.	मावि, अजीतगढ़ प्र.अ.	01	1.8.1998 से	
5.	मावि, ताल प्र.अ.	01	1.9.1999 से	
6.	मावि, बस्सी प्र.अ.	01	नवक्रमोन्नत से ही 1998-99	
7.	मावि, ठीकरवास प्र.अ.	01	" "	
8.	उमा.बा.वि., भीम व्याख्याता	04	1999-2000	
			31.12.2000	इतिहास
			9/2000 से	जी. वि.
			1.3.2000	चित्रकला
			2.2.2001	अर्थशास्त्र
	अध्यापक	02	28.7.2000, 1.8.2000	
9.	उमावि, देवगढ़ व्याख्याता	02	30.9.1997	इतिहास
			29.7.2000	चित्रकला
10.	उमावि, काउबली व्याख्याता	01	8/1998 से	अंग्रेजी
	व.शा.शि.	01	28.7.2000	
11.	उमावि, लसानी व्याख्याता	01	7/1999 से	चित्रकला
12.	उमावि, छापली व्याख्याता	01	नवक्रमोन्नत 1999-2000	
				संस्कृत
13.	उमावि, जस्साखेड़ा व्याख्याता	04	" "	अंग्रेजी
			" "	इतिहास
			" "	हिन्दी
			" "	भूगोल
	व.शा.शि.	01	" "	

1	2	3	4	5
	अध्यापक	01	12/2000 से	
14.	मावि, सारोठ व.अ.	01	5.8.2000	विज्ञान
15.	मावि, मदारिया व.अ.	01	27.7.2000	अंग्रेजी
16.	उमावि, बरार व.अ.	01		सामान्य
17.	मावि, कालेसरिया व.अ.	01	28.7.2000	विज्ञान
18.	उमावि, लसानी व.अ.	01		सामान्य
छात्रा विद्यालय				
1.	बाउमावि, भीम व्याख्याता	01	3/1997 से	रावि.
2.	बाउमावि, देवगढ़ व्याख्याता	04	4.7.1998 से	रावि.
			24.7.1997	हिन्दी
			10/2000	अंग्रेजी
			8/1998 से	इतिहास

जिला नागौर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

109. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कुल कितने उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं? उक्त विषयों हेतु कितने पद सृजित है और कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने अभी रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में कुल 177 माध्यमिक एवं 81 उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालय हैं। संचालित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जा रहे ऐच्छिक विषय, उनके सृजित एवं कार्यरत तथा रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नटवाड़ा (देवली) जिला टोंक का पेंशन प्रकरण

110. **श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती कमला गौड़ बेवा श्री मदन मोहन गौड़ भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नटवाड़ा (देवली) टोंक की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च, 1999 में हो जाने के उपरान्त भी अब तक उन्हें पेंशन जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती गौड़ के समकक्ष कई अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा दस वर्ष का सेवा काल पूर्ण न होने की स्थिति में शिथिलता देते हुए ऐसी कई विधवा महिलाओं को जिनके कोई अन्य आय का साधन नहीं हो पेंशन दी गई है? यदि हां, तो कब-कब किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में पुनर्विचार करके अब श्रीमती गौड़ को पेंशन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। नियमानुसार एक कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा 10 वर्ष से कम अवधि नहीं होने पर सेवा उपादान देय है जिसका

(शिक्षा मंत्री)

भुगतान श्रीमती कमला गौड़ को उनकी सेवा निवृति पश्चात् राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।

(2) जी, नहीं। किसी भी ऐसे राज्य कर्मचारी (स्त्री/पुरुष) जिसने 10 वर्ष से कम राज्य सेवा की है, को नियमानुसार पेंशन देय नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोर्ड परीक्षाओं में फर्जी प्रमाण-पत्रों का उपयोग

111. **श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार/निदेशक शिक्षा विभाग को कतिपय अभिभावकों/शिक्षकगणों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में नियम विरुद्ध परीक्षा दिलवाने एवं उनसे संरक्षित छात्रों की जन्म तिथियों में अपने स्तर पर परिवर्तन/हेराफेरी करने की शिकायतें काफी समय पूर्व प्राप्त हुई जो अभी भी विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार छठी कक्षा उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण छात्र दो शिक्षा सत्र पश्चात् कक्षा आठवीं की स्वयंपाठी (प्राइवेट) परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? वर्ष 1985 से 1992 तक के कक्षा आठवीं में स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने से सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छठी कक्षा उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थी आठवीं कक्षा की परीक्षा में स्वयंपाठी रूप में अपने जन्म दिनांक में परिवर्तन कर विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) के स्थान पर शपथ-पत्र (हल्फनामा) साधारण प्रार्थना-पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(4) क्या उक्त प्रकार कोई परीक्षार्थी कक्षा आठवीं स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति झूठे शपथ-पत्र अथवा प्रार्थना-पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कर नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा दसवीं उत्तीर्ण कर ले तो उसकी सह योग्यता वैध मानी जावेगी? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(5) क्या झूठा शपथ-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र देकर कक्षा आठवीं उत्तीर्ण स्वयंपाठी विद्यार्थी और कक्षा दसवीं भी उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी/उसके अभिभावकों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(6) उक्त आठवीं की फर्जी अंकतालिका/विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) के आधार पर उच्च विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी/अभिभावकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सम्बन्धित समस्त नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। एक शिक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच विचाराधीन है।

(2) जी, हां। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) ऐसे प्रकरणों में शिकायतों के आधार पर एवं बोर्ड स्तर पर स्वविवेक से नियमान्तर्गत होने पर कार्यवाही की जाती है।

(6) जांच विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रानी गांव (नागौर) में चोरी

112. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रानी गांव, जिला नागौर में सरकारी राशि की चोरी हुई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ था? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा?

(3) क्या उक्त मामले में विभागीय जांच भी हुई है? यदि हां, तो विभागीय जांच में किसको दोषी माना गया है और दोषी को क्या सजा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 2.5.1997 को सरकारी धन राशि की चोरी हुई थी।

(2) जी, हां। धारा 457, 380 आईपीसी के अन्तर्गत एफ.आई.आर. थाना गच्छीपुरा में मुकदमा नम्बर 54/3.5.1997 दर्ज हुआ था। तफतीश नतीजा एफ.आर. 98 दिनांक 15.7.1997 द्वारा अदम माल, पता, व मुलजिम दिया जा चुका है।

(3) जी, हां। प्राथमिक जांच में श्री हरिसिंह, सहायक कर्मचारी को दोषी माना गया है। विभागीय जांच विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माइनरों की मरम्मत

113. श्री भाणजी (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भाणजी)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही परियोजना की माइनरों की मरम्मत का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही परियोजना की 52 माइनरों के मरम्मत के कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें से 33 कार्य सम्वत् 2057 में अकाल राहत मद से कराये जाने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। जिला कलेक्टर, से जैसे-जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी कार्य प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराये जावेंगे। बचे हुए 19 माइनरों के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर वर्ष 2001-2002 में पूर्ण कराना प्रस्तावित है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माही परियोजना के अन्तर्गत दानपुर विधान-सभा क्षेत्र की माइनरों की सूची एवं प्रस्तावित मरम्मत कार्य (LMC)

वाई मु. न. व्रत

क्र.सं.	आने वाली नहरों का नाम
1	2
	ए-अकाल राहत मद में प्रस्तावित कार्य
1.	छींछ वितरीका आरडी. 0 से 37 किमी.
2.	सलाटीया माइनर-I
3.	सलाटीया माइनर-II
4.	छोटी पाड़ी
5.	सुखानीया माइनर
6.	पाड़लिया माइनर
7.	बड़ोदिया माइनर (बा.मु.न. में)
8.	बड़ोदिया माइनर-I एवं II
9.	मलवासा माइनर
10.	लक्ष्मीपुरा माइनर
11.	बड़ोदिया माइनर (छींछ नहर से)
12.	छींछ माइनर-I
13.	छींछ माइनर-II
14.	छींछ माइनर-III
15.	चोखला माइनर (बा.मु.न.)
16.	पिपलोद माइनर (बा.मु.न.)
17.	बांसला माइनर (बा.मु.न.)
18.	बांसला माइनर (छींछ वितरिका से)

1	2
19.	बालावाड़ा माइनर
20.	नौगामा माइनर
21.	नागावाड़ा माइनर
22.	कलिंजरा माइनर
23.	अरथूना वितरिका (आरडी. 0 से 10 किमी)
24.	पिण्डारमा माइनर
25.	सुखानिया लिंक-माइनर
26.	गामड़ी
27.	सुन्दरपुर माइनर
28.	खेखरवा माइनर
29.	बड़लिया सब-माइनर
30.	तलवाड़ा माइनर
31.	हिन्गोटिया माइनर
32.	बड़लिया माइनर
33.	समौटिया माइनर
बी-वर्ष 2001-2002 प्लान बजट में प्रस्तावित कार्य	
1.	ठिकरीया माइनर
2.	टूटीया बेर
3.	डोरा माइनर
4.	पलोदरा माइनर
5.	बस्सी माइनर
6.	बोदला माइनर
7.	बांका वितरिका

माही परियोजना के अन्तर्गत दानपुर विधान-सभा क्षेत्र (दाईं मुख्य नहर) की सूची एवं प्रस्तावित मरम्मत कार्य

क्र.सं.	माइनरों का नाम
1.	माकोद माइनर
2.	तेजपुर माइनर
3.	बडलिया माइनर
4.	चिडियावासा माइनर
5.	रूजिया माइनर
6.	सुरपुर माइनर
7.	वनेला माइनर
8.	भगतपुरा माइनर
9.	मोरड़ी माइनर
10.	टेकला माइनर
11.	उदपुरा माइनर-I
12.	उदपुरा माइनर-II

तहसील रायपुर के क्षतिग्रस्त एनिकटों का पुनर्निर्माण

114. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील रायपुर में गत अकाल वर्षों व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाये गये एनिकट जो अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने से तथा अपूर्ण रहे को पूर्ण करने के लिये भारत सरकार की सहायता से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स योजना में प्राथमिकता से पुनः बनाने की आम राय पाली जिला स्तरीय कमेटी द्वारा नोडल अधिकारी के समक्ष निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो तिकली नाका कानूजा, कवलासिया एनिकट बूटीवास, झंडू का नाका कालबखुर्द निचला तालाब एनिकट, कोटकिराना, कलाली फीडर, चौग, माताजी वाला एनिकट, केलवाद सिंगपुरा एनिकट रायरकलां, लाडपुरा एनिकट, नीजागुडा, मोरिया जांगड, एनिकट बगड़ी पर कार्य में प्रथम वरीयता स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं? उक्त कार्यों के अलावा अन्य प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी?

(2) जिला पाली के नोडल अधिकारी द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रैक्चर्स के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों की सूची पंचायत समिति-रायपुर व सोजत की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रथम वरियता के कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। एनीकट्स एवं अन्य प्रथम वरियता कार्यों के लिए अभी कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। अभी गांवाई तालाबों के नवीनीकरण कार्यों के लिए ही ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य किये जा रहे हैं। एनीकट एवं अन्य कार्यों के लिए अभी पैसा (राशि) उपलब्ध नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इन कार्यों को स्वीकृत करवाया जाना सम्भव है।

(2) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रैक्चर्स कार्य योजना अन्तर्गत तैयार कार्यों की पंचायत समिति-रायपुर व सोजत की प्रस्तावित कार्यों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जगपुरा वितरिका से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी

115. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जगपुरा वितरिका व माइनर से सरकार कब तक कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करावेगी?

(श्री नानालाल नीनामा)

(2) जगपुरा वितरिका के कार्य कब से अपूर्ण हैं और उन्हें कब तक पूर्ण कराने का विचार है?

(3) उक्त वितरिका की कितनी माइनरें हैं? उनमें से कितनी माइनरों की निविदाएं आमंत्रित की गई है?

उत्तर

(1) जगपुरा वितरिका एवं उसकी सात माइनरों में अक्टूबर, 2002 तक कार्य पूर्ण किया जाकर कृषकों को सिंचाई हेतु पानी पहुंचाना प्रस्तावित है।

(2) जगपुरा वितरिका 8.3 कि.मी. लम्बी है एवं उसके कार्य वर्ष 1995 में प्रारम्भ कराये गये थे, इस वितरिका की 4.3 कि.मी. की लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष जो पिछले लगभग दो वर्ष से अपूर्ण हैं को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर माह 3/2002 तक पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) इस वितरिका की कुल सात माइनरें हैं। अभी किसी भी माइनरों की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई है। इन माइनरों हेतु अगले वर्ष में निविदाएं आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

नर्मदा नहर प्रोजेक्ट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

116. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नर्मदा नहर प्रोजेक्ट हेतु किसानों से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक मुआवजा देने की सम्भावना है?

उत्तर

नर्मदा मुख्य नहर के 0 से 30 कि.मी. में 245 खातेदारों को भुगतान किया जाना था। उसमें से चौदह खातेदारों को छोड़कर शेष का पूर्ण मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है क्योंकि बारह प्रकरणों में काश्तकारों द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं किया है एवं दो प्रकरण जिला सेशन न्यायालय में लम्बित हैं। न्यायालय द्वारा आदेश अनुसार मुआवजा देना सम्भव होगा।

पंचायत समिति-प्रतापगढ़/अरनोद के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

117. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में राज्य सरकार ने नवीन पशु चिकित्सालय एवं नवीन उप केन्द्र खोलने के आदेश प्रसारित किये हैं? यदि हां, तो जनजाति उपयोजना क्षेत्र के किस-किस जिले में किन-किन स्थानों पर उक्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) उप खण्ड प्रतापगढ़ की पंचायत समिति-प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कितने पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में सृजित पदों में से कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं?

(4) क्या सरकार ने पंचायत समिति के ग्राम पण्डावा का पशु चिकित्सालय उप केन्द्र अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया है?

उत्तर

(1) जी, हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खोले गये नवीन पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की जिलेवार सूची-"क" संलग्न है।

(2) उप खण्ड प्रतापगढ़ की पंचायत समिति-प्रतापगढ़ एवं अरनोद में 10 पशु चिकित्सालय, एक औषधालय एवं 20 उप केन्द्र कार्यशील है। सूची-"ख" संलग्न है।

(3) उक्त चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में सृजित पदों व रिक्त पदों की सूची-"ग" संलग्न है।

(4) जी, नहीं। पंचायत समिति-प्रतापगढ़ में इस ग्राम के नाम से कोई पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र स्वीकृत ही नहीं है।

सूची-"क"

जिला	पशु चिकित्सालय	उप केन्द्र
1	2	3
उदयपुर	1. नवाधरा	1. समीजा
	2. ओगणा	2. सेमटाल
	3. गुड़ेल	3. जुड़ा
	4. वास	4. महाड़
	5. डगार	5. ओड़ा
		6. मुल्लातलाई
		7. भाण्दा
		8. महुवाल
		9. कागदर पाइया
		10. पन्नियावाड़ा
		11. नयागांव
		12. शेषपुर
		13. सराड़ी
		14. प्रतापपुरा
		15. उथरदा
		16. सड़ा
बांसवाड़ा	1. रामगढ़	1. माकोद
	2. पावेड़ी	2. गामड़ी
	3. मोटागांव	3. सियापुर
	4. कुण्डला	4. बोरवड़
	5. खेड़ा	5. कोहाला
		6. उम्बाड़ा
		7. लोदड़ा
		8. सागवाड़िया
		9. कुवाड़िया
		10. नालपाड़ा
		11. नवाघरा

1	2	3
		12. थालीतलाई
		13. भगोरा
		14. कोटडा बड़ा
		15. कोटडाअनास
		16. खोड़ालीन
		17. अमरथून
		18. गनोड़ा
		19. लाम्बाडाबरा
		20. घण्टाली
		21. पाटन
		22. कोटडा राणमा
		23. खुदणी
डुंगरपुर	1. जेठाणा	1. सालेड़ा
	2. बरबुदनियां	2. धनगांव
	3. गडाजुमडी	3. ओड
	4. करावडा	4. दिवडा छोटा
	5. पिपलाद	5. कोचरी
	6. बड़ोदा	6. आम्बाड़ा
		7. दिवडा बड़ा
		8. डेयाणा
		9. आरा
		10. रास्ता
		11. पंचकुण्ड़ी
		12. सरथणा
		13. घारवाड़
		14. गन्धवा
		15. सासरपुर बोखलापाल
		16. सालपादर
		17. खजरी

1	2	3
		18. महुडी
		19. सरवाड़ा
		20. सवगढ़
		21. हिरातपाल
		22. कालखण्ड़ा
		23. मेताली
		24. धाणा
		25. घुघरा
		26. बड़वास
		27. पालघर
		28. सोलज
		29. जोगीवाड़ा
		30. जसपुर
		31. वणवास
		32. टामटिया
		33. करीयाणा
		34. गामड़ीदेवकी

सूची-"ख"

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कार्यरत पशु चिकित्सालय/औषधालय/उप केन्द्रों का विवरण

पंचायत समिति, प्रतापगढ़

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय	क्र.सं.	उप केन्द्र
1.	प्रतापगढ़	1.	सासड़ी
2.	कुलथाना	2.	अचलपुरा
3.	रठाजना	3.	असावला
4.	रामपुरिया	4.	बरड़िया
5.	ग्यासपुरा	5.	सरीपीपली
6.	मचवाना	6.	वरमण्डल
7.	मोखमपुरा	7.	सुहागपुरा
		8.	खेरोट
		9.	कुलमीपुरा
		10.	पालमेड़ी
		11.	बरावरदा
		12.	कुणी
		13.	चिकलाड़
		14.	पिपलिया

पंचायत समिति-अरनोद

1.	अरनोद	1.	अचलावदा
2.	दलोट	2.	जीनोर
3.	बड़ी साखथली	3.	अनोपपुरा
		4.	पाल
		5.	चुपना
	पशु औषधालय- अम्बीरामा	6.	सालमगढ़

सूची-"ग"

क्र.सं.	नाम चिकित्सालय उप केन्द्र	स्वीकृत पद पशु चि. अ.	पशु चि. सहाय.	सहा. कर्म.	रिक्त पद पशु चि. अ.	प.चि. सहायक	सहा. कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पशु चिकि. प्रतापगढ़	1	1	2	सभी पद भरे हुए है।		
2.	पशु चिकि. रामपुरिया	1	1	2	8/2000	8/2000	—
3.	पशु चिकि. कुलथाना	1	1	2	12/1998	—	—
4.	पशु चिकि. रठाजना	1	1	2	8/2000	—	—
5.	पशु चिकि. ग्यासपुर	1	1	1	7/2000	—	—
6.	पशु चिकि. मोखमपुरा	1	1	1	5/99	—	—
7.	पशु चिकि. मचलाना	1	1	1	8/2000	—	1/2001
8.	पशु चिकि. अरनोदा	1	1	2	सभी पद भरे हुए है।		
9.	पशु चिकि. दलोट	1	1	2	8/1999	—	—
10.	बड़ी साखथली	1	1	1	6/1998	1/2001	
11.	पशु औषधालय, अम्बीरामा	—	1	2	सभी पद भरे हुए है।		
12.	उप केन्द्र, झासड़ी	—	1	—	—	9/2000	—
13.	उप केन्द्र, अचलपुर	—	1	1	—	9/2000	—
14.	उप केन्द्र, असावता	—	1	1	—	2/1999	—
15.	उप केन्द्र, बरडिया	—	1	—	—	—	—
16.	उप केन्द्र, अनोपपुरा	—	1	—	—	1/2001	—
17.	उप केन्द्र, सरीपिपली	—	1	—	—	—	—
18.	उप केन्द्र, पाल	—	1	—	—	9/1998	—
19.	उप केन्द्र, पिपलिया	—	1	—	—	9/1998	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उप केन्द्र, वरमण्डल	–	1	–	–	–	–
21.	उप केन्द्र, सुहागपुरा	–	1	–	–	–	–
22.	उप केन्द्र, खेरोट	–	1	–	–	–	–
23.	उप केन्द्र, कुलमीपुरा	–	1	–	–	–	–
24.	उप केन्द्र, पानपोडी	–	1	–	–	–	–
25.	उप केन्द्र, बाराबरदा	–	1	–	–	–	–
26.	उप केन्द्र, चिकलाड	–	1	–	–	–	10/1998
27.	उप केन्द्र, सालमगढ़	–	1	–	–	–	2/2001
28.	उप केन्द्र, चुपना	–	1	–	–	–	–
29.	उप केन्द्र, निनोर	–	1	1	–	–	–
30.	उप केन्द्र, कुणी	–	1	–	–	–	–
31.	उप केन्द्र, अचलावदा	–	1	1	–	2/2001	–

नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र में खोले गये पशु चिकित्सालय व चिकित्सा उप केन्द्र

118. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के तहत नये पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उप केन्द्र कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव में खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के तहत खोले गये नये पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की विधान सभा क्षेत्र व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति केशोरायपाटन में रिक्त पद

119. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केशोरायपाटन में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो अब सरकार द्वारा उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) वर्तमान में नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। प्रतिबन्ध हटने पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद भरे जावेंगे। प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद संबंधित विभाग से कार्मिक उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(3) जी, हां। शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद शिक्षा विभाग एवं निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरे जाते हैं। सम्बन्धित विभाग से कार्मिक उपलब्ध होने पर पद भरे जा सकेंगे।

पंचायत समिति, केशोरायपाटन में संवर्ग वार रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	
2.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	
5.	वाहन चालक	1	
6.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2	दिनांक 30 नवम्बर, 2000 को सेवानिवृत होने से 1 पद एवं 1 पद फरवरी, 2001 से रिक्त चल रहा है।

जिला कोटा की पंचायत समितियों के व्यय पर रोक

120. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला कोटा की किस-किस पंचायत समिति में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध है जिसको खर्च करने पर सरकार ने रोक लगा रखी है? उक्त रोक लगाने के क्या कारण हैं तथा उक्त राशि को किस उपयोग हेतु व्यय किया जाएगा।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा कोटा जिले की किसी भी पंचायत समिति कि राशि के खर्च करने पर रोक नहीं लगा रखी है।

पंचायत समिति बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) पंचायतों की जनसंख्या

121. **श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)** : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा के अन्तर्गत कुल कितने ग्राम और कितनी पंचायतें हैं तथा पंचायत समिति की कुल कितनी जनसंख्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1991 की जनगणना अनुसार जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा के अन्तर्गत 174 ग्राम, 48 ग्राम पंचायतें तथा 1,80,805 जनसंख्या है।

पुराने किले/महल हेरीटेज होटल का बंद प्रकरण

122. **श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर)** : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1993 से 1998 तक पुराने किले/महलों को हेरीटेज होटल बनाने के लिये राज्य सरकार ने कहां-कहां किन-किन व्यक्तियों एवं भवनों/किलों को कितनी-कितनी सहायता/ऋण प्रदान किया तथा उसके लिये क्या शर्तें थी और क्या वह होटल व शर्तें अब भी पूरी कर रहे हैं? क्या वर्तमान में भी यह स्कीम लागू है?

(2) क्या उक्त किले/महल अब भी हेरीटेज होटलों के रूप में चल रहे हैं? क्या कुछ बंद हो गये हैं? यदि हां, तो क्या उनसे सहायता राशि वापस लेने का कोई प्रावधान है?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से 1998 तक हेरिटेज होटलों को स्वीकृत अनुदान की सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

उक्त सहायता की शर्तें परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

जिन हेरिटेज होटलों को योजनान्तर्गत सहायता प्रदान की गई थी, उनके द्वारा शर्तों की अवहेलना का कोई प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

यह योजना वर्तमान में लागू नहीं है।

(2) परिशिष्ट-'क' में उल्लेखित सभी हेरिटेज होटलें वर्तमान में संचालित है।

परिशिष्ट-'क'

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1993 से 1998 तक हेरिटेज होटलों को स्वीकृत अनुदान की सूची

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1993 के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	नाम	स्वीकृत अनुदान (राशि लाख रु. में)
1.	रायल कैसल खींवसर, फोर्ट, खींवसर, नागौर	15.06
2.	होटल कैसल बीजापुर, चित्तौड़गढ़	00.86
3.	होटल लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर	02.18
4.	होटल कामा राजपुताना क्लब रिसोर्ट, मा. आबू	17.15
5.	करणी भवन पैलेस होटल, बीकानेर	20.00
6.	होटल राज पैलेस, जयपुर	20.00
7.	शिकार बाड़ी होटल, उदयपुर	09.38

डीजल जैनरेटिंग सैट क्रय अनुदान योजना, 1994 के तहत स्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	नाम	स्वीकृत अनुदान (राशि लाख रु. में)
i.	रायल कैसल खींवसर फोर्ट, खींवसर, नागौर	00.50
ii.	सामोद हवेली	00.50
iii.	कैसल मण्डावा, झुन्झुनूं	00.50
iv.	चन्द महल हवेली, भरतपुर	00.50
v.	अजीत भवन, जोधपुर	00.50
vi.	डेजर्ट होलीडे रिसोर्ट, मण्डावा, झुन्झुनूं	00.50

परिशिष्ट-'ख'

पर्यटन विकास के लिए राज्य पूंजी विनिधान सहायकी स्कीम, 1993 की धारा 7 में उल्लेखित निबन्धन और शर्तें

i. इस स्कीम के अधीन सहायकी, अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर मंजूर की जा सकेगी और यह सृजित आस्तियों के अनुपात में संवितरित की जावेगी।

ii. सहायकी का संवितरण स्थित आस्तियों का कम से कम 50 प्रतिशत की सीमा तक सृजन हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ होगा। प्रथम अग्रिम सहायकी किश्त का दावा 75 प्रतिशत आस्तियों के सृजन के पश्चात् किया जा सकेगा। इस रीति से, मंजूर रकम की 75 प्रतिशत तक अग्रिम सहायकी संवितरित की जा सकेगी। शेष 25 प्रतिशत का संवितरण इकाई का प्रचालन प्रारम्भ होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

iii. यदि कोई पर्यटन सहायकी की कुल मंजूर रकम का 75 प्रतिशत प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर अपना प्रचालन प्रारम्भ करने में विफल रहती है, तो संवितरित सहायकी की रकम-भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

iv. पर्यटन इकाई को अपने प्रचालन में आने की तारीख के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन में रहना होगा।

v. यदि सहायकी का फायदा उठा रही कोई पर्यटन इकाई इस स्कीम के किन्हीं निबंधों और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहती है या पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने में विफल रहती है या राज्य सरकार द्वारा इस निमित दिये गये किन्हीं निर्देशों का अतिक्रमण करती है तो ऐसी इकाई को संवितरित सहायकी की रकम 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के सहित भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

vi. पूंजी विनिधान सहायकी स्कीम रियायत स्वरूप की है और किसी भी पर्यटन इकाई को कोई भी अधिकार या विशेषाधिकार प्रदत्त नहीं करेगी।

vii. राज्य सरकार की परिस्थितियों के अनुसार स्कीम को पुनर्विलोकित, पुनीक्षित, संशोधित या बातिल करने का अधिकार होगा।

डीजल जैनरेटिंग सैट क्रय अनुदान योजना, 1994 की धारा 7 में उल्लेखित शर्तें

i. जिस भी इकाई को अनुदान स्वीकृत होगा, वह डीजल जैनरेटर सैट को किसी अन्य स्थान पर खरीदने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि तक निदेशक, पर्यटन की अनुमति के बगैर स्थानान्तरित नहीं करेगा एवं डीजल जैनरेटर सैट के उत्पाद का अपने स्वयं के उपयोग में ही लेगा।

ii. जिस भी होटल इकाई को इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा वह निदेशक, पर्यटन अथवा महालेखाकार, राजस्थान या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को अपने कार्यक्षेत्र एवं अपने लेखा रिकार्ड का परीक्षण करने देगा तथा इसके लिये समुचित सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

iii. अनुदानित इकाई पर्यटन विभाग से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करेगा।

रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) से आय

123. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पर्यटन स्थल रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) में कितनी जिप्सी/कैन्टर हैं ?

(2) गत 2 वर्षों में उक्त जिप्सी एवं कैन्टरों से कितनी आय प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) पर्यटन स्थल रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) में वन विभाग, सवाईमाधोपुर के कार्यालय में 37 जिप्सी एवं 19 कैंटर पर्यटन हेतु पंजीकृत है।

(2) गत 2 वर्षों में उक्त जिप्सी एवं कैन्टरों से वन विभाग को निम्नानुसार आय प्राप्त हुई है : —

वर्ष 1999-2000 में 53,75,675 रु.

वर्ष 2000-2001 में 80,84,030 रु.

(14.3.2001 तक)

पर्यटन निगम की नवीन इकाइयों की स्थापना

124. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्रों पर "मीनू" की दरें तय करने का क्या आधार है और दरें कब-कब रिवाइज की जाती हैं ? क्या सरकार राजस्थान में निगम की इकाइयों पर एक ही दर करने का विचार रखती है ?

(2) निगम द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर भौतिक एवं वित्तीय नियन्त्रण कैसे रखा जाता है ?

(3) राज्य में निगम और कहां-कहां पर नई इकाइयां स्थापित कर रहा है ? नई इकाई खोलने के क्या-क्या आधार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम में "मीनू" की दरें तय करने का आधार 35% कच्ची सामग्री की लागत, 45% अन्य खर्चे एवं 20% लाभ शामिल कर की जाती है। दरें प्रतिवर्ष रिवाइज की जाती है। निगम की सभी इकाइयों पर एक ही दर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में कार्य कराने से पूर्व साइट कन्डीशन के आधार पर कार्य का तकमीना, तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है तथा नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित कर कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। कार्य के दौरान समय-समय पर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

उनके द्वारा प्रगति से उच्चाधिकारियों को प्रगति से अवगत कराया जाता है।

(3) वर्तमान में नई इकाई खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निगम नई इकाई खोलने के लिए पर्यटकों का आवागमन तथा पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की बढ़ोतरी व पर्यटक स्थल के विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है।

अपना गांव अपना काम के तहत ग्राम खैरवा (नागौर) में निर्माण कार्य

125. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने अपना गांव अपना कार्य योजना अन्तर्गत जिला नागौर में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा कुल कितनें कार्य, कितनी राशि के वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में ग्राम खैरवा, तहसील डेगाना, जिला नागौर की जनता ने उक्त योजना में 2,34,000/- रुपये की राशि जमा करवाई गई थी? यदि हां, तो उक्त राशि के अगेंस्ट चार कमरे मय बरामदा निर्माण की कुल कितने रुपयों की स्वीकृति जारी की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पूर्ण करवा दिया गया है और उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी दे दिया गया है, फिर भी इसका भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बकाया भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत जिला नागौर में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान 236.09 लाख रुपये के 139 कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार हैं।

(2) जी, हां। जनता द्वारा जमा कराये गये 2.35 लाख रुपये की जन सहयोग की राशि के पेटे ग्राम खैरवा के रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन हेतु चार कमरे मय बरामदा निर्माण हेतु 4.68 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई।

(3) जी, हां। उक्त निर्माण कार्य के पेटे 0.68 लाख रुपये का भुगतान बकाया है।

(4) जी, हां। बजट प्रावधान होने पर।

परिशिष्ट-1

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर

अपना गांव अपना काम योजना में वर्षवार स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	वर्ष 1997-98		1998-99		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001	
		स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य की राशि	स्वी. कार्य संख्या	स्वी. कार्य की राशि	स्वी. कार्य की संख्या	स्वी. कार्य की राशि	स्वी. कार्य की संख्या	स्वी. की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नागौर	20	27.43	10	9.54	–	–	–	–
2.	मूण्डवा	6	10.24	1	1.00	–	–	–	–
3.	जायल	9	16.32	5	5.02	–	–	–	–
4.	मेड़तासिटी	6	6.10	4	6.59	–	–	–	–
5.	डेगाना	10	9.49	3	9.28	–	–	–	–
6.	रियाबड़ी	6	15.61	2	5.23	–	–	–	–
7.	परबतसर	6	4.44	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मकराना	3	4.37	–	–	–	–	–	–
9.	कुचामनसिटी	12	26.99	7	10.51	–	–	–	–
10.	डीडवाना	12	29.72	7	16.43	–	–	–	–
11.	लाडनूं	6	14.81	4	6.97	–	–	–	–
	योग : —	96	165.52	43	70.57				

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
पदेन परियोजना निदेशक
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
नागौर (राज.)

कुलपति द्वारा प्राप्त की जा रही अनियमित पेंशन

126. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति द्वारा अनियमित रूप से पेंशन की राशि अधिक प्राप्त करने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट में इनके द्वारा अनियमित राशि प्राप्त करने पर इसे वापस वसूलने की सिफारिश की गई? यदि हां, तो उक्त राशि इनसे कब वसूली गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पद

127. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कितने पद विभिन्न स्तर के प्राध्यापकों के कब से रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के क्या-क्या प्रयास किये गये और उनका क्या परिणाम निकला? किये गये प्रयासों एवं परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्राध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न स्तर के प्राध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(2) हालांकि महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय एवं विश्वविद्यालयों से पदों को भरने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

अब विद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत रिक्त 400 व्याख्याताओं के पदों को भरने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त हुई है और राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाने की कार्यवाही जारी है।

जहां तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का प्रश्न है, प्राप्त प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी, नहीं। महाविद्यालय शिक्षा में अस्थाई तौर पर अग्रिनियुक्ति एवं गैस्ट फैकल्टी और विश्वविद्यालयों में अस्थाई/तदर्थ नियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की पूर्ति की जाती रही है।

परिशिष्ट-1

(1) निदेशालय महाविद्यालय शिक्षा

वर्ष 1997 से 2001 के मध्य रिक्त पदों की सूचना

1. व्याख्याता	962 पद

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

लगभग 10 वर्षों से रिक्त पदों की सूचना

1. प्रोफेसर	55 पद
2. एसोसियेट प्रोफेसर	93 पद
3. असिस्टेंट प्रोफेसर	372 पद
	(इन पदों पर तदर्थ रूप से 291 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं)

(3) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

लगभग 10 वर्ष से रिक्त हुए पदों की सूचना

1. प्रोफेसर	30 पद
2. एसोसियेट प्रोफेसर	64 पद
3. असिस्टेंट प्रोफेसर	117 पद

(4) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

वर्ष 1983 से 2000 के मध्य हुए रिक्त पदों की सूचना

1. प्रोफेसर	22 पद
2. एसोसियेट प्रोफेसर	32 पद
3. असिस्टेंट प्रोफेसर	54 पद

(5) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वर्ष 1987 से 2000 के मध्य हुए रिक्त पदों की सूचना

1. प्रोफेसर	3 पद

2. एसोसियेट प्रोफेसर	4 पद
3. असिस्टेंट प्रोफेसर	5 पद

(6) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वर्ष 1988 से 2000 के मध्य हुए रिक्त पदों की सूचना

1. प्रोफेसर	11 पद
2. एसोसियेट प्रोफेसर	15 पद
3. असिस्टेंट प्रोफेसर	5 पद

नोट : — उपरोक्त सूचना महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के वर्ष 2000-2001 के बजट पर आधारित है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों में लिप्तता की जांच

128. **श्री रमेश खींची (कठूमर)** : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत दो वर्षों में उप निदेशक (मत्स्य) को कितने प्रकरण किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला जयपुर में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने या किसी अभ्यर्थी का एजेन्ट/काउंटिंग एजेन्ट बनने के कृत्यों की जांच हेतु जांच अधिकारी बनाया गया है ?

(2) उक्त जिले में उक्त कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के लिए किन-किन उप निदेशक स्तर के अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में उप निदेशक (मत्स्य) और उप निदेशक स्तर के अधिकारियों ने राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने या किसी अभ्यर्थी का एजेन्ट बनने के प्रकरणों पर क्या-क्या जांच किस-किस प्रकार से की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जांच अधिकारी ने एजेन्ट हेतु भरे गये प्रपत्रों में दोषियों द्वारा भरी गई खुद की भाषा की एवं हस्ताक्षरों की जांच की है ? यदि हां, तो खुद के द्वारा भरे गये प्रपत्रों/फार्मों की जांच का क्या औचित्य है ? जब फार्म में खुद की हैण्डराइटिंग है और हस्ताक्षर असल हैं तथा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भरा गया है और उसके समक्ष हस्ताक्षर किये गये हैं तो फिर और जांच किस प्रकार की जायेगी ?

(5) उक्त प्रकरण में उप निदेशक (मत्स्य) ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है और जांच के क्या परिणाम रहे हैं ? उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले और एजेन्ट बनकर राजनैतिक कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शीघ्र कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(7) अब उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर उन्हें निलंबित कर दिया जायेगा ?

(8) क्या उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी दोषियों को बचाने का कृत्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा अब उक्त जांचों का निस्तारण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में उप निदेशक, मत्स्य को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जिला

(राज्य मंत्री, मत्स्य)

जयपुर में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने या किसी अभ्यर्थी का एजेन्ट/काउंटिंग एजेन्ट बनने के कृत्यों की जांच हेतु जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है।

(2) उक्त जिले में उक्त कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभाग में जांच करने हेतु शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अपितु, निदेशालय कोष एवं लेखा, राज., जयपुर के माध्यम से एक शिकायत अवश्य प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रत्याशी के समर्थन में खुलकर कार्य करने का उल्लेख था। जिसकी जांच हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी को लिखा गया था। एजेन्ट/काउंटिंग एजेन्ट बनने के कृत्यों की जांच हेतु शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) अभ्यर्थी का एजेन्ट बनने के सम्बन्ध में शिकायत में उल्लेख नहीं था, केवल प्रत्याशी के समर्थन की शिकायत के लिए विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लेखाधिकारी को लिखा गया था, परन्तु शिकायत की प्रति अपठनीय होने के कारण जांच नहीं की जा सकी है। शीघ्र सुपाठ्य प्रति प्राप्त कर जांच करवायी जायेगी।

(4) जी, नहीं।

(5) प्रकरण में उप निदेशक (मत्स्य) को जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है।

(6) जी, हां, सरकार राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले और एजेन्ट बनकर राजनैतिक कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(7) जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(8) जी, नहीं।